द्वितीय माला, खण्ड ५—अंक २७

२१ अगस्त, १९५७ (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

152 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या १००५ से १००८, १०१०, १०१०-क, १०११, १०१३, १०१६, १०१८, १०१९ और १०२१ से १०२६ . . ४०५५--७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १००४, १००९, १०१२, १०१५, १०१७, १०२७ से १०३३ और १०३५ से १०४२ . . . ४०७८--८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५९ से ७८५ . . . . ४०८६--९८

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४०९८-९९

राज्य-सभा से सन्देश---

निरसक और संशोधक विधेयक ४०९९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . ४०९९

अनुदानों की मांगें ४१००--५२

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय] ४१००--४८

श्री न० रा० मुनिस्वामी ४१०६--०८

श्री सोमानी ४१०८--११

श्री याज्ञिक ४१११--१३

श्री रामजी वर्मा ४११३--१५

श्री रा० कृ० वर्मा ४११५--२०

श्री दासप्पा ४१२१-२२

श्री राम कृष्ण ४१२२--२४

श्री आसर] ४१२४--२७

श्री मनुभाई शाह ४१२७--३५

श्री सोनावने] ४१३५-३६

श्री विमल घोष] ४१३६-३७

सेठ अचल सिंह ४१३७--३९

श्री कोडियान ४१३९--४१

श्री रंगा] ४१४१-४२

श्री मुरारजी देसाई ४१४२--४८

श्रम और रोजगार मंत्रालय ४१४९--५२

डा० मेलकोटे] ४१५०-५१

श्री डांगे ४१५१-५२

दैनिक संक्षेपिका] ४१५३--५५

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, २१ अगस्त, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अखबारी कागज का आयात

†*१००५. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य-मंडल[1] ने अखबारी कागज के और आगे आयात पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है; और

(ख) वर्ष में कितने अखबारी कागज का आयात किया जाता है और भारत को अखबारी कागज का निर्यात करने वाले प्रमुख देश कौन-कौन से हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४८**]

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : हमारे देश के कारखानों में अखबारी कागज का कुल कितना उत्पादन होता है और अखबारी कागज के सम्बन्ध में हमारा देश कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस समय अखबारी कागज का केवल एक कारखाना है और वह है मध्य प्रदेश की नेपा न्यूज़प्रिन्ट फैक्टरी। पिछले साल उसका उत्पादन १०७९२ टन था। इस वर्ष जनवरी से मार्च तक यह ३,५०० टन रहा। इस फैक्टरी की क्षमता-सामर्थ्य[2] ३०,००० टन है, हालांकि मौजूदा मांग लगभग ९०,००० टन है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या गन्ने की खोई[3] से अखबारी कागज बनाने के लिये विदेशी प्रविधिक सहायता से या ऐसी सहायता के बिना राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के अधीन देश में कुछ फैक्ट्रियों की स्थापना की गयी थी, और यदि हां, तो कितनी और ये किन स्थानों पर हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Chamber of Commerce.
[2] Rated Capacity.
[3] Bagasse.

†**श्री सतीश चन्द्र :** हैदराबाद के निकट शक्करनगर में अखबारी कागज की एक फैक्टरी खोलने का प्रस्ताव है जिसमें गन्ने की खोई का उपयोग किया जायेगा और इस फैक्टरी की क्षमता ३०,००० टन प्रति वर्ष होगी ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि नेपा नगर में जो न्यूज़प्रिंट (अखबारी कागज) बनती है उस पर एक्साइज़ ड्यूटी (उत्पादन-शुल्क) लगाई जाती है, यदि हां तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : जैसे और फैक्टरियों पर एक्साइज़ ड्यूटी लगती है वैसे ही उस पर लगती है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : यहां पर तो वित्त मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि न्यूज़प्रिंट पर एक्साइज़ ड्यूटी नहीं लगाई जायगी ?

श्री मनुभाई शाह : जब वह लगी थी तब लगाई गई थी, अब निकाल दी गई है ।

†**श्री च० द० पांडे :** उपमंत्री महोदय ने अभी सभा को बताया कि इस मिल की क्षमता-सामर्थ्य ३०,००० टन है जबकि वार्षिक उत्पादन केवल १२,००० टन है । उत्पादन में किन बातों के कारण कठिनाई हो रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** नेपा न्यूज़प्रिंट मिल में उत्पादन केवल दो वर्ष पूर्व शुरू हुआ था । उसके बाद कुछ अनिवार्य प्रारम्भिक कठिनाइयां आयीं । हाल ही में उत्पादन बढ़ रहा था, लेकिन बिजली और भाप कम मिलने के कारण, जिसका संभरण मध्य प्रदेश सरकार किसी और कारखाने से करती है, फिर बाधा उत्पन्न हो गयी । इस गतिरोध के समाप्त हो जाने के बाद उत्पादन बढ़ने की संभावना है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या मद्रास राज्य में नीलगिरि अथवा मेट्टूर में अखबारी कागज का कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** वय्यूर के गन्ने की खोई को अखबारी कागज में परिवर्तित करने के प्रयोगों का क्या हुआ है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** गन्ने की खोई को निस्संदेह ही अखबारी कागज़ में बदला जा सकता है । हम एक फैक्टरी खोल रहे हैं । यह कारखाना शक्करनगर में खोलने का प्रस्ताव इस समय राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के विचाराधीन है क्योंकि वहां केवल एक ही कारखाने से, जो देश के सब से बड़े कारखानों में से एक है, काफी बड़ी मात्रा में गन्ने की खोई उपलब्ध है । यदि गैर-सरकारी लोग कारखाने खोलने के लिये आगे बढ़ें तो अन्य स्थानों पर भी इन कारखानों की स्थापना की जा सकती है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या यह सच नहीं है कि यह प्रयोग सब से पहले वय्यूर में किया गया था और मद्रास और आन्ध्र सरकार ने इस प्रश्न को बाद में लिया, और क्या आंध्र सरकार ने किसी वित्तीय सहायता की मांग की है, और यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : हैदराबाद भी आंध्र में ही है।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न कुछ भ्रामक है। गन्ने की खोई को अखबारी कागज में बदल देने के प्रयोग इस देश में नहीं किये गये थे। यह अत्यन्त ही आधुनिकतम आविष्कार है जिसकी प्रस्थापना पिछले ही वर्ष जर्मनी में हुई थी। इस प्रकार के परिवर्तन का कोई प्रयोग इस देश में नहीं हुआ है। माननीय सदस्य का तात्पर्य संभवतः गन्ने की खोई से कागज बनाने से है जिसके बारे में देश में प्रायः आधे दर्जन प्रयोग किये जा चुके हैं और वे सफल रहे हैं। जहां तक आंध्र सरकार को वित्तीय सहायता देने का सम्बन्ध है, वित्तीय सहायता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इस कारखाने की स्थापना सरकारी क्षेत्र में स्वयं भारत सरकार ही कर रही है।

†**श्री हेडा** : भारत में कितने अखबारी कागज की खपत होती है और क्या यह बढ़ रही है, और यदि हां, तो क्या शक्करनगर और नेपानगर के ये दोनों कारखाने आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मौजूदा खपत लगभग ८५,००० टन से ९०,००० टन है। १९६१ तक इसके बढ़ कर १२०,००० टन हो जाने की संभावना है। नेपा-फैक्टरी और शक्करनगर की नयी फैक्टरी कुल ६०,००० टन का उत्पादन कर सकेंगी। देश में अखबारी कागज़ के उद्योग को और आगे विकसित करने की गुंजायश है, लेकिन इस काम को फौरन ही हाथ में नहीं लिया जा सकता।

†**श्री रंगा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्वयं उनके कथनानुसार नेपा मिल की क्षमता-सामर्थ्य ३०,००० टन है जब कि वास्तव में उत्पादन १५,००० टन ही होता है, और देश में अधिक उत्पादन की अत्यधिक आवश्यकता है, सरकार ने कठिनाइयों पर विजय पाने में नेपा मिल की सहायता कर उसी में उत्पादन बढ़ाने के लिये पिछले दो-एक वर्षों में क्या विशेष कार्यवाही की गयी है या की जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं। नेपा मिल को आरम्भ में होने वाली अनिवार्य कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ा है और इस समय उसकी स्थिति सुदृढ़ होने लगी है। लेकिन इस मिल के विस्तार के प्रश्न पर कुछ बाद में विचार किया जा सकेगा। पिछले डेढ़-दो वर्षों में सरकार ने केवल यही पता लगाने की कोशिश की है कि अन्य कौन-कौन सी चीजों से अखबारी कागज बनाया जा सकता है जैसा मेरे सहयोगी ने कहा, यह सच है कि गन्ने की खोई से अखबारी कागज का उत्पादन किया जा सकता है, यह बात हमें मालूम थी, लेकिन चीनी मिलें अब गन्ने की खोई का उपयोग ईंधन के रूप में करती हैं और इसलिये हमें उनके लिये वैकल्पिक ईंधन का प्रबन्ध करना होगा, जिसकी लागत इतनी होनी चाहिए कि अखबारी कागज बनाने के लिये गन्ने की खोई का उपयोग करना हमारे लिये संभव हो जाये। इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही सरकार ने शक्करनगर में अखबारी कागज का कारखाना खोलने का निश्चय किया है। संभव है कि एक बार कारखाना खुल जाने पर उस में ३०,००० टन का उत्पादन होने लगे—और यदि उस क्षेत्र में चीनी उद्योग भी बढ़े, जिसकी भी संभावना है,—तो इसकी क्षमता भी बढ़ जायेगी; लेकिन माननीय सदस्य को यह समझना चाहिये कि यह, अर्थात् देश में अखबारी कागज का उत्पादन चाहे वह गन्ने की खोई से हो या किसी और चीज से, आसान काम नहीं है, और सुदृढ़ आधार पर इस उद्योग की स्थापना कर पाने से पहले हमें शुरू में इन अनिवार्य कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मूल्य नियंत्रण

†*१००६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत में उत्पन्न होने वाले और भारत के कारखानों में बनने वाले कच्चे माल और तैयार माल की सापेक्ष कीमतें निर्धारित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब से लागू किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) :** (क) और (ख). सरकार ने औद्योगिक इकाइयों से, विशेष रूप से उन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों से जिनका आयात कम कर दिया गया है, यह अनुरोध किया है कि वे कीमतों के बारे में सिद्धान्त की तीन बातें स्वीकार कर लें। लोक-सभा पटल पर उन पत्रों की प्रतियां रखी जाती हैं जो भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ और संबद्ध वाणिज्य मंडलों के सभापतियों को भेजे गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४९]**

अब तक सरकार को जो जवाब मिले हैं उन के आधार पर सरकार का यह विश्वास है कि उद्योग के साथ स्वेच्छा से किये गये करार से मूल्य को एक स्तर पर कायम रखने में सहायता मिल रही है, हालांकि यह भी असंभव नहीं है कि विशेष मामलों में मूल्य नियंत्रण करना पड़े।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर ने जो जवाब दिया है वह कंज्यूमर्स साइड (उपभोक्ता की ओर) से दिया है। मैं चाहता हूं कि प्रोड्यूसर साइड (उत्पादकों की ओर) से जवाब हो। जो प्रोड्यूसर कच्चा माल तैयार करता है उसी कच्चे माल का इंडियन फैक्टरीज़ में पक्का माल तैयार होता है और दोनों की क़ीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, तो क्या सरकार उनकी क़ीमतों में समता लाने की कोशिश करेगी ?

श्री मुरारजी देसाई : जो कच्चा माल प्रोडयूसर्स बनाते हैं यानी क्या एग्रीकलचरिस्ट्स (कृषकों) का आप पूछते हैं या और लोगों का पूछते हैं ? जहां तक एग्रीकलचरिस्ट्स के रा मैटीरियल्स (कच्चे माल) का सम्बन्ध है उनका भाव ऊंचा है और मैनुफैक्चरर्स (निर्माताओं) का भाव उस हिसाब से नीचे है और उनके लिए आज कुछ करने की जरूरत नहीं है उनको तो बहुत ज्यादा मिलता है।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहता हूं कि आजकल जूट १६ रुपये मन मिलता है और जब जूट का एक मन का बोरा तैयार होता है तो उसकी कीमत ४० रुपये हो जाती है एक सेर जूट के बोरे की कीमत १ रुपया होती है, तो क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई समता लाने की कोशिशें करेंगे।

श्री मुरारजी देसाई : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि जो कच्चे माल का भाव है उस के ऊपर काफी चीजें लग जाती हैं। काफी पैसे लग जाते हैं। बेचने में काफी पैसे लगते हैं, तब वह भाव २४ रु० तक बढ़ जाता है। ऐसे ही नहीं बढ़ जाता है। इस हिसाब से जो भाव उन को मिलता है, वह कम नहीं है, ठीक है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते कि हुए भारत सरकार ने १९५२ को आधार मान कर मूल्य देशनांक प्रकाशित कर दिये हैं और इस आधार का मूल्य-स्तर १९३९ के मूल्य-स्तर से कहीं नीचा है, क्या इस नतीजे तक पहुंचने के लिये सरकार ने औद्योगिक कच्चे माल या औद्योगिक माल, तैयार माल और कृषि-उत्पादन का कोई सर्वेक्षण कराया था ?

†**श्री मुरारजी देसाई :** यह बात तो मेरी समझ में नहीं आई कि मुख्य प्रश्न के साथ इस प्रश्न का क्या सम्बन्ध है लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि नये सिरे से कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया था । देशनांक मौजूद हैं, हम उसके साथ तुलना कर जानकारी दे देते हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मंत्री महोदय ने कहा है कि औद्योगिक कच्चे माल का मूल्य-स्तर इस समय कम है । इसीलिये मैंने यह पूछा था कि इस नतीजे पर पहुंचने के लिये कि मूल्य-स्तर कम है क्या कोई सर्वेक्षण कराया गया था ?

श्री मुरारजी देसाई : ये आंकड़े प्रत्येक वर्ष प्राप्त कर लिये जाते हैं और नये सिरे से सर्वेक्षण कराने का प्रश्न ही नहीं उठता । यदि पहले से भी तुलना की जाये तो भी यही परिणाम निकलेगा ।

†**श्री हेडा :** उपभोक्ता और निर्माता के बीच में एक तीसरा व्यक्ति—सट्टा करने वाला या व्यापारी—भी होता है । सरकार ने क्या उसके अस्तित्व को माना है और क्या सरकार को पता है कि कच्चे माल की कीमत और उत्पादक को मिलने वाले मूल्य और निर्माता द्वारा अन्त में तैयार माल पर लगाये गये मूल्य में आपस में कुछ सम्बन्ध होता है ।

†**श्री मुरारजी देसाई :** ये सभी बातें ऐसी हैं जिन में थोड़ी घट-बढ़ हो सकती है । इन सब को बिल्कुल मशीन की तरह से नहीं मिलाया जा सकता । इन सब बातों पर विचार कर लिया जाता है ।

ब्रह्माण्ड रश्मि गवेषणा केन्द्र[४] गुलमर्ग

†*१००७. **श्री भक्त दर्शन :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गुलमर्ग में जो ब्रह्माण्ड रश्मि गवेषणा केन्द्र खोला जाने वाला है उसकी प्राक्कलित लागत कितनी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** प्रारम्भिक प्राक्कलनों के आधार पर अनुमान है कि गुलमर्ग की केन्द्र प्रयोगशाला पर २ लाख रुपये, अफरवट की एक ठोकर[५] पर की काफी ऊंचाई वाली प्रयोगशाला पर २ लाख रुपये और दोनों को मिलाने वाले तार के रज्जु-पथ पर लगभग ९ लाख रुपये व्यय होंगे । समूची परियोजना की लागत लगभग १४ लाख रुपये होगी । गुलमर्ग की केन्द्र प्रयोगशाला के लिये नक्शे और नमूने बनाने तथा लागत का व्यौरा तैयार करने के लिये वास्तु-शास्त्रियों को नियुक्त किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : कुछ दिनों पहले डा० भाभा के सभापतित्व में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी । मैं जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के आधार पर इस केन्द्र को स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है और कब तक वास्तविक काम शुरू हो जाने की आशा की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में
*Cosmic Ray Research Station
[५]Spur

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, इसी रिपोर्ट के सिलसिले में वहां यह काम हो रहा है। शायद आपने पूछा कि इस में देर क्यों हुई ?

श्री भक्त दर्शन : जी, हां ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस का एकाएक जवाब नहीं दे सकता । इस में करीब साल भर या कुछ महीने लगे हैं । इस की एक यह भी वजह थी कि ऐटमिक एनर्जी डिपार्टमेंट (अणुशक्ति विभाग) बहुत से काम कर रहा है । इस को उस ने अपने काम में दूसरा दर्जा दिया ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि गुलमर्ग में ही जम्मू कश्मीर और अलीगढ़ युनिवर्सिटियों की ओर से एक आब्जर्वेटरी (वेधशाला) पहले से काम कर रही है ? यदि कर रही है तो इस नये रिसर्च स्टेशन (गवेषणा केन्द्र) और आब्जर्वेटरी के बीच में क्या सम्बन्ध होगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, वहां अलीगढ़ और कश्मीर युनिवर्सिटीज की ओर से एक आब्जर्वेटरी है । वह एक अलग काम कर रही है । इस का काम तो जरा दूसरे ढंग का होगा । हो सकता है कुछ थोड़ा सा वैसा भी हो, लेकिन ज्यादातर दूसरे ढंग का होगा । और उस में खास यह जगह चुनी गई थी । जो कमिशन (आयोग) था वह हिन्दुस्तान के सारे पहाड़ों पर घूमा । एक ऊंची जगह, असल में गुलमर्ग से भी ऊपर, खिलनमर्ग में यह होगा । तो काफी फर्क इस काम में और उस के काम में होगा ।

†**श्री नरसिंहन्** : १४ लाख रुपये की कुल प्राक्कलित लागत में से ९ लाख रुपये केवल रज्जु-पथ में ही लग जायेंगे । क्यों ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे पास इसका उत्तर यही है कि रज्जु-पथ में इतनी ही या लगभग इतनी ही लागत लगती है । साथ ही, मैं यह भी कह दूं कि यदि गुलमर्ग से खिलनमर्ग तक एक रज्जु-पथ हो तो कश्मीर सरकार और पर्यटकों की दृष्टि से वह एक काफी आकर्षण वाली चीज होगी । शरद्कालीन खेलकूद की दृष्टि से भी, वह काफी आकर्षक होगा । शरद्काल में वहां बर्फ पर स्केटिंग—स्कीइंग के लिये जाया जासकेगा ।

पशुओं का व्यापार

†*१००८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पशुओं के व्यापार को यथासंभव मानवोचित बनाने के लिये क्या सरकार ने कुछ विशिष्ट कार्यवाही की है, और यदि हां, तो क्या ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : जिन पशुओं को भारत के बाहर निर्यात किया जाता है उनमें केवल बन्दरों को छोड़ कर और किसी के साथ मानवोचित व्यवहार की कमी होने की कोई शिकायत नहीं आई है। लोक सभा पटल पर एक टिप्पण रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि बन्दरों के व्यापार को यथासंभव मानवोचित बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५०]**

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : पशुओं के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गयी थी । उस समिति ने क्या सिफारिश की है और क्या उसकी सिफारिशों को लागू किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : जहां तक मुझे स्मरण है, इस सम्बन्ध में एक विधेयक लाया गया था। मुझे यह पता नहीं कि विधेयक पर और आगे क्या कार्यवाही की गयी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या उस समिति ने पशुओं के साथ मानवोचित व्यवहार करने के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं, और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री कानूनगो** : वह प्रतिवेदन यहां उपलब्ध नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : बन्दरों सम्बन्धी एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि इस सम्बन्ध में हाल ही में उन्होंने नियम बनाये हैं। ये नियम सम्बन्धित मंत्री को पत्र लिखने के बावजूद पुस्तकालय में कहीं भी सुलभ नहीं हैं। वे नियम क्या हैं और कहां सुलभ हो सकते हैं ?

†**श्री कानूनगो** : वे कोई संविहित नियम नहीं हैं और इसीलिये यहां उपलब्ध नहीं होंगे। ये नियम आयात और निर्यात के संयुक्त नियंत्रक[1] से सुलभ हो सकेंगे। मुझे सदस्य महोदय का कोई पत्र नहीं मिला है।

†**श्री पट्टाभिरामन्** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस विषय पर एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक प्रायः सरकार के इसी आश्वासन पर वापस लिया गया था कि वह इसी प्रकार का विधान लायेगी, क्या सरकार इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां, हम इसे ले रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री ने केवल बन्दरों के साथ होने वाले निर्दय व्यवहार का उल्लेख किया है, क्या मैं जान सकता हूं कि आसाम से जो गैण्डे विदेशों को भेजे जाते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ?

†**श्री कानूनगो** : स्पष्ट है कि गैण्डों का निर्यात काफी आराम से होता होगा क्योंकि किसी ओर से कोई शिकायत नहीं आयी है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मंत्री महोदय को पता है कि योरोपीय देशों तक में इस मामले ने काफी ध्यान आकृष्ट किया.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रश्न क्या है ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरा प्रश्न है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्या इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है और क्या सरकार इस बात को भी ध्यान में रखती है कि जिन प्रयोजनों के लिये इन पशुओं का निर्यात किया जाता है वे भी ऐसे हों कि जिन देशों में इन्हें भेजा जाता है वहां भी इनके साथ अमानवीय व्यवहार न किया जा सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस बात की व्यवस्था के लिये क्या कोई कार्यवाही की गयी है कि जिन देशों में ये पशु जाते हैं वहां भी उनके साथ मानवोचित व्यवहार किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Joint Controller Imports and Exports.

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : असल में मेरा प्रश्न यह है कि . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें । उनका प्रश्न सब की समझ में आ गया है उसका उत्तर क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : बन्दरों को छोड़ कर अन्य पशुओं के बारे में कतई कोई शिकायत नहीं है । बन्दरों के बारे में शिकायत रही है क्योंकि उनके सम्बन्ध में प्रश्न यह है कि उनका उपयोग प्रयोगों में किया जाता है । इसके सम्बन्ध में भी मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर में यहां यह वक्तव्य दे चुका हूं कि हम ने इस बात की व्यवस्था कर दी है कि रास्ते में या ले जाते समय उनके साथ अत्यन्त मानवोचित ढंग से व्यवहार किया जाये । दूसरे प्रश्न पर समय-समय पर विचार किया जाता है ।

दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा

†*१०१०. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १५ अगस्त, १९४७ से सरकारी क्वार्टरों पर लगातार, अनधिकृत कब्जा किये रखने से सरकारी राजस्व में कितनी राशि का घाटा रहा;

(ख) अब तक एस्टेट आफिस ने बेदखलियां कराने के काम पर कितना खर्च किया है;

(ग) १५ अगस्त १९४७ के बाद वसूल न की जा सकने वाली कितनी राशि बट्टे खाते में डाल दी गई है अथवा डाली जाने वाली है; और

(घ) किस के प्राधिकार के अन्तर्गत इस बट्टे खाते की स्वीकृति दी गई थी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) अनधिकृत कब्जा समाप्त हो जाने के बाद ही हानि का हिसाब जोड़ा जा सकता है । जब तक अनधिकृत कब्जा जारी रहता है तब तक हानि का निर्धारण करना बहुत कठिन है क्योंकि अनधिकृत कब्जा करने वालों से क्षतिपूर्त्ति के रूप में किराया वसूल किया जा रहा है ।

(ख) १,१३,६२६.२५ रुपये ।

(ग) अब तक ७,३००.४० रुपये बट्टे खाते में डाले जा चुके हैं । अभी यह हिसाब लगाना सम्भव नहीं कि कितनी राशि बट्टे खाते में डाली जायेगी क्योंकि बकाया राशियां वसूल करने का अब भी प्रयत्न किया जा रहा है ।

(घ) उन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जिन्हें सरकार ने बट्टा खाता स्वीकृत करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : विस्थापित व्यक्तियों और अन्य लोगों द्वारा किये गये अनधिकृत कब्जों की अलग अलग संख्या क्या है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मेरे पास उन व्यक्तियों की अलग अलग संख्या नहीं है जिन्हों ने अनधिकृत कब्जा किया है । अधिकतर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों ने ही कब्जा कर रखा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार कठिनाई को दूर करने के लिये सम्बन्धित अधिनियमों का संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है ?

†श्री क० चं० रेड्डी : जहां तक मुझे विदित है, सरकार के समक्ष ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

†श्री कासलीवाल : क्या अब भी कई सरकारी इमारतें ऐसी हैं जिन पर १९४७ से अनधिकृत कब्ज़ा कर रखा है ?

†श्री क० च० रेड्डी : सम्भव है कि अब भी ऐसे कुछ मामले हों । इस के इतिहास से तो सभा भली भांति परिचित होगी । १९४७ में जब देश का विभाजन हुआ तो असंख्य लोग दिल्ली आये और वे उन इमारतों में रहने लगे जो उस समय खाली थीं । तब से हम उन्हें बेदखल करने की कोशिश में हैं और उन के पुनर्वास के लिये भी प्रयत्न कर रहे हैं । कुछ स्थानों पर तो उन्होंने मुकदमे भी किये हैं । यदि हम उन्हें बेदखल करने के लिये तैयार भी हों तो भी हम ऐसा नहीं कर सकते । ऐसी कई अड़चनें हैं । परन्तु बहुत सी इमारतों का कब्ज़ा अपने हाथ में लेने और उन का पुनर्वास करने में हम सफल रहे हैं । सम्भव है कि अब भी कुछ मामले ऐसे हों जिन में आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता हो :

+ द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†*१०१०–क
श्री मुरारका :
श्री हो० ना० मुकर्जी :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री राम शंकर लाल :
श्री पाणिग्रही :
श्री नरसिंहन् :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग विदेशी विनिमय की स्थिति को देखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर, उस के कार्यक्रम को पुनः क्रमबद्ध करने और प्राथमिकताओं का निश्चय करने के लिये, विचार कर रहा है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है;

(ग) क्या पुनः क्रमबद्ध करने के कार्य की रूपरेखा उपलब्ध है;

(घ) क्या यह सच है कि योजना आयोग की अर्थशास्त्री तालिका* ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि वर्तमान लक्ष्य प्राप्त करने पर लगभग ६,००० करोड़ रुपये खर्च होंगे; और

(ङ) यदि हां, तो निकट भविष्य में कुल पूंजी की लागत में कितनी कमी की जायगी ?

---

† मूल अंग्रेजी में

*Panel of Economists.

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी हां, एक प्रारम्भिक पुनरावलोकन पूरा हो गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) योजना की कार्यान्विति के लिये विदेशी विनिमय का आवंटन करते समय निम्न वर्गों में से ही परियोजनाओं की प्राथमिकता देनी होती है :

(१) इस्पात संयंत्र, कोयला, रेलवे, पत्तन और निर्दिष्ट परियोजनायें;

(२) वे परियोजनायें जो पूरी होने वाली हैं और जिन पर काफी विदेशी मुद्रा खर्च हो चुकी है ; और

(३) वे परियोजनायें जिन से शीघ्र ही विदेशी मुद्रा की आय अथवा बचत होने लगेगी तथा जिन के लिये इस प्रकार का ऋण मिल सकता है जिन की अदायगी स्थगित की जा सकती हो ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री मुरारका** : क्या हाल ही में प्रधान मंत्री के मार्ग दर्शन के अधीन कर्मचारियों की एक समिति द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत व्यय के बारे में योजना आयोग से मंत्रणा देने के लिये नियुक्त की गई थी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : हां, श्रीमान् । एक समिति विदेशी विनिमय की स्थिति पर और भविष्य में किस ढंग से काम होगा, इस बारे में विचार कर रही है ।

†**श्री मुरारका** : इस समिति की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन्हें किस प्रकार अमल में लाया जा रहा है ?

†**श्री नन्दा** : यह दल विभागीय तौर पर योजना आयोग द्वारा विचार करने के लिये आंकड़े और सामग्री एकत्र करने का काम कर रहा है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जब द्वितीय योजना का मूल प्राक्कलन तैयार किया गया तो वह ४८०० करोड़ रुपये था । फिर वह ५२०० करोड़ रुपये हो गया । यह देखते हुए कि विदेशों से मंगाई जाने वाली वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं और देश में मूल्य स्तर काफी ऊंचा है, योजना आयोग की यह धारणा कैसे है कि ५,२०० करोड़ रुपये में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह पूरा हो जायेगा ? क्योंकि प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में, माननीय सभा-सचिव ने कहा कि योजना के लक्ष्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है । मूल्य स्तर को देखते हुए यह कैसे सम्भव है ?

†**श्री नन्दा** : जब योजना तैयार की गई थी और प्रस्तुत की गई थी तो उस समय स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि इस में रूपभेद किया जा सकता है और कुछ समायोजन और कार्यक्रम को पुनः क्रमबद्ध किया जा सकता है । इस समय योजना आयोग उन बातों के कारण, जिन का उल्लेख किया जा चुका है, पुनःपरीक्षण का काम कर रहा है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : कुछ समाचार पत्रों में योजना आयोग के अर्थ विभाग[*] से प्रधान मंत्री को जून के प्रारम्भ में भेजे गये एक निराशापूर्ण कथित गोपनीय दस्तावेज़ के बारे में जो समाचार

---

†मूल अंग्रेजी में

*Economic Division

प्रकाशित हुआ था क्या वह सच है और क्या सरकार योजना में कांट छांट को रोकने के लिये, जिस की मांग गैर-सरकारी क्षेत्र कर रहा है, संसत्सदस्यों के साथ गहन परामर्श, जैसाकि १९५६ के प्रारम्भ में किया गया था करेगी और इसके पश्चात सभा में वाद-विवाद का अवसर देगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य ने किसी दस्तावेज़ को चर्चा की है जिस के बारे में ख्याल यह है कि वह मेरे पास आई है। मैं समझ नहीं सका कि वह किस दस्तावेज़ विशेष का ज़िक्र कर रहे हैं। योजना आयोग का सभापति और प्रधान मंत्री होने के नाते मेरे पास अनेक दस्तावेज़ और पत्र आते हैं। यह तो स्वाभाविक है कि मैं इन मामलों से पूरा सम्पर्क रखता हूं। मुझे कोई ऐसा दस्तावेज़ याद नहीं जो निराशापूर्ण हो। मैं सारी हालत का विश्लेषण करता रहा हूं और इस के कुछ बुरे भले पहलुओं के बारे में अपने विचार व्यक्त करता रहा हूं। सरकार को किसी प्रकार की निराशा नहीं है। वह थिति का सामना कर रही है। मैं स्पष्ट रूप से यह बता देना चाहता हूं कि इस में कई कठिनाइयां हैं जो किसी से छुपी हुई नहीं हैं। हर व्यक्ति उन्हें जानता है। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि आधारभूत रूप से भारत की अर्थ व्यवस्था बिल्कुल ठीक है और हम, जैसाकि ऐसे मामलों में प्रायः करना ही पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करेंगे। संसत्सदस्यों से परामर्श करने में हमें सदा बड़ी प्रसन्नता मिलती है मैं कोई ऐसा तरीका निकालूंगा जिस से हम हालात पर गौर कर सकें।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं यह जानना चाहता हूं कि कृषि और खाद्य की दृष्टि से जो योजना है और जिस में सरकार को लाभ होता है, उस योजना को सरकार इस में लेगी या नहीं ?

†**श्री नन्दा** : जहां तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन (कृषि उत्पादन) का सवाल है, खाद्य पदार्थों का सवाल है, उस में किसी तरह से भी कमी न हो इस के लिये पूरे तौर पर कोशिश की जायेगी।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या इस का यह अभिप्राय है कि योजना में काट छांट का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ?

†**श्री नन्दा** : प्रत्येक वर्ष योजनायें तैयार की जाती हैं और हम उन पर विचार करते हैं और बदले हुए हालात को देखते हुए जो रूपभेद आवश्यक होते हैं वे करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, हम सक्रिय रूप से यह काम कर रहे हैं।

†**श्री नरसिंहन्** : क्योंकि लक्ष्यों पर पुनर्विचार किया जाना है, क्या उन्हें वाद-विवाद और अनुमोदन के लिये सभा के समक्ष रखा जायेगा ?

†**श्री नन्दा** : वित्त और योजना की परामर्शदात्री समितियों के साथ बातचीत करने का विचार है। हम उन से विस्तृत चर्चा करेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या योजना काल में प्रत्येक वर्ष के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जा चुके हैं ?

†**श्री नन्दा** : यह कार्य तो वर्ष प्रति वर्ष किया जाता है।

†**श्री मुरारका** : कौन कौन से मुख्य योजनाओं अथवा परियोजनाओं को विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइयों के कारण निलम्बित करने अथवा उन्हें बाद में आरम्भ करने की संभावना है ?

†**श्री नन्दा** : यदि विदेशी मुद्रा की हालत हमारी आशानुकूल ठीक न हुई तो कुछ योजनाओं को बाद में आरम्भ किया जायेगा। उनके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हम इसी की जांच कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री हेम बरुआ** : मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हर एक सदस्य को अवसर नहीं मिल सकता । मैं हर तरफ देखता हूं । माननीय सदस्यों को उसी समय उ ना चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं सात बार उठा हूं । प्रश्न पर मेरा नाम भी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानता हूं कि आप का नाम है; परन्तु मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है । अगला प्रश्न ।

आयात और निर्यात

†*१०११. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे आयात और निर्यात में इस समय कितना अन्तर है ; और

(ख) क्या एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा जिस में यह बताया गया हो कि इस अन्तर को दूर करने के लिये कौन सी निश्चित कार्यवाही की गई है अथवा निकट भविष्य में करने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जनवरी-मई, १९५७ (५ मास) की अवधि में हमारे आयात का मूल्य ४०५ करोड़ रुपये और निर्यात का मूल्य २६२ करोड़ रुपये था जिस से १४३ करोड़ रुपये का अन्तर रहा ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में बताया गया है कि निर्यात को बढ़ाने और इस अन्तर को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५१]**

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय मंत्री जी ने अभी जो कुछ कहा उस को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहती हूं कि उस आयात में से कितना ग़ैर-सरकारी लेखे के अन्तर्गत आया और कितना सरकारी लेखे के अन्तर्गत आया ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास वे आंकड़े नहीं हैं । परन्तु वे आंकड़े व्यापार लेखे से उपलब्ध हो सकते हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : गत दो वर्षों के लिये कितने आयात लाइसेंस जारी किये गये थे, इन आयात लाइसेंसों के जारी किये जाने से क्या आय हुई और उन में से कितने अभी शेष हैं, अर्थात् कितने वचन दिये जा चुके हैं जिन पर सरकार को विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा ?

†**श्री कानूनगो** : हम हजारों की संख्या में लाइसेंस जारी करते हैं और स्वयं सूची ही सैकड़ों पृष्ठों की होती है । मुझे खेद है कि मैं बिना देखे हुए सूचना नहीं दे सकता ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : कम से कम कुल लाइसेन्सों की संख्या तो बताई जा सकती है....प्रश्न यह है . . . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : जब तक कि विशिष्ट रूप से प्रश्न न पूछा जाय, मैं यह जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे हजारों पृष्ठ देखने पड़ेंगे ।

†**श्री वें० प० नायर** : विवरण में मैं देखता हूं कि एक कदम जो उठाया गया है वह राज्य व्यापार निगम की स्थापना है । क्या सरकार ने इस बात का कोई निश्चय किया है कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक राज्य व्यापार निगम द्वारा इतने प्रतिशत विदेश व्यापार कर लिया जायगा ताकि राज्य व्यापार निगम विदेश व्यापार पर नियंत्रण करने की स्थिति में हो सके ?

†**श्री कानूनगो** : मैं समझता हूं कि इन मामलों में आंकड़े अव्यावहारिक हैं । राज्य व्यापार निगम का प्रयोजन निर्यात व्यापार में अधिक प्राप्त करना है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : लक्ष्य अव्यावहारिक हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां, इस संदर्भ में ।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय मंत्री ने आयात को प्रतिबन्धित करने वाली एक नई नीति घोषित की है । उस नीति की घोषणा के पश्चात् आयातों और निर्यातों के बीच का अन्तर कितना कम कर दिया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता । हम तीन महीने के बाद उस के सम्बन्ध में कुछ कह सकते हैं ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : क्या पिछले समय में देश में उत्पन्न होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं का दाम कम बनाये रखने और स्फीति का सामना करने की दृष्टि से आयात करने की जो नीति अपनाई जाती थी, वह अभी भी अपनाई जा रही है अथवा उस नीति में कोई संपरिवर्तन किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : ये धारणायें सर्वथा सही नहीं हैं । फिर भी, चालू लाइसेंस अवधि में उपभोक्ता वस्तुओं का कोई आयात नहीं है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि राज्य व्यापार निगम के पर्यालोकन के अन्तर्गत विदेश व्यापार की खपत का लक्ष्य अव्यावहारिक है । इस अव्यावहारिक लक्ष्य के लिये जिम्मेदार कौन है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : लक्ष्य स्थिर नहीं हो सकते, मैं ऐसा समझता हूं । माननीय मंत्री ने उस शब्द का प्रयोग पर्याय के रूप में किया था ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : उस की व्याख्या की जानी चाहिये ।

†**श्री मुरारजी देसाई** : इन चीजों के लिये लक्ष्य रखना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि हम उसे सरकार के लाभ की उपयुक्तता के अनुसार बदलते रहते हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : हम जापान के साथ परमानुगृहीत राष्ट्र जैसा व्यवहार कर रहे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाल में जापान ने आस्ट्रेलिया के साथ एक व्यापार समझौता किया है, मैं जानना चाहती हूं कि जापान के इस व्यापार करार का हमारे व्यापार पर क्या असर पड़ेगा क्योंकि कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं के लिये आस्ट्रेलिया हमारा एक प्रमुख बाजार है ?

†**श्री मुरारजी देसाई** : मैं भविष्यवाणियां करने का आदी नहीं हूं । समय ही उस का असर बतायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मयूरभंज स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स

†*१०१३. **श्री सूपकार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ १२० पर कंडिका ६८ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'मयूरभंज स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स' को सूत के उत्पादन के लिये चलाने के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार को कुछ निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा किस तिथि को किया गया था; और

(ख) क्या राज्य सरकार से अब तक कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को 'मयूरभंज स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स' को चलाने के लिये कुछ निबन्धनों के अधीन वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव १८ नवम्बर, १९५४ को किया था ।

(ख) जी, हां ।

†**श्री सूपकार** : उड़ीसा सरकार ने यह शिकायत की है कि उन्हें अभी तक यह पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । क्या इस के लिये डाक विभाग दोषी है और क्या सरकार इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार को एक पत्र भेजने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : मालूम होता है कि माननीय सदस्य को उड़ीसा सरकार से अधिक जानकारी है । उड़ीसा सरकार का यह कहना है कि उन्हें पत्र मिल चुका है ।

†**श्री सूपकार** : राज्य विधान सभा में उन्होंने कहा है कि उन्हें इस प्रकार का कोई पत्र नहीं मिला है ।

†**श्री कानूनगो** : मेरा निवेदन है कि राज्य विधान सभा में हुई बातों के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

†**श्री सूपकार** : जहां तक इस परियोजना का सम्बन्ध है, उड़ीसा सरकार को किन निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है ?

श्री कानूनगो : कई शर्तें हैं । मुख्य शर्त यह है कि उपक्रम संतुलित होना चाहिये और एक सहकारी संस्था या सरकार द्वारा इस का कार्य प्रबन्ध किया जाना चाहिये और समस्त उत्पादन हथकरघा बुनकरों को प्राप्य होना चाहिये ।

†**श्री सूपकार** : उड़ीसा सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

†**श्री कानूनगो** : उड़ीसा सरकार उपक्रम में इस ५ लाख रुपये की राशि से अधिक पूंजी नहीं लगाना चाहती है । क्योंकि उड़ीसा सरकार इस समय अधिक पूंजी लगाने की स्थिति में नहीं है इसलिये वह वर्तमान ३,००० के लगभग तकुओं से ही संस्थापन को चलाने की सोच रही है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : एक दर्जन से अधिक कपड़ा मिलों को वित्तीय कठिनाइयां पेश आ रही हैं और उन्हें बन्द कर दिया गया है और वे न तो बम्बई में और न ही अहमदाबाद के वस्त्र केन्द्रों में स्थित हैं । क्या सरकार वहां अपने अधिकारियों को भेज कर यह मालूम करने के लिये कि उन्हें क्या कुछ चाहिये उन्हें वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ताकि उन मिलों में उत्पादन जारी रहे और कर्मचारियों की नौकरी भी बनी रहे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : इस प्रकार के सभी मामलों की पूछ-ताछ की जाती है और जहां कहीं सम्भव हो वहां सहायता दी जाती है । ऐसे सभी मामलों में हम उन की सहायता करने का प्रयत्न करते हैं ।

†**श्री रंगा** : यह देखने के लिये कि इस मिल में पूरी दक्षता से काम हो और इस मिल द्वारा उत्पादित सूत हथकरघा बुनकरों को दिया जाये क्या उड़ीसा सरकार तथा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की भागिता के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : उन की सहायता के लिये सदैव प्रयत्न किये जाते हैं । परन्तु राज्य सरकार अंश का अपना भाग देने की स्थिति में नहीं है ।

जूतों का निर्यात

†*१०१६. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९५७ तक रूस को निर्यात किये गये जूतों की कीमत कितनी थी; और

(ख) क्या जूतों तथा चमड़े के अन्य सामान के सम्भरण के लिये रूस के साथ किसी अग्रेतर करार पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ७१,७३,०७५ रुपये ।

(ख) जी, हां; केवल जूतों के लिये ही ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जूतों तथा चमड़े से बनने वाली अन्य वस्तुओं के लिये विशेष रूप से बाल्टिक क्षेत्र तथा चीन में और अन्य स्थानों पर भी नई मंडियां ढूंढने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री कानूनगो** : पहिले तो खरीदार तैयार होने चाहियें । संभाव्य खरीदारों की हम सदैव तलाश में रहते हैं ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैं यह जानना चाहता था कि भारत सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं ? क्या उन में से भी किसी देश के साथ कोई बातचीत की जा रही है ?

†**श्री कानूनगो** : उन में से किसी देश ने भी हमारे जूतों में कोई अभिरुचि नहीं दिखाई है ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : इस उद्योग में प्रवीण कर्मियों की संस्थाओं या सहकारी समितियों द्वारा इस ठेके का कितना माल दिया गया था ?

†**श्री कानूनगो** : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने सहकारी समितियों से सामग्री प्राप्त की थी और लगभग २,५०,००० जूतों के जोड़े भेजे थे ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : इस ठेके के कारण अनुसूचित जाति के कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे विचार से केवल अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही जूते नहीं बनाते हैं । अन्य व्यक्ति भी बनाते हैं । अनुसूचित जाति के जिन व्यक्तियों ने जूते दिये हैं उन की संख्या से संबंधित आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री तिम्मय्या : क्या यह सच है कि निगम द्वारा १८ रुपये के हिसाब से एक जोड़ी जूता खरीदा जा रहा है जबकि रूस में इसे १०० रुपये से भी अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है ? इतनी कम दर नियत करने का कारण क्या है ?

†**श्री कानूनगो :** ये आंकड़े पूर्णत: ग़लत हैं और इस सभा में सौदे के क्रय तथा विक्रय संबंधी दाम के आंकड़े बताना मेरे लिये उचित न होगा ।

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का गुजरात में आगमन

†*१०१८. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कराची में भारतीय उच्चायोग द्वारा जिन पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को पारपत्र सुविधायें प्रदान की गई थीं उन में से कितने व्यक्ति १९५६-५७ में अपने संबंधियों से मिलने गुजरात आये थे; और

(ख) क्या यह सच है कि कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजन कच्छ मरूस्थल तथा गुजरात के उत्तर और पश्चिम में भारत-पाकिस्तान सीमा से हो कर उत्तरी गुजरात में तथा गुजरात के अन्य भागों में चोरी छिपे आये थे ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्य होने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर :** जो पाकिस्तानी राष्ट्रजन अभी तक पाकिस्तान वापिस नहीं गये हैं उन की कुल संख्या कितनी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सभा-सचिव ने कहा है कि आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं ।

†**श्री रंगा :** प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब भी यह अवैध प्रवेश जारी है ? क्या अब भी कच्छ तथा गुजरात हो कर पाकिस्तान से हमारे देश में लोग आ रहे हैं ?

†**श्री सादत अली खां :** जैसाकि मैं बता चुका हूं, जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

†**श्री रंगा :** यह तो समस्या की महत्ता से सम्बन्धित जानकारी के सम्बन्ध में है, परन्तु क्या वह समस्या अब भी हमारे सामने मौजूद है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह जानना चाहते हैं कि यद्यपि वास्तविक आंकड़े प्राप्य नहीं हैं तथापि क्या अब भी कच्छ तथा गुजरात के द्वारा पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** खुले रूप से या चोरी छिपे ?

†**श्री रंगा :** जैसे भी हो, आप को उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वह तो हम करते हैं, यदि हम नहीं पकड़ पाते वे हम से बच जाते हैं । मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक आने वाले व्यक्ति की खोज लग जाती है; परन्तु सामान्यत: समुचित काग़ज़ों के बिना आने वाले व्यक्ति गिरफ्तार कर ही लिये जाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जोकीम आल्वा** : श्रीमान्, एक प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगले प्रश्न के लिये कह चुका हूं ।

इंजीनियरी की छोटे पैमाने की संस्थायें[१]

†***१०१९. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा (पश्चिमी बंगाल) में इंजीनियरी सम्बन्धी छोटे पैमाने की संस्थाओं के विकास के लिये संघ सरकार द्वारा हाल ही में एक योजना अनुमोदित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना के लिये सहायतार्थ कितनी रकम पृथक रखी गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). हावड़ा (पश्चिमी बंगाल) में इंजीनियरी सम्बन्धी छोटे पैमाने की संस्थाओं के विकास के लिये भारत सरकार ने हाल ही में पश्चिमी बंगाल सरकार की किसी पृथक योजना का अनुमोदन नहीं किया है । हां, हावड़ा में इंजीनियरी संबंधी छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये एक योजना कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५४-५५ में पश्चिमी बंगाल सरकार को १.९० लाख रुपये का अनुदान तथा ११.८३ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया था ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : कच्ची सामग्री के सम्भरण के सम्बन्ध में और यदि आवश्यक हो तो छोटे पैमाने की इन संस्थाओं के लिये वित्त की व्यवस्था के सम्बन्ध में क्या कोई विशिष्ट प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : दोनों ही के लिये प्रबन्ध किये गये हैं । लघु उद्योगों की कच्ची सामग्री के लिये हमारा एक विशिष्ट पृथक कोटा है और हम पश्चिमी बंगाल सरकार को जो धन आवंटित करते हैं उस में से राज्य सरकार वित्त की व्यवस्था करती है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या रेलों द्वारा छोटे पैमाने की इन संस्थाओं को कुछ आर्डर दिये गये थे और क्या इन आर्डरों के फलस्वरूप जो माल दिया गया था रेलें उस से पूर्णतः सन्तुष्ट थीं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : भारत सरकार की यह सामान्य नीति रही है कि सम्भरण महा-निदेशालय के क्रय का छोटा सा हिस्सा छोटे पैमाने के उद्योगों के द्वारा खरीदा जाना चाहिये और हावड़ा में इस संस्था द्वारा इस का अत्यधिक लाभ उठाया गया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मैं जान सकती हूं कि १९५४-५५ में वित्त की कितनी राशि आवंटित की गई थी और क्या उस में कुछ कमी हुई थी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक इन अनुदानों का सम्बन्ध है, वे व्यपगत नहीं होते और हम प्रत्येक वर्ष उन्हें पुनः प्रवर्तित करते रहते हैं । वस्तुतः इस वर्ष भी हम ने पश्चिमी बंगाल सरकार को उस राज्य में छोटे पैमाने के समस्त उद्योगों के लिये ३४ लाख रुपये का नया अनुदान तथा ऋण दिया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं यह जानना चाहती थी कि १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में इसमें से कितनी रकम का उपयोग किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] Small Scale Engineering Concerns.

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि माननीय सदस्य की वस्तुतः इसमें अभिरुचि है तो मैं उन्हें आंकड़े बता दूंगा, परन्तु अब मेरे पास जो जानकारी है वह यह है कि उस विशिष्ट वर्ष में इस योजना पर उस राशि से लगभग ५० लाख रुपये अधिक खर्च किए गए हैं।

†**श्री हेडा** : बम्बई, हैदराबाद आदि स्थानों पर इंजीनियरी उद्योग में अत्यन्त प्रवीण व्यक्तियों की प्राप्यता को देखते हुए क्या अन्य स्थानों में भी इसी प्रकार की योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां, लगभग प्रत्येक राज्य में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का हमारा कार्यक्रम है। उन बस्तियों में से ५० प्रतिशत से भी अधिक का कार्य संचालन इंजीनियरिंग उद्योगों द्वारा किया जाता है।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : छोटे पैमाने के उद्योगों की कच्ची सामग्री, इस्पात के सम्भरण के संबंध में राजकीय सहायता के लिए क्या कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है, परन्तु हम उन्हें समकृत दाम देने का प्रयत्न करते हैं और यह रियायत संगठित तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को भी मिलती है।

†**श्री अ० चं० गुह** : वे योजनायें क्या थीं जिनके लिए इन ऋणों तथा अनुदानों की मंजूरी दी गई थी और क्या मशीनों तथा औजारों के आधुनिक-करण और उत्पाद के प्रतापीकरण के लिए कुछ किया गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ये ऋण तथा अनुदान वस्तुतः मशीनों के खरीदने के लिए दिए गए थे। इसलिए आधुनिक-करण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यह छोटे पैमाने के उद्योग के ऐसे सामान के उत्पादन के लिए भी थे जो रेलों या भिन्न उद्योगों को सुगमता से बेचा जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : राजा महेन्द्र प्रताप।

राजा महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न नं० १०२१ है उसका जबाब मिनिस्टर साहब मेहरबानी करके हिन्दुस्तानी में दें।

दिल्ली में भूमि का अर्जन

†*१०२१. **राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के निकट चार गांवों, अर्थात्, मोहम्मदपुर, मुनीरका, हुमायूं तथा हौज खास की भूमि सरकार द्वारा अर्जित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय वहां रहने वाले लोगों को बसाने के लिए सरकार का क्या कार्य-वाही करने का प्रस्ताव है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० चं० रेड्डी)** : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : प्रश्न अंग्रेजी में रखा गया है और माननीय सदस्य हिन्दी में पूछ रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : जब कभी भी हिन्दी में प्रश्न पूछा जाय तो यह आशा की जाती है कि उत्तर हिन्दी में ही हो। जो माननीय सदस्य हिन्दी नहीं जानते हैं उनके लाभ के लिए अंग्रेजी अनुवाद भी दिया जाता है। यदि कोई माननीय सदस्य अंग्रेजी में प्रश्न पूछता है तो उसे अंग्रेजी में ही उत्तर सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिये। यदि उसे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है और यदि वह हिन्दी में अनुपूरक प्रश्न पूछता है तो निश्चित रूप से मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह दे सकते हों तो हिन्दी में उत्तर दें। एक प्रकार का समायोजन होना चाहिये। यह कोई परीक्षा भवन नहीं है जहां हिन्दी न जानने वाले व्यक्ति हिन्दी जानने के लिए यहां आयें। इसलिए मैं यह देखने का प्रयत्न करूंगा कि प्रत्येक माननीय सदस्य प्रश्न को अच्छी तरह से समझें।

†**श्री क० च० रेड्डी** : इस मामले के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि प्रश्न की सूचना हिन्दी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में दी गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां। उत्तर अंग्रेजी में दिया जाय।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : मुझे आपके अंग्रेजी में उत्तर देने पर कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं उत्तर फिर पढ़ता हूँ :

(क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जो भूमि अर्जित की जा रही है वह भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों और सैनिकों की है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मुझे मालूम नहीं है। मेरे पास ऐसी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है कि किन व्यक्तियों से यह भूमि अर्जित की जा रही है और क्या उन में कुछ भूतपूर्व सैनिक अधिकारी हैं या नहीं ? मुझे इसकी जांच पड़ताल करनी होगी।

राजा महेन्द्र प्रताप : यह भी तो बताइए कि आप इन लोगों को किस तरह से दूसरी जगह बसाना चाहते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : विशेष रूप से जब कि मंत्री महोदय हिन्दी में उत्तर नहीं दे सकते हैं तो माननीय सदस्य को अंग्रेजी में प्रश्न पूछना चाहिये था। प्रश्न यह है....

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात की अनुमति नहीं दे सकता कि बारी-बारी से एक बार प्रश्न हिन्दी में पूछा जाये और एक बार अंग्रेजी में।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : जब आप इन व्यक्तियों से भूमि अर्जित कर रहे हैं तो आप इन्हें दूसरी जगह किस प्रकार से बसा रहे हैं ? क्योंकि मैं आपको यह बता दूं कि एक प्रदर्शन हुआ था और लोग इस संबंध में बहुत ही उत्तेजित थे। मेरे विचार में माननीय प्रधान मंत्री की भी इसमें अभिरूचि होगी। सैंकड़ों या हजारों की संख्या में स्त्रियां प्रधान मंत्री के पास पहुंची थीं और उन्होंने मामले को अभ्यावेदित किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य हिन्दी में बोले या अंग्रेजी में, मैं उन्हें नहीं समझ रहा हूं।

†**श्री क० च० रेड्डी** : क्या मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या इन विस्थापित व्यक्तियों के लिए किसी वैकल्पिक स्थान का प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं उनका प्रश्न समझ गया हूं। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की गई है या सरकारी प्रयोजनों के लिए अर्जित की जा रही है उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? हम सरकारी प्रयोजनों के लिये लगभग १,१०० एकड़ भूमि का अर्जन कर रहे हैं। वास्तव में, अर्जन पूरा हो चुका है। इन ११,०० एकड़ भूमि में तीन या चार गाँव भी सम्मिलित हैं।

वह भूमि, जिस पर वहां के ग्रामीण लोग काश्तकारी करते हैं, वर्ग (क) में आती है, और आवास स्थान, जहाँ वे ग्रामीण वास्तव में रह रहे हैं, अर्थात् आबादियां वर्ग (ख) में आती हैं। वर्ग (क) के अधीन आने वाली सम्पूर्ण भूमि का अर्जन हो चुका है। वर्ग (ख) के अधीन आने वाली भूमि का अभी तक अर्जन नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पर लोग अभी तक रह रहे हैं। सरकार ने अभी तक यह निश्चय नहीं किया है कि क्या वर्ग (ख) के अधीन आने वाली भूमि का अर्जन किया जाये या न किया जाये। मामला अभी विचाराधीन है।

जहां तक वर्ग (क) के अधीन आने वाली भूमि का संबंध है इसमें हमें ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिनका कि किसी भी नगर के विस्तार के लिये भूमि के अर्जन करने पर सामना करना पड़ता है। उनके व्यवसायों की दृष्टि से उनका पुनर्वास कैसे किया जाये—यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे अलग रूप से हल करना होगा—अर्थात् इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि क्या उन्हें किसी अन्य स्थान पर भूमि दी जा सकती है या क्या उनके लिये रोज़गार का कोई प्रबन्ध किया जा सकता है, आदि। यह पुनर्वास संबंधी एक सामान्य समस्या है जिसका केवल दिल्ली से ही संबंध नहीं, अपितु यह एक ऐसी समस्या है जिसे हर जगह हल करना पड़ता है। सारा मामला विचाराधीन है।

हम सारे मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। हम जहां तक किसी की सहायता कर सकते हैं, वहां तक करते हैं और यह नहीं चाहते कि किसी को भी कोई कठिनाई हो या किसी को उसके स्थान से उखाड़ा जाये। परन्तु यदि दिल्ली के विस्तार के लिये उन्हें फिलहाल उनके स्थानों से हटाना आवश्यक हुआ भी तो हम इस बात को सदा अपने ध्यान में रखेंगे कि उन देहातियों को कैसे पुनः बसाया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या भूमि ली जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय**: अगला प्रश्न।

गोआ से विस्थापित परिवार

†***१०२२. श्री आसर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ से भारत आये हुये विस्थापित परिवारों में से कितने परिवार रत्नगिरि, बेलगांव और करवार जिलों में रह रहे हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने इन विस्थापित व्यक्तियों या परिवारों को कोई सहायता दी है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). इस संबंध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। तो भी, यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : मिस्री सचिव इस मामले की जांच करने के लिये अन्तिम बार कब गोआ गये थे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : माननीय सदस्य ने जानकारी मांगी है और हम अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने के लिये जिला प्राधिकारियों से पूछ ताछ कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

शक्ति चालित करघे

†*१०२३. **श्री जाधव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में शक्ति चालित करघों का निर्माण होता है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस सार्थ द्वारा और उनका कुल कितना वार्षिक उत्पादन होता है; और

(ग) देश में शक्ति चालित करघों की कितनी वार्षिक आवश्यकता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्ज सेंट्रल इंडिया मैशिनरी मैन्फैक्चरिंग कम्पनी लिमिटिड, ग्वालियर, मैसर्ज कपूर इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटिड, सतारा, और मैसर्स मैसूर मैशिनरी मैन्युफैक्चरर्स, बंगलौर, शक्ति चालित करघों का निर्माण करते हैं। १९५६ में शक्ति चालित करघों का कुल उपादन २७१२ था और १९५७ में उनके उत्पादन का दर ३२०० है।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राक्कलित औसत वार्षिक मांग ६,१२५ करघों की है।

†**श्री जाधव** : क्या इस प्रकार के कुछ शक्ति चालित करघे आयात भी किये जाते हैं; और यदि हां, तो कितने ?

†**श्री मनुभाई शाह** : १९५५ में लगभग २००० करघे और १९५६ में लगभग १८०० करघों का आयात किया गया था।

†**श्री रंगा** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सहकारी संस्थाओं के द्वारा इस काम के करने में बहुत कम राज्य सरकारें राजी हैं और फिर विनियम में भी कई कठिनाइयां हैं, क्या सरकार इस प्रकार के और अधिक शक्ति चालित करघों के आयात के लिये लाइसेंस देने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** यहां पर जिस शक्ति चालित करघे का उल्लेख किया गया है, उससे हमारा तात्पर्य ऐसे किसी भी करघे से है जो कि शक्ति द्वारा चलता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि इन्हें जरूर ही शक्ति चालित करघे के क्षेत्र में लगाया जाये कपड़े की मिलों में भी लगाये जा सकते हैं। हमारी नयी आयात नीति यह है कि सिवाय उन करघों के जिनके सम्बन्ध में सरकार यह निश्चित रूप से समझती है कि उनका भारत में निर्माण नहीं होता, अन्य सभी प्रकार के करघों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये।

राजेन्द्र मार्केट, दिल्ली

†*१०२४. **श्री कोडियान :** क्या पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली का राजेन्द्र मार्केट १९४८ में ५ वर्ष के लिये बनाया गया था, और उस अवधि की समाप्ति के बाद नोटिफाइड एरिया कमेटी सिविल स्टेशन, दिल्ली, ने नवीकरण नहीं किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या राजेन्द्र मार्केट के इसी स्थान पर एक स्थायी मार्केट बनाने का कोई विचार है; और

(ग) क्या वहां के निवासियों और दुकानदारों को कोई वैकल्पिक स्थान दिया जायेगा ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उनमें से पात्र व्यक्तियों को वैकल्पिक स्थान प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु बहुत कम व्यक्तियों ने उसे स्वीकर किया है। अब कोई अन्य वैकल्पिक स्थान देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री कोडियान :** क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वर्तमान मार्केट काफी पुराना है, और वहां के दुकानदार वहां पर कारबार चलाने में बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, क्या सरकार वहां पर नया मार्केट न बनाने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर दे दिया गया है और वह नकारात्मक है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जहां तक संभव हो अपने सुझाव देने का प्रयत्न न करें। वे केवल जानकारी मांग सकते हैं।

राजस्थान का औद्योगीकरण

†*१०२५. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा-नांगल परियोजना से प्राप्त होने वाली जल-विद्युत् से बीकानेर और जोधपुर डिवीज़नों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से राजस्थान और विशेषकर बीकानेर और जोधपुर डिवीज़नों के औद्योगिक विकास के संबंध में कोई योजना तैयार की गयी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उस योजना का ब्योरा सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने इस अविकसित राज्य के औद्योगिक विकास के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख) . संभवतः माननीय सदस्य राजस्थान सरकार की उस प्रस्थापना की ओर निर्देश कर रहे हैं जिसमें हनुमान गढ़ एक ऐसी उर्वरक (अमोनियम सल्फेट) फैक्टरी की स्थापना के संबंध में सुझाव था। इस प्रस्तावित फैक्टरी का विशेष रूप से संबंध भाखड़ा नांगल से प्राप्त होने वाली बिजली से था। इस योजना पर पूर्ववर्त्ती उत्पादन मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा विचार किया गया था, परन्तु उस समय यह योजना स्वीकार नहीं की गयी, क्योंकि राजस्थान से बाहिर के अन्य स्थान अधिक अच्छे समझे गये।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के लिये निम्न लिखित योजनाओं के लिये व्यवस्था की गयी है :

(१) साल्ट बिटर्न से सोडियम सल्फेट आदि तैयार करने के लिये अग्रिम संयंत्र गवेषणायें; और

(२) ३५.१५ लाख रुपयों की लागत से एक सहकारी चीनी फैक्टरी की स्थापना। इसके अतिरिक्त उस राज्य में ग्राम और छोटे उद्योगों के लिये ५ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

†**श्री करणी सिंह जी** : क्या भारत सरकार राजस्थान की औद्योगिक प्रगति से सन्तुष्ट है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसकी प्रगति पहले की अपेक्षा बेहतर है, और हम इस प्रगति को और भी अधिक बढ़ाने का पूरा-पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री कासलीवाल** : सरकार ने हाल ही में राजस्थान नहर व्यवस्था का काम प्रारम्भ करने की कृपा की है, और मुझे यह पता चला है कि यह नहर व्यवस्था संसार में सबसे बड़ी व्यवस्था होगी; इससे लगभग तीस चालीस लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। स्वभावतः कई उद्योग भी प्रारम्भ हो जायेंगे। क्या सरकार की नहरों के साथ साथ उद्योग स्थापित करने की योजना है या ऐसी योजना बनाने का विचार रखती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि सभा को पूर्वरूपेण ज्ञात है, हमने सरकारी क्षेत्र में कई उद्योगों की व्यवस्था की है। योजना में अभी तो कोई विस्तार नहीं किया जा सकता। विस्तार केवल उसी स्थिति में किया जायेगा जबकि वैसा करना अनिवार्य होगा।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछले ही सप्ताह मैं जयपुर गया था, मैंने देखा कि वहां पर गैर-सरकारी उद्योगों की स्थापना करने और उनमें धन विनियोग करने के सम्बन्ध में पर्याप्त उत्साह था। वास्तव में वहां पर सीमेन्ट का उद्योग बढ़ रहा है। सम्भवतः कुछ एक वर्षों में उत्पादन की दर बढ़ कर ११ लाख टन प्रति वर्ष हो जायेगी।

†**श्री मुरारका** : राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आज तक राजस्थान के औद्योगिक विकास पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : मूल प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । परन्तु मैंने बताया है कि राजस्थान के लिये कई योजनायें हैं और छोटे उद्योगों और ग्रामोद्योगों के लिये ५ करोड़ रुपयों की व्यवस्था कर दी गयी है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिये स्थान के सम्बन्ध में मंत्री जी ने यह कहा है कि वे स्थान कहीं अधिक अच्छे हैं जहां इस समय कारखाने हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस 'कहीं अधिक अच्छे शब्दों से उनका क्या तात्पर्य है ? क्या इसका यह अर्थ है कि तीनों उर्वरक कारखानों से उत्पादित होने वाला उर्वरक आर्थिक दृष्टि से राजस्थान के उर्वरक की अपेक्षा अधिक सस्ता पड़ेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह**: मैं इस प्रश्न को दो भागों में विभक्त कर सकता हूं । 'कहीं अधिक अच्छे' शब्दों से मेरा तात्पर्य यह था कि उन स्थानों पर, जो कि इस काम के लिये अब चुने गये हैं और जहां कि इस समय कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं, उर्वरक की उत्पादन लागत उससे कम पड़ेगी जो कि हनुमानगढ़ में कारखाना स्थापित किये जाने की हालत में पड़ती ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है इस देश में उत्पादित उर्वरक आयात किये गये उर्वरक की अपेक्षा लगभग ६० रुपये प्रति टन सस्ता पड़ता है ।

लोक-नृत्य पर प्रलेख चल-चित्र

†*१०२६. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के लोक नृत्यों पर प्रलेख (डाक्यूमेंटरी) चल-चित्र कब तक प्रदर्शन के लिये तैयार हो जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : फिल्म लगभग पूरी हो गई है और प्रतियां बनाने के लिये बाहर भेजी जा चुकी है । प्रदर्शन के लिये इसे जल्द ही प्रकाशित करने की आशा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या आदिम जाति क्षेत्रों के लोक नृत्य भी इसमें सम्मिलित किये गये हैं; और यदि हां, तो उनके लिये फिल्म का कितना अनुपात निर्धारित किया गया है ?

†**डा० केसकर** : मेरे लिये अनुपात बताना कठिन है । यह कोई ऐसा चित्र नहीं है जिसमें किसी विशेष प्रदेश के लिये कोई विशेष अनुपात निर्धारित किया गया हो । यह एक सम्पूर्ण चित्र होगा, और इसके पूर्वरूपेण तैयार हो जाने के बाद ही मैं इसके ब्यौरे बता सकूंगा ।

सरदार अ० सिं० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के जो फ़ोक डांसेज़ (लोक नृत्य) हैं उनका उसमें क्या हिस्सा होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य देश के अलग अलग भागों के सम्बन्ध में प्रश्न न पूछते जायें

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में खेल-कूद के सामान का उद्योग[10]

†*१००४. **श्री श्री नारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार की गयी और मंजूरी के लिये भेजी गयी खेल-कद के सामान के उद्योग के विकास से सम्बन्ध रखने वाली एक योजना पर विचार किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[10] Sports Goods Industry.

(ख) यदि हां, तो वह योजना किस प्रकार की है और उसमें कितना वित्त निहित है;

(ग) इस योजना से कितने व्यक्तियों को काम मिल सकेगा; और

(घ) क्या मंजूरी दे दी गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) भारत सरकार को दिल्ली प्रशासन से खेल-कूद के सामान के उद्योग के विकास के लिये कोई योजना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रूई के वायदे के सौदे

***१००९. श्री राघे लाल व्यास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन और इन्दौर के क्षेत्रों में जब से रूई के वायदे के सौदे आरम्भ हुये हैं तब से अब तक उनसे क्रमशः कितनी आय हुई है ;

(ख) इन दोनों रिंग्स और सेण्ट्रल इन्डिया काटन एसोसियेशन के मुख्य कार्यालय द्वारा प्रति मास कितना रुपया खर्च किया गया ; और

(ग) क्या यह सच है कि इन स्थानों में होने वाली आय और खर्च को देखते हुये वायदा सौदा आयोग उक्त एसोसियेशन के मुख्य कार्यालय को हटा कर किसी अन्य स्थान पर ले जाने का विचार कर रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). सभा की मेज पर दो विवरण रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(ग) जी, नहीं।

दुर्गापुर शरणार्थी कैम्प

***१०१२. श्री ह० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री दुर्गापुरा शरणार्थी कैम्प के बारे में ३० मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसे सभा-पटल पर रखेगी ?

पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है। **[देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५३]**

रेशम-कृमि पालन प्रशिक्षण योजना[11]

†***१०१५. श्री रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से एक रेशम कृमि पालन प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ करने के लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है ;

(ख) क्या दोनों प्रशिक्षण केन्द्र उसी राज्य में ही स्थापित होंगे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[11]Sericultural Training Scheme

(ग) प्रशिक्षणार्थियों के लिये क्या क्या अर्हताएं अपेक्षित हैं;

(घ) प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी; और

(ङ) क्या रेशम कृमि पालन प्रशिक्षण में प्रवेश प्राप्त करने के इच्छुक निर्धन वर्गों के व्यक्तियों को कोई छात्रवृत्तियां दी जायेंगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) २७,३१९ रुपये ।

(ख) प्रशिक्षण-तथा-प्रदर्शन रेशम फार्म[११] निज़ामाबाद ज़िले के भीकनूर स्थान पर स्थापित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त रेशमकृमि पालन के विषय को स्कूलों में एक शिल्प के रूप में प्रारम्भ करने के लिये अनन्तपुर और चित्तूर जिलों में एक एक प्राथमिक या बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल चुना जायेगा । उन स्कूलों को अभी चुना नहीं गया है ।

(ग) कोई विशेष अर्हतायें निर्धारित नहीं की गई हैं । परन्तु प्रादेशिक भाषा को पढ़ने और लिखने की योग्यता होना अनिवार्य है ।

(घ) ६ मास ।

(ङ) जी हां । प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्र शिक्षण की अवधि में २० रुपये मासिक दिया जायेगा ।

वर्जीनिया तम्बाकू का राज्य व्यापार

†*१०१७. **श्री बलराम कृष्णय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है कि वर्जीनिया तम्बाकू का निर्यात व्यापार भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के द्वारा उसी प्रकार से चलाया जाये जैसा कि खनिजों के सम्बन्ध में किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादकों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस सम्बन्ध में अभी तक क्या क्या कार्रवाही की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

औद्योगिक आस्थान

*१०२७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कुछ औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या होगी और वे कहां कहां स्थापित किये जायेंगे;

(ग) उनकी स्थापना व संचालन के लिये केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी पूंजी लगाई जायेगी; और

(घ) प्रत्येक आस्थान की स्थापना की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[११] Training-cum demonstration Silk farm

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). एक विवरण सदन की मेज़ पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४**]

अल्जीरिया

†*१०२८. **श्री कासलीवाल** :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत ने २० अन्य एशियायी-अफ्रीकी राष्ट्रों सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से यह प्रार्थना की है कि अल्जीरिया के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के १२वें नियमित सत्र की कार्यावलि में सम्मिलित किया जाये ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : जी, हां। "अल्जीरिया का प्रश्न" मद को कार्यावलि में सम्मिलित करने का सुझाव १६ जुलाई को दिया गया था और वह महासभा की अस्थायी कार्यावलि में सम्मिलित कर दिया गया है।

हथकरघे का कपड़ा

†*१०२९. **श्री सुगंधि** ; क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ और १९५६–५७ में राज्यवार हथकरघे का कितना कपड़ा तैयार किया गया;

(ख) इन वर्षों में राज्यवार कितनी मात्रा पर छट दी गयी; और

(ग) उपरोक्त वर्षों में सारे देश भर में हथकरघे का कुल कितना कपड़ा तैयार हुआ और उसमें से कितने प्रतिशत कपड़े पर छट दी गयी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) राज्यवार उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १९५५-५६ और १९५६–५७ में हथकरघे के कपड़े का कुल अनुमानित उत्पादन क्रमशः १४७१० और १५९९० लाख गज़ था।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें छट योजना के अधीन बिके कपड़े की कीमत बतायी गयी है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५५**] मात्रा सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) भाग (क) में उल्लिखित आंकड़ों के आधार पर १९५५–५६ और १९५६–५७ के लिये प्रतिशत क्रमशः १३ और १६.५ प्रतिशत है।

आकाशवाणी में ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव

†*१०३०. **श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आकाशवाणी में 'ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव' के नये पदों की मंजूरी दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या आवश्यकता है; और

(ग) उन पर प्रतिवर्ष कितना खर्च आयेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). कोई भी नये पद नहीं बनाये गये हैं ।

वर्तमान ट्रांसमिशन एसिस्टेंटों के कार्यों में किये गये परिवर्तनों के कारण यही अच्छा समझा गया कि ट्रांसमिशन एसिस्टेंटों के पद समाप्त करके उनके स्थान पर नये पद बना दिये जायें जिन्हें ट्रांसमिशन एक्ज़ीक्यूटिव कहा जाये । जिन पदों के लिये मंजूरी दी गयी है, वे तो वास्तव में ट्रांसमिशन एसिस्टेंटों के वेतन क्रम के ही रिक्त स्थान थे जिन्हें भरना आवश्यक समझा गया था क्योंकि उस विभाग में कर्मचारियों की संख्या पहले ही कम है ।

(ग) ट्रांसमिशन एसिस्टेंटों के स्थान पर प्रस्थापित ट्रांसमिशन एक्ज़ीक्यूटिव नियुक्त करने से पर्याप्त बचत होगी, क्योंकि उनका वेतन क्रम, ट्रांसमिशन एसिस्टेंटों के वेतन क्रम की अपेक्षा कम है ।

सीमेंट के कारखानें

†***१०३१. श्री विभूति मिश्र** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन दूरस्थ स्थानों पर सीमेंट के कारखाने स्थापित करने का विचार रखती है जहां परिवहन की ऊंची कीमतें तथा अन्य स्थानीय कारण अपेक्षाकृत कम पैमाने पर सीमेंट उत्पादन का औचित्य सिद्ध करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जिन स्थानों पर ये कारखाने खोले जा रहे हैं उनके नाम क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). देश के विभिन्न भागों में जहां कहीं चूने के पत्थर कम हैं वहां ३०,००० से ५०,००० टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता की छोटी-छोटी सीमेंट फैक्टरियां स्थापित करने के लिये सरकार को सुझाव प्राप्त हुए हैं । यह सुझाव विचाराधीन हैं । इस प्रकार की फैक्टरियों के लायसेंस के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्णय करने से पूर्व सरकार इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी ।

इस्पात और सीमेंट के प्रयोग में मितव्ययता

***१०३२. श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मितव्ययता की दृष्टि से ऐसे सब भवनों का निर्माण न करने की हिदायतें दे दी गई हैं, जिन के निर्माण में इस्पात और सीमेंट की अधिक आवश्यकता है ?

(ख) यदि हां, तो ये हिदायतें किन-किन भवनों पर लागू होंगी; और

(ग) उन भवनों में से प्रत्येक पर कितना-कितना धन व्यय होने का अनुमान है ;

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अ० कु० चन्दा) : (क) जी, नहीं । जो इमारतें पहले से बन रही थीं उनका बनना हमेशा की तरह जारी है । जिन नई इमारतों की लागत २०,००० रुपये से अधिक है, सम्बन्धित मन्त्रालयों के इकानोमी बोर्ड उनका पुनर्विलोकन करते हैं और वे सीमेंट और लोहे की कमी को भी ध्यान में रखते हैं ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा ही नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हथकरघा श्रमिकों के लिये आवास-व्यवस्था

†* १०३३. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री गणपति राम :
श्री राम शंकर लाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा श्रमिकों के लिये मकान निर्माण की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितने और किन-किन राज्यों में इस तरह के मकान बनायें जायेंगे; और

(ग) इस योजना की क्रियान्विति में कितनी लागत लगेगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित ढंग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मकानों की बस्तियों के बारे में योजनाएं तैयार की जाती हैं।

(ख) आंध्र प्रदेश, मद्रास, केरल, बम्बई, मैसूर, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में १६७० मकानों के निर्माण की योजनाएं सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं।

(ग) ६२,०३,२३३ रुपये।

आंध्र प्रदेश के लिये कार्य तथा अनुस्थितिज्ञान केन्द्र [१३]

†*१०३५. **श्री रामकृष्ण रेड्डी:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आंध्र प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के मस्तिष्क में स्वावलम्बन की भावना और शारीरिक श्रम के प्रति आदर पैदा करने के लिये सरकार कुछ कार्य तथा अनुस्थितिज्ञान केन्द्र निकट भविष्य में आरम्भ करने का विचार रखती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

नमक का निर्यात

†*१०३६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७ में भारतीय नमक के निर्यात के लिये कोई नये बाजार ढूंढ़े गये हैं;

(ख) क्या नमक के निर्यात को बढ़ाने के लिये कोई विशेष प्रयत्न किये गये हैं अथवा करने का विचार है; और

(ग) नमक के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी, हां। विदेशों को भेजा जाने वाला नमक उपकर से मुक्त कर दिया गया है। निर्यात की सम्भावना नमक निर्माता एसोसियेशन को बताई जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१३] Work and Orientation Centre.

(ग) १ जनवरी से ३० जून, १९५७ तक निर्यात किये गये नमक की कुल मात्रा ८७,४५,३०० मन (३,२१,२५६ टन) है जबकि १९५६ की इसी अवधि में यह मात्रा २७,३१,००० मन (१००,४०० टन) है।

भारत सेवक समाज

†*१०३७. **श्री बलराम कृष्णय्या** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयोग ने इस बात का निश्चय कर लिया है कि उन्होंने भारत सेवक समाज को जो निधि दी थी उसे निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये ही प्रयुक्त किया जा रहा है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : जी, हां।

भारतीय चाय का निर्यात

†*१०३८. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन खबरों की ओर दिलाया गया है कि भारतीय चाय ब्रिटिश निर्यातकों द्वारा जर्मनी में बहुत ऊंची दर पर बेची जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या स्थिति है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

प्राथमिक शिक्षा

†*१०३९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६—११ आयु वर्ग के ६३ प्रतिशत और ११—१४ आयु वर्ग के २३ प्रतिशत के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के उपबन्ध का परित्याग कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में नवीन लक्ष्य क्या है; और

(ग) शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के लिये आवंटित राशि में कुल कितनी कटौती हुई है और शेष रकम का मुख्य-मुख्य मदों पर किस प्रकार पुनर्आवंटन किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

†*१०४०. **श्री जाधव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की क्या-क्या मांगें थीं;

(ख) उनमें से कितनी मांगें पूरी हो चुकी हैं और वे क्या-क्या हैं ; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने में सरकार को हर वर्ष कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा ?

मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६**]

(ग) काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये भारत के विभिन्न भागों में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रतिष्ठान में विभिन्न वर्गों के १४,००० कर्मचारी हैं। इन मांगों के बारे में जो वृहद् संख्या में हैं वित्तीय अन्तर्ग्रस्ताओं का सही-सही निर्धारण कठिन है। और किन्हीं स्थितियों में यदि ऐसा करना सम्भव भी हो तो परिणाम की तुलना में समय और श्रम संगत नहीं होगा।

टेक्नीकल कर्मचारियों की कमी

†*१०४१. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि टेक्नीकल शिक्षा के बारे में वर्तमान योजनाओं का विस्तार नहीं किया गया तो योजना आयोग की इंजीनियरिंग कर्मचारीवर्ग समिति[१४] की गणना के अनुसार विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिये १९६०-६१ तक कितने टेक्नीकल कर्मचारियों की कमी होगी ; और

(ख) इस कमी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) इंजीनियरिंग कर्मचारीवर्ग समिति के प्राक्कलन के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में टेक्नीकल शिक्षा की योजनाओं पर ध्यान देने के पश्चात् विकास सम्बन्धी विचित्र कार्यक्रमों के लिये १९६०–६१ तक लगभग १८०० ग्रेजुएट और ८००० डिप्लोमा की कमी पड़ेगी।

(ख) सरकार ने वर्तमान १९ इंजीनियरिंग कालेज और ४० पोलीटेकनीक संस्थाओं में प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय कर लिया है ताकि डिग्री पाठ्यक्रम के लिये २५३८ और डिप्लोमा पाठ्य-क्रम के लिये ४३६५ अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो सकें। इस योजना में जिनका उपबन्ध नहीं है उन नई संस्थाओं की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है।

मसकट और ओमान के साथ व्यापार

†*१०४२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मसकट तथा ओमान के बीच किसी प्रकार का व्यापार सम्बन्ध है; और

(ख) क्या वहां पर होने वाली अव्यवस्था के परिणामस्वरूप इन दो देशों के बीच व्यापार सम्बन्ध में किसी प्रकार की हानि हुई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) भारत और मसकट तथा ओमान के बीच कोई व्यापारिक समझौता सम्पन्न नहीं हुआ है। भारत और इन राज्य क्षेत्रों के बीच कुछ व्यापार होता है किन्तु इसकी मात्रा कम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१४] Engineering Personnel Committee.

(ख) ओमान की गड़बड़ी से इस देश पर होने वाले प्रभाव का अनुमान इतना शीघ्र नहीं लगाया जा सकता है।

१८५७ के स्वातंत्र्य संग्राम समारोह के सम्बन्ध में समाचार चल-चित्र

७५९. श्री बि० चं० सेठ : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म विभाग ने १८५७ के स्वातन्त्र्य संग्राम शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में दिल्ली में १० से १२ मई, १९५७ तक हुये किन-किन कार्यक्रमों का चल-चित्र बनाया है ;

(ख) क्या प्रसिद्ध क्रान्तिकारी वीर विनायक दामोदर सावरकर और वीर भगतसिंह की माता के सम्मान में दिल्ली के नागरिकों द्वारा ११ मई, १९५७ को नई दिल्ली में आयोजित समारोह का चल-चित्र बनाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) विवरण मेज़ पर रखा जा रहा है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७]**

(ख) जी, हां।

(ग) सम्भवत: स्थान की कमी के कारण। वृत्त चित्रों के बारे में कौन कौन से वृत्त शामिल किये जायें इसका निर्णय फिल्म सलाहकार बोर्ड करता है, बोर्ड एक स्वतन्त्र कमेटी है जो इसी उद्देश्य से बनाई गई है। सरकार वृत्तों का चुनाव नहीं करती।

आंध्र में गन्दी बस्तियों की सफाई

†**७६०. श्री मं० वें० कृष्ण राव :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में गन्दी बस्तियों की सफाई और उनका सुधार करने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार ने कोई योजनाएं प्रस्तुत की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८]**

अम्बर चर्खे

†**७६१. श्री सूर्य प्रसाद :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री अम्बर चर्खों के निर्माण में संलग्न प्रत्येक सार्थ को १९५६-५७ में स्वीकृत अनुदान और ऋण की रकम बताने की कृपा करेंगे ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : अम्बर चर्खे बनाने वाली संस्थाएं और उनमें से प्रत्येक को १९५६–५७ में स्वीकृत अनुदान और ऋण इस प्रकार हैं :—

राज्य	अम्बर चर्खे निर्माण करने वाली सहकारी समिति का नाम	बोर्ड/कमिशन द्वारा वितरित रकम (रुपयों में)	
		अनुदान	ऋण
१. बम्बई	१. कैरा जिला औद्योगिक सहकारी एसोसियेशन, नडियाद . .	७,८००	१,२५,०००
	२. सुतार सहकारी उत्पादक सोसाइटी, एखातपुर . . .	कुछ भी नहीं	कुछ भी नहीं
	३. जनता सहकारी मण्डल, खिरोडा .	कुछ भी नहीं	११,४००
	४. पश्चिमी खानदेश जनता सहकारी समिति, धुलिया .	कुछ भी नहीं	४२,०००
	५. कराड सहकारी समिति, कराड .	कुछ भी नहीं	कुछ भी नहीं
	६. ग्रामीण पुनर्निर्माण और सामाजिक सेवा सहकारी समिति मुरूड, जिला उस्मानाबाद . .	१७,८००	* १७,६००
२. मैसूर .	१. खादी ग्रामोद्योग उत्पादन सहकारी समिति, हुडली .	कुछ नहीं	४,०००
	२. विश्वकर्मा सहकारी समिति रोन .	१७,८००	११,०००
३. दिल्ली .	१. रभार सहकारी औद्योगिक समिति लि० दिल्ली .	कुछ नहीं	५०,०००
४. राजस्थान	१. केन्द्रीय सर्वोदय सहकारी संघ, जयपुर . . .	कुछ नहीं	१०,०००
	महायोग	४३,४००	२,७१,०००

सिंगापुर में भारतीय

†७६२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगापुर में कार्यरत भारतीयों की संख्या ;

(ख) वे किन-किन व्यवसायों में लगे हुए हैं ; और

(ग) हाल के वर्षों में सिंगापुर जाने वाले भारतीयों को यदि किन्हीं हानियों का सामना करना पड़ा है तो वे कौन सी हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सिंगापुर में मजदूरी करने वाले भारतीयों की संख्या २९ मार्च, १९५७ को २७,२५३ थी। अन्य व्यवसायों में लगे हुए भारतीयों की संख्या के बारे में विस्तृत आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) व्यापार और सरकारी नौकरी से लेकर दूध बेचने और रुपया उधार देने तक उनके अनेक धंधे हैं। इनमें से अधिकांश मजदूर और क्लर्क हैं।

(ग) सिंगापुर में भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव पूर्ण व्यवहार अथवा किन्हीं निर्योग्यता से ग्रस्त होने के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

बिहार में विस्थापित व्यक्ति

†७६३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से बिहार राज्य में १९५७–५८ में जुलाई, १९५७ तक आने वाले विस्थापित व्यक्तियों की संख्या;

(ख) उन्हें किन-किन स्थानों पर बसाया गया है ; और

(ग) उन लोगों की अलग-अलग संख्या जिन्हें भूमि तथा रोजगार दिया गया है ?

पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से बिहार में इस वर्ष सीधे चले आने वाले प्रव्रजकों के बारे में सरकार के पास जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य का निर्देश भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल से बिहार भेजे जाने वाले विस्थापित व्यक्तियों की ओर है तो उनकी संख्या १,०६३ है। यह संख्या उन ९,२७५ व्यक्तियों से पृथक् है जो इस वर्ष के आरम्भ में बिहार के बेतिया कैम्प को १५ जुलाई, १९५७ के पूर्व बेतिया लौट गये थे।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आयात मंत्रणा परिषद्

†७६४. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें आयात मंत्राणा परिषद् की हाल की बैठक में विदेशी मुद्रा के संकट का सामना करने के लिये सुझाव दिये गये हैं और यदि सरकार ने इनमें से कोई सुझाव स्वीकार किये हैं तो वे क्या-क्या हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : विवरण संलग्न हैं ; पहले में सदस्यों द्वारा परिषद् के विचारार्थ दिये गये सुझावों की सूची है और दूसरे में वे महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं जिनका सुझाव चर्चा के दौरान में किया गया था। चालू लाल-पुस्तक[१५] की एक प्रति, जिसमें आयात नीति का ब्यौरा दिया गया है, संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है [**पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एप०–२२५/५७**]। उससे स्पष्ट हो जायेगा कि चालू अवधि के लिये नीति निर्धारित करने में सदस्यों के अनेक सुझाव मान लिये गये हैं।

बिहार में स्थानीय विकास-निर्माण कार्य

†**७६५. पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६ और १९५७ में स्थानीय विकास निर्माण कार्यों के लिये बिहार को कोई राशि आवंटित नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी नहीं। १९५६–५७ के लिये जनसंख्या के आधार पर बिहार को ५५.६५ लाख रुपये और १९५७–५८ के लिये ४२.९० लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

वैदिक मन्त्रोच्चारण

†**७६६. पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १४ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संया २१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी विश्वविद्यालयों को वैदिक मन्त्रोच्चारण[१६] के कितने रिकार्ड अभी तक सम्भरित किये गये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : एक।

लन्दन में भारतीय उच्चायोग

†**७६७. श्री सुरेंद्र नाथ द्विवेदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग में कारों की वर्तमान संख्या क्या है ;

(ख) कारें किन-किन कम्पनियों की बनी हुई हैं ;

(ग) उनका वर्तमान अनुमानित मूल्य कितना है ;

(घ) मूल्य में यदि कुछ ह्रास हुआ है तो कितना ; और

(ङ) इन कारों की मरम्मत आदि पर वार्षिक व्यय कितना आता है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) उच्च आयुक्त के लिये रखी गई सरकारी 'रोल्स रोयस' कार के अतिरिक्त दस कारें और हैं।

(ख) आस्टिन प्रिंसेज, अम्बर, सुपर स्नाइप, ६ अम्बर, डाक्स और दो वौक्स्वागौन।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१५]Red Book.

[१६]Vedic Recitations.

(ग) और (घ). सभी कारें एक वर्ष पूर्व खरीदी गई थीं। उनकी वर्तमान अनुमानित मूल्य बताना कठिन है क्योंकि इन की कीमतों में खरीद-कर सम्मिलित नहीं है। सामान्य कार के प्रति वर्ष उपयोग के उपरांत उसके मूल्य में २० प्रतिशत ह्रास हो जाता है क्योंकि कार की आयु प्रायः पांच वर्ष मानी जाती है।

(ङ) १९५६-५७ में उच्च आयुक्त की सरकारी कार के खर्च को सम्मिलित करते हुए ८,६४० रुपये।

भारतीय चाय पर दलाली

†७६८. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और लन्दन में १९५४-५५, १९५५-५६ और १९५६-५७ में नीलाम में बेची गई चाय की मात्रा और कीमत ;

(ख) उपरोक्त चाय पर उक्त अवधि में इस चाय पर कमीशन के रूप में नीलामकर्ताओं द्वारा प्राप्त रकम ; और

(ग) क्या यह सच है कि कलकत्ता में चाय के नीलामकर्ता अधिकांश विदेशी हैं और उन पर पूर्णतया विदेशी नियंत्रण है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) :** (क) कलकत्ता में नीलाम (निर्यात एवं भारत में उपभोग हेतु)

ऋतु	तादाद (पौंड में)	प्रति पौंड औसत कीमत (रुपयों में)
१९५४-५५	२८८,६१९,६०६	२.७९
१९५५-५६	३३४,१६१,३२२	१.९७
१९५६-५७	३२१,५०५,३१६	२.२७

लन्दन में नीलाम (पत्री वर्ष)

वर्ष	तादाद (पौंड में)	प्रति पौंड औसत कीमत (पैंस में)
१९५४	१८९,२२३,०००	६३.७९
१९५५	१८४,९७९,०००	६१.९६
१९५६	१७९,७००,०००	५५.११

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कमीशन के रूप में भुगतान की गई कुल राशि के अंक उपलब्ध नहीं हैं। कलकत्ता के चाय दलालीघर[16] खरीदारों से १.२५ रुपये प्रति सौ पौंड और विक्रेता से विक्रय-मूल्य का १ प्रतिशत कमीशन लेते हैं। लन्दन में दलाल का कमीशन खरीदार से १।२ प्रतिशत और विक्रेता से विक्रय मूल्य पर १ प्रतिशत है।

(ग) कलकत्ता में सात चाय दलाली घर हैं। उनमें से तीन पर पूर्णतः भारतीयों का स्वामित्व है और अन्य ४ के अंशधारी भारतीय और अभारतीय दोनों ही हैं। भारतीयों और अभारतीयों के अंशों के सही अनुपात ज्ञात नहीं हैं।

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह[17]

†७६९. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह ज्ञात है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में हमारे फिल्म निर्देशकों को आवण्टित की गई विदेशी मुद्रा इतनी कम थी कि अन्य प्रतिनिधि मंडलों, कला-समालोचकों, फिल्म पत्रकारों और ऐसे अन्य लोगों से मिलना सम्भव नहीं था ; और

(ख) क्या वह इस स्थिति का सुधार करने का विचार कर रहे हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** (क) और (ख) इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में फिल्में भेजने के सम्बन्ध में अभी तक मंजूर की गई विदेशी मुद्रा निर्देशकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त होनी चाहिये थी। मांगी गई राशि और रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर की गई राशि का अन्तर बहुत अधिक नहीं है।

यह समझा जाना चाहिये कि हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति अत्यन्त कठिन है और हम जितना चाहते हैं उतना मंजूर करना सदा संभव नहीं होता।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण

७७०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बाहर के लोगों के उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण में प्रवेश के लिये परमिट जारी करने वाला प्राधिकारी कौन है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण के बाहर रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों के मामले में प्रवेश के परमिट उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण प्रशासन के सामान्य निदेशों के अन्तर्गत राजनैतिक अधिकारियों द्वारा उनके प्रभार के अंतर्गत संबंधित डिवीजनों के लिये जारी किये जाते हैं।

विदेशियों के मामले में परमिट उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण प्रशासन द्वारा भारत सरकार के वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के साथ परामर्श से जारी किये जाते हैं।

फिल्मों का आयात

†७७१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ में भारत में कितने विदेशी फिल्मों का आयात किया गया व भारत में दिखाए जाने की अनुमति दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[16]Tea Broking Houses.

[17]International Film Festival.

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : सिनेमा के फिल्मों, प्रकाशित अथवा कच्ची[१८] के आयात का अंकन आयात-आंकडों में संख्या में नहीं किया जाता है वरन उनकी फुटों में लम्बाई दी जाती है। १९५६–५७ में प्रकाशित चलचित्रों का आयात ११५८५००० फुट था।

त्रिपुरा में भूमि अर्जन

७७२. **श्री दशरथ देब** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अर्जित भूमि के लिये दिए जाने वाले प्रतिकर की अधिकतम और न्यूनतम दर क्या है ; और

(ख) वे दरें त्रिपुरा में भूमि के वर्तमान बाजार भाव की तुलना में कैसी हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक -कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : भूमि का अर्जन पश्चिमी बंगाल भूमि विकास और आयोजन अधिनियम, १९४८, जिस रूप में उसका विस्तार त्रिपुरा में किया गया है, के अन्तगत किया जाता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, त्रिपुरा

†७७३. **श्री दशरथ देब** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में अभी तक विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कितने विद्यार्थियों ने प्राथना-पत्र दिए हैं ;

(ख) उनमें से कितनों को प्रविष्ट कर लिया गया है ; और

(ग) क्या सरकार त्रिपुरा के डिवीजनल कस्बों में और औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख) कोई नहीं। (त्रिपुरा प्रशासन को अगरताला में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना के लिये मंजूरी भारत सरकार द्वारा २६-७-१९५७ को दी गई थी और प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती चल रही है।)

(ग) इस समय त्रिपुरा में और प्रशिक्षण केन्द्र खोलेने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

आकाशवाणी का पूना केन्द्र

†७७४. **श्री द० अ० कट्टी** :
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना रेडियो स्टेशन द्वारा कार्यक्रमों में उपस्थित रहने वाले आमंत्रितों की कोई सूंची रखी जाती है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

१८Exposed or raw.

(ख) ये आमंत्रण किस आधार पर दिये जाते हैं और क्या रखी जाने वाली सूची कोई अनुसूचित जातियों के व्यक्ति भी हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) श्रोताओं के विभिन्न वर्गों में से व्यक्तियों को लेने की दृष्टि से रेडियो कार्यक्रमों में रुची रखने वाले समस्त व्यक्तियों को आमंत्रण जारी किए जाते हैं, कुछ व्यक्तियों को अमुक प्रकार के कार्यक्रमों में उनको रुचि के अनुसार और कुछ व्यक्तियों को उनके आकाशवाणी से निकट सम्बन्ध के कारण, जैसे केन्द्रों (स्टेशनों) की विभिन्न मंत्रणा समितियों की सदस्यता आदि । समुदाय, जाति अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों को निमंत्रण नहीं दिए जाते हैं और कोई जाति-वार अथवा समुदाय-वार सूची नहीं रखी जाती है । किन्तु ऐसा देखा जाता है कि गत समय में आमंत्रितों की सूची में अनुसूचित जातियों के व्यक्ति सम्मिलित रहे हैं ।

बैंक पंचाट

†**७७५. श्री ही० चं० शर्मा:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान बैंक के जो मामले इस समय अजमेर के समझौता अधिकारी (केन्द्रीय) के कार्यालय में लम्बित पड़े हुए है उनमें से कितने बैंक पंचाट के अ-कार्यान्वियन और गलत कार्यान्वियन के हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** समझौता अधिकारी के पास सात मामले विचारार्थ पड़े हुए हैं । इनमें से छै, जो जुलाई के दूसरे पक्ष में प्रस्तुत किए गए थे, शास्त्री पंचाट के पैरा १६४ के अन्तर्गत विशेष भत्तों का भुगतान न किये जाने, अधिक समय तक काम करने के भत्ते का भुगतान न किये जाने, पंचाट के अनुसार अस्थायी तथा परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किए जाने, और सशस्त्र रसकों को विशेष भत्ते का भुगतान न किए जाने से सम्बन्धित हैं। एक मामला, जो जनवरी, १९५७ में पेश किया गया था, और भी है जो शास्त्री पंचाट के पैरा २९२(५) के अ-क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें एक विधि संबंधी निर्वचन अंतर्ग्रस्त था जो मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा कर दिया गया है ।

न्यू लाजपतराय मार्केट, दिल्ली

†**७७६. श्री कोडियान** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में लाल किले के सामने न्यू लाजपतराय मार्केट का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य की समाप्ति में कितना समय लगेगा ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, हां ।

(ख) कार्य के ३१ अगस्त, १९५७ तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षित बेरोजगार

७७७. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बिहार में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये कौन-कौन से उपाय किये गये; और

(ख) उक्त अवधि में उत्तर बिहार में कितने शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम, रोजगार और योजना मंत्री (श्री नन्दा): (क) इस बारे में भारत सरकार ने कोई खास कार्यवाही नहीं की ।

(ख) उत्तर बिहार के नियोजन कार्यालयों द्वारा अक्टूबर से मार्च १९५६ तक ३,८०८ शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाया गया । उक्त अवधि से पहिले के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

नेपाल को खाद्यान्न संभरण

†**७७८. श्री श्रीनारायण दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने भारत सरकार से वहां की खाद्यान्न की कमी को पूर्ति करने में अपनी सहायता करने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है ;

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) भारत सरकार किस हद तक सहायता देने को सहमत हो गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) से (घ). नेपाल सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार नेपाल में खाद्य की कमी की पूर्ति करने के लिये सरकारी स्टाकों से २,५०० टन चावल मूल्य पर देने के लिये सहमत हो गई है ।

इसी प्रयोजन के लिये भारत सरकार ने नेपाल को १०,००० मन चावल उपहारस्वरूप देने का प्रस्ताव किया है ।

अम्बर चर्खे

†**७७९. श्री सुगन्धि :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के अन्त तक कुल कितने चर्खे वितरित किए गए ;

(ख) अम्बर चर्खा कातने वालों को कुल कितनी कार्डिंग मशीनें दी गई ;

(ग) उपरोक्त अम्बर चर्खों में से कितनों पर कार्य हो रहा है और कितने बेकार पड़े हैं ;

(घ) १ अप्रैल, १९५७ तक जितने अम्बर चर्खों का वितरण किया गया उनसे जितना उत्पादन प्रतिदिन होता है वह साधारण चर्खे की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है ; और

(ङ) १ अप्रैल, १९५७ तक कुल कितने अम्बर चर्खा फिट करने वालों (फिटर्स) को प्रशिक्षण दिया गया ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) ४५,७४२।

(ख) १९५६–५७ में भूतपूर्व अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने कातने वालों को कार्डिंग मशीनें नहीं दी थीं।

(ग) वितरित किए गए सभी चर्खों के चलने की खबर मिली है।

(घ) ऐसा समझा जाता है कि सदस्य अम्बर चर्खे के कार्य की तुलना पुराने चर्खे से करना चाहते हैं। पहले का उत्पादन दूसरे की अपेक्षा औसतन २५ प्रतिशत अधिक है।

(ङ) ३१–३–१९५७ तक प्रशिक्षण दिए गए कुल बढ़इयों की संख्या राज्य-वार निम्न प्रकार है :

राज्य	प्रशिक्षण प्राप्त बढ़इयों की संख्या
१. आन्ध्र	८८
२. आसाम	
३. पश्चिमी बंगाल	..
४. बिहार	७३
५. बम्बई	१३४
६. दिल्ली	..
७. केरल	३०
८. मध्य प्रदेश	३०
९. मद्रास	..
१०. मैसूर	७५
११. उड़ीसा	..
१२. पंजाब	१४१
१३. राजस्थान	१२९
१४. उत्तर प्रदेश	५३

खादी एम्पोरियम, नई दिल्ली

†७८०. **श्री सुगन्धि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में कनाट प्लेस स्थित खादी एम्पोरियम द्वारा १९५५–५६ और १९५६–५७ वर्षों की खादी तथा अन्य लघु उद्योग वस्तुओं की विक्रय आय का दैनिक औसत क्या है ;

(ख) एम्पोरियम की देखभाल के लिये कितने कर्मचारी रखे गये हैं ; और

(ग) अभी तक प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने एम्पोरियम स्थापित किये गये हैं ?

† मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) :** (क) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली नामक एम्पोरियम की १९५५–५६ और १९५६–५७ वर्षों की दैनिक औसत बिक्री क्रमश : ४,७७५ रुपये और ८,१७७ रुपये निकलती है ।

(ख) १३१ ।

(ग) नई दिल्ली स्थित एम्पोरियम के अतिरिक्त खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग प्रत्यक्षत: एक और एम्पोरियम बम्बई में चला रहा है । दो अन्य एम्पोरियम, एक पटना में और दूसरा राजकोट में, राज्य-बोर्डों द्वारा चलाए जा रहे हैं ।

खादी उत्पादन

†**७८१. श्री सुगन्धि :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५, १९५५–५६ और १९५६–५७ वर्षों में उत्पादित खादी की (राज्य-वार) मात्रा क्या है ;

(ख) इन वर्षों में वस्त्र स्वावलम्बियों द्वारा उत्पादित परम्परागत खादी की (राज्य-वार) मात्रा क्या है ;

(ग) इन वस्त्र स्वावलम्बियों, कताई करने वालों में से कितने खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से संबद्ध थे और कितने बाहर के लोग थे ; और

(घ) उपरोक्त वर्षों में इस योजना की सहायता करने के लिये राज्य-वार कितनी रकम खर्च की गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) :** (क) और (ख) . तीन विवरण, जिनमें आवश्यक सूचना दी गई है, लोक-सभा पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५९]** उनमें दिए गए आंकड़े खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किए नवीनतम संकलनों पर आधारित हैं ।

(ग) वस्त्रस्वावलम्बियों (अपने आप कातने वालों) की संख्या, जिन्होंने भूतपूर्व अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दी जाने वाली सहायता का लाभ उठाया, निम्न प्रकार है :—

वर्ष	स्वावलम्बियों की संख्या
१९५४–५५	४०,२३६
१९५५–५६	७३,९३८
१९५६–५७	५,८८,७०१

अधिकांश बाहर वाले थे ।

ऊपर दी गई संख्यायें उन स्वावलम्बियों को छोड़ कर हैं जिन्होंने किसी न किसी कारण से बोर्ड से कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी ।

(घ) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५९]**

† मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

†७८२. **श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा आन्ध्र प्रदेश के शहतूत उत्पादकों को ऋण व अनुदान दिए जाने के लिए वर्ष १९५७ में अभी तक कितनी राशि आवण्टित की गई है ; और

(ख) ऐसे ऋण दिये जाने की शर्तें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) :** (क) आन्ध्र प्रदेश में शहतूत उत्पादकों को ऋण व अनुदान दिये जाने के लिये विशिष्ट रूप से कोई राशि आवण्टित नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बन्दरों का निर्यात

†७८३. **श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में बन्दरों के निर्यात से कितनी डालर मुद्रा का लाभ हुआ ; और

(ख) १९५७–५८ में कितनी डालर मुद्रा के लाभ होने की आशा है ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) :** (क) ६७.९४ लाख रुपये ।

(ख) कोई निश्चित प्राक्कलन संभव नहीं हैं परन्तु पिछले वर्ष के बराबर ही लाभ होने की संभावना है ।

भारतीय विदेश सेवा––"बी"

†७८४. **श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत विदेश सेवा-'बी' में, उसके हाल में किये गये पुनर्गठन के पश्चात्, परिगणित जाति के कितने कर्मचारी नियुक्त किए गये हैं ; और

(ख) क्या अनुसूचित जाति के प्रार्थियों के मामले में किन्हीं नियमों को ढीला कर दिया गया था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) चूंकि भारतीय विदेश सेवा ब्रान्च ('बी') का संगठन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और प्रवरण जारी हैं, इस स्तर पर चाही गई संख्या बताना संभव नहीं है ।

(ख) भारतीय विदेश सेवा ब्रान्च (बी) प्रारम्भिक गठन नियमों[१९] के नियम ११ के अन्तर्गत नियम ५ के अन्तर्गत विनिहित तीन वर्षों का अर्हता-प्राप्ति काल अनुसूचित जातियों और अनुपूरक आदिम जातियों के सम्बन्ध में कम करके एक वर्ष कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१९]Indian Foreign Service Branch (B) Initial Constitution Rules.

योजना आयोग में घोषित (गजटेड) पदाधिकारी

†७८५. **श्री अय्याकण्णु** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग में प्रविधिक तथा अप्रविधिक घोषित (गजटेड) पदाधिकारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और आदिम-जातियों के हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) २१६ (१५३ प्रविधिक ६३ और अप्रविधिक) ।

(ख) १—अनुसूचित जाति (प्रविधिक) ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी जांच आयोग के बारे में संकल्प

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा सेवा की शर्तों तथा अन्य संबंधित प्रश्नों की जांच करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति के बारे में दिनांक २१/अगस्त, १९५७ के संकल्प संख्या २४७४-सेक्रेटरी (ई०)—५७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस० २०२।५७]**

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : संकल्प को पढ़ कर सुना दिया जाये ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं पढ़े देता हूं :

"भारत सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया है जिस में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :

सभापति : न्यायमूर्ति श्री जगन्नाथ दास, उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीश

सदस्य : श्री वी बी० गांधी, श्री एन० के० सिद्धान्त, श्री एम० एल० दांतवाला, श्रीमती मारगेथम चन्द्रेशेखर और श्री एल० पी० सिंह, आई० सी० एस० जो आयोग के सचिव भी होंगे ।

सहकारी सचिव : श्री एच० एफ० बी० पेस"

आयोग के निर्देश पद में पहले ही पढ़ कर सुना चुका हूं; उन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

"आयोग अन्तरिम प्रकार की सहायता की मांगों पर विचार कर सकता है और उस पर प्रतिवेदन दे सकता है । यदि आयोग कुछ अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश करेगा तो आयोग यह भी संकेत करेगा कि किस तारीख से यह सहायता दी जाये ।

"आयोग अपने कार्य के लिये स्वयं प्रक्रिया बनायेगा और वह किसी भी विशेष कार्य के लिये परामर्शदाता भी नियुक्त कर सकेगा । वह आवश्यक जानकारी तथा साक्ष्य भी ले सकता है । भारत सरकार के मंत्रालय तथा विभाग ऐसी जानकारी तथा अभिलेख या अन्य प्रकार की सहायता देंगे जो आयोग के लिये आवश्यक हों । भारत सरकार को विश्वास है कि राज्यों की सरकारें, सेवा संघ तथा अन्य संस्थायें भी आयोग को पूर्ण सहयोग तथा सहायता प्रदान करेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

"आयोग से निवेदन है कि वह सरकार को अपनी सिफारिशें यथासंभव जल्द भेज दे।"

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि लोक-सभा द्वारा १६ जुलाई, १९५७ की बैठक में रेलवे संरक्षण बल विधेयक, १९५७ में किये गये निम्नलिखित संशोधनों को राज्य-सभा ने अपनी २० अगस्त, १९५७ की बैठक में स्वीकार कर लिया है:—

खंड १३

१. कि पृष्ठ ४, पंक्ति ३४ में

(एक) 'detain' (विरुद्ध) शब्द के पश्चात 'him' (उसे) शब्द रखा जाये; और

(दो) 'search' (तलाशी) शब्द के पश्चात 'his person and belongings forthwith' (उसकी तथा उसके सामान की तुरन्त) शब्द रखे जायें।

खंड १७

२. कि पृष्ट ५,

(एक) पंक्ति २६ में—'simple' (साधारण) शब्द हटा दिया जाये ; और

(दो) पंक्ति २७ में—'three' (तीन) शब्द के स्थान पर 'six' (छः) शब्द रखा जाये।

खंड २०

३. कि पृष्ट ५, पंक्ति ३९ में —

'Proper authority or order' (उचित प्राधिकार' आदेश) शब्दों के स्थान पर 'the orders of a competent authority (सक्षम प्राधिकारी के आदेश) शब्द रखे जायें।

४. कि पृष्ट ६, पंक्ति १४ में —

'or' (अथवा) शब्द के स्थान पर 'and' (और) शब्द रखा जाये।

मुझे सभा को यह भी बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से एक और संदेश प्राप्त हुआ है जिस के साथ उन्हों ने राज्य-सभा द्वारा १२ अगस्त, १९५७ की अपनी बैठक में पारित किये गये निरसक तथा संशोधक विधेयक, १९५७ की एक प्रति संलग्न की है।

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक सभा-पटल पर रखा गया

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं निरसक तथा संशोधक विधेयक, १९५७ को, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, पटल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

*अनुदानों की मांगें--जारी

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा करेंगे। इन मांगों के लिये ६ घंटे का समय रखा गया था ; अब ४ घंटे ४५ मिनट शेष हैं। सवा चार बजे मैं माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिये कहूंगा।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
१	१५४०	श्री कोडियान	विदेशी स्वामित्व के समवायों द्वारा खानों के ठेके को हस्तान्तरण कर देने के संबंध में नीति	राशि घटा कर १ ० कर दी जाये
१	१०७	श्री साधन गुप्त	विदेशी संस्थाओं में कार्यपालिका पदों पर भारतीय को न रखना	१००
१	१०८	श्री साधन गुप्त	खालों तथा चमड़ों के छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास में सहायता न करना	१००
१	१०९	श्री साधन गुप्त	बागान जांच समिति की मुख्य मुख्य सिफारिशों को अस्वीकार करना	१००
१	११०	श्री साधन गुप्त	अनेक काफी हाउसों को गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथों में देना	१००
१	१११	श्री साधन गुप्त	केन्द्रीय रेशम कृमि पालन उद्योग गवेषणा स्टेशन, बहरामपुर के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर न करना	१००
१	११२	श्री साधन गुप्त	केन्द्रीय रेशम कृमि पालन उद्योग गवेषणा स्टेशन, बहरामपुर का विस्तार न करना	१००
१	२१७	श्री सुरेंद्र नाथ द्विवेदी	कच्चे जूट का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता	१००

*राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से प्रस्तुत की गई।

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
१	४९६	श्री वारियर	मिर्च के विदेशी व्यापार में कमी	१००
१	११०४	श्री चावन	कोयना जल-विद्युत परियोजना के पास एक उर्वरक कारखाना स्थापित न करना	१००
१	११०५	श्री चावन	पूना, सतारा, दक्षिण सतारा और कोल्हापुर में हथकरघा तथा कुटीर उद्योगों को सहायता न देना	१००
१	११०६	श्री चावन	कोल्हापुर में एक अल्मुनियम कारखाना न खोलना	१००
१	११०७	श्री चावन	कोल्हापुर, पूना और अहमदनगर में शक्ति मद्यसार का विकास	१००
१	१९४१	श्री कोडियान	मेसर्स मैंगनासाइट सिन्डिकेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी के नाम खान ठेके का हस्तान्तरण	१०० १००
२	१	श्री बि० दास गुप्त	भारत सरकार की औद्योगिक नीति	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
२	१४८	श्री जाधव	हथकरघा तथा बिजली से चलने वाले करघों के उद्योगों की उपेक्षा	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
२	१५४२	श्री कोडियान	भारतीय जूट मिल एसोशियेशन को सहायता अनुदान	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
२	१५४३	श्री कोडियान	इस्पात के मूल्य का निर्धारण	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
२	३५१	श्री याज्ञिक	राज्य व्यापार निगम का विस्तार न करना	१००
२	४४२	श्री याज्ञिक	भावनगर में सीमेंट कारखाना न खोलना	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
२	८९७	श्री वारियर	केरल में तुरन्त कागज मिल का निर्माण	१००
२	८९८	श्री वारियर	पश्चिमी तट स्थित खपरैल तथा ईंट उद्योग को सहायता की आवश्यकता	१००
२	१५४४	श्री कोडियान	संश्लिष्ट दवाओं के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र में संयंत्र लगाना	१००
२	१५४५	श्री कोडियान	भारतीय उद्योगों पर विदेशी लोगों द्वारा लगाई गयी अलाभकर शर्तों को हटाने के लिये करारों का सुधार	१००
२	१५४६	श्री कोडियान	रूस की भेषज संहिता को मान्यता न देना	१००
२	१५४७	श्री कोडियान	औषधि उद्योग के लिये अत्यावश्यक कच्चे माल तथा रसायनों का आयात न करना	१००
२	१५४८	श्री कोडियान	मिर्च, अदरक आदि मसालों के लिये विकास परिषदें न बनाना	१००
२	१५४९	श्री कोडियान	अम्बर चर्खा संबंधी नीति	१००
२	१५५०	श्री कोडियान	लोहा और इस्पात में चोर-बाजारी	१००
२	१५५१	श्री कोडियान	सूत्र वस्त्र उद्योग के बड़े बड़े लाभों को न रोकना	१००
२	१५५२	श्री कोडियान	केरल राज्य में केन्द्रीय कार्यों में अधिक धन न देना	१००
२	१५५३	श्री कोडियान	केरल में केन्द्र द्वारा बड़े बड़े उद्योग न खोलना	१००
२	१५५४	श्री कोडियान	मंत्रालय में उपसचिवों की संख्या कम करने की आवश्यकता	१००
२	१५५५	श्री कोडियान	नारियल जटा संबंधी कुटीर उद्योग की रक्षा न करना	१००
२	१५५६	श्री कोडियान	कताई मिलों के लाभों पर नियंत्रण न रखना	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
२	१५५७	श्री कोडियान	छोटे उद्योगों के वितरण के संबंध में पर्याप्त ध्यान न देना	१००
२	१५५८	श्री कोडियान	विदेश भेजे गये शिष्टमंडलों का अधिकतम लाभ न उठाना	१००
२	१५५९	श्री कोडियान	भारत के विदेशी व्यापार का मार्ग बदलने में असफलता	१००
२	१५६०	श्री कोडियान	विदेशी व्यापार संबंधी नियमों से बचने को रोकने में असफलता	१००
२	१५६१	श्री कोडियान	मिर्च तथा अन्य मसालों के अच्छे दाम प्राप्त न कर पाना	१००
२	१५६२	श्री कोडियान	विलास सामग्री के आयात को न रोक पाना	१००
२	१५६३	श्री कोडियान	विदेशी एकस्वधारियों द्वारा उठाये जाने वाले अनुचित लाभों को रोक न पाना	१००
२	१५६४	श्री कोडियान	काफी बोर्ड में कर्मचारियों की छंटनी	१००
२	१५६५	श्री कोडियान	विभिन्न उद्योगों की प्रष्ठिापित क्षमता का पूरा उपयोग न करना	१००
२	१५६६	श्री कोडियान	मूल उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में न लेना	१००
२	१५६७	श्री कोडियान	निर्यात व्यापार को बढ़ाने वाले उद्योगों को सर्वाधिक महत्व देने की आवश्यकता	१००
२	१५६८	श्री कोडियान	भारत के विदेशी चाय बागानों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता	१००
२	१५६९	श्री कोडियान	पूंजी माल उद्योग तथा उपभोक्ता माल उद्योगों के लिये दूसरी योजना में रखी गयी राशियों को फिर से देखना	१००
२	१५७०	श्री कोडियान	सरकारी उपक्रमों, उनके संगठन तथा प्रबन्ध की कार्य-प्रणाली की जांच	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
२	१५७१	श्री कोडियान	भारत में औषधि उद्योग के लिये मूल तथा मध्यवर्ती चीजों को तैयार करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही न करना	१००
२	१५७२	श्री कोडियान	आयात की गयी औषधियों के मूल्य	१००
२	१५७३	श्री कोडियान	औषधि संबंधी जड़ी बूटियों के लिये भारतीय साधनों का लाभ न उठाना	१००
२	१५७४	श्री कोडियान	देश के औषधि निर्माण उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिये कदम न उठाना	१००
२	१५७५	श्री कोडियान	विदेशी संस्थाओं द्वारा औषधियों के ऊंचे दामों को रोकना	१००
२	१५७६	श्री कोडियान	अत्यावश्यक औषधियों के निर्माताओं के अधिक लाभ को रोकना	१००
२	१५७७	श्री कोडियान	हथकरघा बुनकरों को सस्ते दामों पर सूत की लच्छियों की व्यवस्था	१००
२	१५७८	श्री कोडियान	काजू उद्योग के लिये कदम उठाना	१००
२	१५७९	श्री कोडियान	पूर्वी यूरोप, रूस, तथा चीन में भारतीय माल का प्रचार	१००
२	१५८०	श्री कोडियान	निर्यात वस्तुओं में उत्पादकों तथा निर्माताओं का लाभ सुरक्षित करने में राज्य व्यापार निगम की असफलता	१००
२	१५८१	श्री कोडियान	कर्मचारी सहकारी समितियों को काफी हाउसों का प्रबन्ध न देना	१००
२	१५८२	श्री कोडियान	काफी हाउसों में कर्मचारियों की छंटनी	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
२	१५८३	श्री कोडियान .	पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योग को शुरू करने के संबंध में जांच	१००
२	१५८४	श्री कोडियान .	विदेशों में भारतीय रेशमी वस्त्र तथा हथकरघे के कपड़ों की बिक्री के प्रोत्साहन के लिये अपर्याप्त व्यवस्था	१००
२	१५८५	श्री सुगन्धि .	वस्त्रावलम्बी बुनकरों तथा मजूरी पर काम करने वाले बुनकरों के बीच भेदभाव	१००
२	१५८६	श्री सुगन्धि .	अम्बर चर्खा कातने वालों को कार्डिंग मशीन न देना	१००
२	१५८९	श्री सुगन्धि .	हथकरघा बुनकरों के लिये अवहार	१००
२	१५९०	श्री कोडियान .	आयात अनुज्ञप्तियां देने में पक्षपात	१००
३	३५२	श्री याज्ञिक .	गुजरात को पर्याप्त नमक न देना	१००
४	१५९१	श्री कोडियान .	समवायवार आयात-निर्यात के आंकड़े न रखना	१००
४	१५९२	श्री कोडियान .	उद्योगों के लाभों तथा मजूरी के बिलों के आंकड़े न इकट्ठा करना	१००
४	१५९३	श्री कोडियान .	भारत में लाभ उठाने वाले विदेशी सार्थों के ब्यौरे न रखना	१००
४	१५९४	श्री कोडियान .	लंदन स्थित वाणिज्य विभाग के व्यय में कमी	१००
५	८९९	श्री वारियर .	भारतीय खपरैल तथा ईंट उद्योग के लिये आसान ऋण व्यवस्था	१००
५	९००	श्री वारियर .	केरल में खपरैल तथा ईंट के बाजार की उचित व्यवस्था	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
५	१५९५	श्री कोडियान	भारतीय व्यापार के विकास के लिये विदेशी एकस्वों का लाभ न उठाना	१००
५	१५९६	श्री कोडियान	उद्योगों के उत्पादनों तथा संरक्षण के लिये प्रशुल्क आयोग द्वारा कम मूल्यों का सुझाव न देना	१००
५	१५९७	श्री कोडियान	बागान जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित न करना	१००
५	१५९८	श्री कोडियान	निर्यात विस्तार निदेशालय की अयोग्यता	१००
५	१५९९	श्री कोडियान	उपभोक्ताओं के लिये उचित मूल्य की व्यवस्था करने में असफलता	१००
१०४	७११	श्री गोरे	हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स का कार्य संचालन ठीक न होना	१००
१०४	१६००	श्री कोडियान	कुन्डारा में बिजली का सामान बनाने की चीनी मिट्टी का कारखाना बनाने के लिये केन्द्र द्वारा धन न दिया जाना	१००
१०४	१६०१	श्री कोडियान	केरल में एक सरकारी रबर कारखाना खोलने के लिये केन्द्र द्वारा धन न दिया जाना ।	१००

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सब कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वैल्लोर) : भारत की समृद्धि का पता तो उसी बात से चलेगा कि भारत देश के भीतर तथा विदेशों से कितना व्यापार करता है सरकार की औद्योगिक नीति का उद्देश्य सभी प्रकार के उद्योग का विकास करना है ताकि अधिक आय हो और साथ ही नये कर भी लगाने की आवश्यकता पड़ती है । यह तो हमारी नीति का सिद्धान्त है पर इन उद्योगों को स्थापित करने में सभी क्षेत्रों का समान ध्यान रखा जाना चाहिये । यदि नये उद्योग

†मूल अंग्रेजी में ।

स्थापित करने हों तो सर्व प्रथम उन्हें अविकसित क्षेत्रों में तथा फिर अर्ध-विकसित और अन्त में विकसित क्षेत्रों में स्थापित किया जाये इस से सभी क्षेत्रों का समान विकास होगा। हो सकता है इस सिद्धान्त को मानने में हमें अविकसित क्षेत्रों में पर्याप्त शक्ति सुविधायें प्राप्त न हों फिर भी इन कठिनाइयों के होते हुये भी नये उद्योगों में अविकिसत क्षेत्रों में ही स्थापित करना चाहिये। ऐसा देखा गया है कि गैर-सरकारी उपक्रमाधिकारियों के आवेदन-पत्रों पर ठीक प्रकार से विचार नहीं किया जाता और उन में मार्ग के कठिनाइयां पैदा की जाती हैं। मैं चाहता हूं कि इनके आवेदन पत्रों पर ठीक प्रकार से विचार किया जाना चाहिये। यदि इन बातों का ध्यान रखा जायेगा तो देश में सभी प्रकार के उद्योगों का विकास होगा और किसी भी क्षेत्र को यह शिकायत नहीं होगी कि उसका ठीक विकास नहीं हो पाया है।

प्रायः यह शिकायत की जाती है कि भारत में विदेशी संस्थायें जो हैं उन में भारतीय कर्मचारियों को नहीं रखा जाता। पर यह शिकायत गलत है। ३०० रु० से १००० रु० तक वेतन वाले पदों पर लगभग सभी संस्थाओं में इन स्थानों पर भारतीय लोगों को रख दिया गया है। हां, १०००रु० से अधिक वेतन वाले पदों पर अभी विदेशी पदाधिकारी जरूर हैं। अत : सरकार को चाहिये कि धीरे धीरे उन पदों पर भी भारतीय लोगों को रख कर इन संस्थाओं का पूर्ण भारतीयकरण कर दिया जाये।

मैं कुछ छोटे उद्योगों की बात भी कहूंगा। चमड़े तथा खाल के उद्योग को लीजिये। दक्षिण भारत के गांवों में लगभग ५०० या ६०० खाल तथा चमड़े के छोटे छोटे कारखाने हैं। उन में यदि ५०–५० व्यक्तियों के हिसाब से रोजगार दिया जाये तो बेरोजगारी की समस्या भी काफी हद तक हल हो सकती है। फिर यदि ठीक प्रकार से इस उद्योग का विकास किया जाये तो यह उद्योग ब्रिटेन, अमरीका आदि से २० करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय की आय भी कर सकता सकता है। इस उद्योग के लिये कुछ कच्चा माल हमें दक्षिण अफ्रीका से भी मंगाना पड़ता है। इस से हमें काफी कठिनाई होती है अतः यदि सरकार इस उद्योग की ओर ध्यान दे तो हमें बहुत आय हो सकती है।

दूसरी बात हमें इन्हीं उद्योगों के संबंध में यह कहना है कि केन्द्रीय सरकार प्रति वर्ष बड़ी बड़ी राशियां राज्य सरकारों को देती है कि इन उद्योगों को दिया जाये। राज्य सरकारें खुद भी कुछ मदद देती हैं। पर खेद है कि इस खाल तथा चमड़े के उद्योग को कोई राशि न तो राज्य सरकार द्वारा न केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है। अतः यह उद्योग धन के अभाव के कारण निर्जीव होता जा रहा है। किन्तु सरकार ने खुली सामान्य अनुज्ञप्ति प्रणाली लगभग बिल्कुल बन्द कर दी है और देश में गोवध पर भी नियंत्रण लगा दिया है अत : यदि सरकार खुली सामान्य अनुज्ञप्ति प्रणाली को कुछ ढीला नहीं करती और पड़ोसी राज्यों से चमड़ा तथा खाल मंगाने की अनुमति नहीं देती तो यह उद्योग बिल्कुल समाप्त हो जायेगा।

इस उद्योग के विकास के लिये हमें एक निगम बनाना चाहिये। राज्य व्यापार निगम इस उद्योग के लिये कुछ भी नहीं करता अतः इस उद्योग का विकास करने के लिये विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

यदि यह सम्भव न हो, तो इसके लिये एक निगम स्थापित किया जाना चाहिये जो यहां नीलाम करा सके और कच्चे चमड़े के मूल्य निर्धारित कर सके। विदेशी शासन के काल में भी कलकत्ता आदि स्थानों पर कच्चे चमड़े के मूल्य निर्धारित किये जाते थे। अन्य स्थानों पर चीनी लोग बिजली से यह कार्य करते हैं, लेकिन हमारे यहां यह सारा कार्य हाथ से किया जाता है। इसलिये, कच्चे चमड़े

[श्री न० रा० मुनिस्वामि]

और तैयार उत्पादों के मूल्य निर्धारित हो जाने पर ही उनको कुछ मुनाफा मिल सकता है। अन्यथा, वे विदेशियों की दया पर ही निर्भर बने रहेंगे।

यदि इस उद्योग के ढांचे और संगठन की जांच के लिये एक निगम की स्थापना सम्भव न हो, तो एक समिति ही बना देनी चाहिये। अन्यथा इसका सुधार नहीं होगा।

ऊन-परिष्करण उद्योग को उत्तर अर्काट में रखना ही ज्यादा अच्छा होगा। वहां चमड़ा कमाने के १५० कारखाने तो हैं ही। वहां सरेस उद्योग भी खड़ा किया जा सकता है। वे सभी चमड़ा और खाल उद्योग के सहायक बन सकते हैं। इसलिये, मंत्रालय को इसकी जांच के लिये एक निगम या समिति की स्थापना करनी चाहिये। इस उद्योग के अभाव में हमें पाकिस्तान और अन्य देशों से चमड़ा मंगाना पड़ता है।

हमें खालों के तैयार करने में प्राविधिक कार्य-क्षमता पैदा करनी चाहिये। इस उद्योग में लगे हुए लोगों को प्राविधिक सहायता दी जानी चाहिये। प्रयोगशालाओं को गांवों में चमड़े का काम करने वाले लोगों की अधिक सहायता करनी चाहिये।

†**श्री सोमानी** (दौसा) : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के प्रयत्नों के फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती रही है। प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में औद्योगिक उत्पादन में आठ प्रतिशत वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने प्रथम योजना के निर्धारित लक्ष्यों से भी अधिक प्रगति की है। द्वितीय योजना में निर्धारित कुछ अत्यावश्यक उद्योगों के मूल लक्ष्यों को और भी आगे बढ़ा दिया गया है। इससे पता चलता है कि निजी उद्योग ने कितनी प्रगति की है।

निजी क्षेत्र हमारे देश के आर्थिक विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की इस वर्तमान गति को बनाये रखने के लिये, भावी विकास के लिये, कुछ खतरे भी हैं, जिन से बड़ी चिन्ता हो जाती है। चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध में कुल ५० करोड़ रुपयों के मूल्य की पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये अनुज्ञप्तियां दी गई हैं। गतवर्ष के पूर्वार्द्ध में हम ने इस से कहीं अधिक आयात किया था।

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयां तो हैं ही। एक विचित्र बात तो यह है कि अभी कुछ समय पहले तो मंत्रालय पूंजीगत वस्तुओं के आयात के सौ प्रतिशत अदायगी की अनुमति दे देता था, लेकिन अब वह १०—२० प्रतिशत की आरम्भिक अदायगी की भी अनुमति नहीं देता। यदि हम पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये आस्थागित अदायगी के आधार पर आरम्भिक काल में २० प्रतिशत अदायगी भी नहीं कर सकते, तो हमारे सभी उद्योगों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

मंत्रालय को आयातों में कमी करने और निर्यातों का संवर्धन करने के लिये अधिक सतर्क प्रयास करने चाहियें।

मंत्रालय ने निर्यातों के संवर्धन के लिये कई उपाय किये हैं, लेकिन अभी तक कई समितियों तथा वाणिज्यिक संगठनों द्वारा की गई सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की गई हैं।

विदेशी मुद्रा की वर्तमान तंगी की स्थिति में हमें इसकी ओर और भी अधिक ध्यान देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

यह मंत्रालय देशीय उद्योगों के विकास और देश के उद्योगों के क्षेत्र में भी विदेशी पूंजी के लिये अधिक अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने के लिये उत्तरदायी हैं । इसलिये, मंत्रालय को विदेशी पूंजी के विनियोजन पर वर्तमान नीति क प्रभाव की जांच करनी चाहिये । हमें इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा ।

भावी विकास के लिये जिन चीजों से खतरा पैदा हो रहा है, उन में से एक है—सूती कपड़ा उद्योग की दशा । यह हमारा एक मुख्य उद्योग है । माननीय मंत्री ने बताया था कि सूती कपड़ों के मूल्यों में पांच प्रतिशत गिरावट आयी है, लेकिन स्टॉक सामान्य है । यह सही नहीं है ।

सही तो यह है कि स्टॉक की परिस्थिति सामान्य नहीं है । बम्बई के सूती कपड़ा उद्योग के स्टॉक में २,२८,००० गांठें हैं । इतनी अभी तक कमी नहीं रही । मंत्रालय को वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिये । स्टॉक की असामान्य स्थिति के बड़े गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं ।

दूसरी विचित्र बात यह है कि माननीय मंत्री मूल्यों की वर्तमान पांच प्रतिशत की गिरावट को अधिक नहीं मानते । साथ ही उन्होंने यह भी माना है कि ३५ करोड़ रुपये के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का पूरा भार सूती कपड़ा उद्योग पर ही पड़ा है । देखना यह चाहिये कि उन दोनों का मिलाकर कितना अधिक भार उद्योग पर पड़ा है ।

इतना ही नहीं, साथ ही रूई के भाव भी चढ़ गये हैं । और साथ ही साथ, इस क्षेत्र में मजदूर वर्ग को निर्वाह-लागत में भी १० प्रतिशत वृद्धि हो गई है जिस से उन्हें अधिक मंहगाई भत्ता देना पड़ता है ।

इन सभी को मिलाकर उद्योग पर बहुत अधिक भार पड़ गया है । माननीय मंत्री इस उद्योग की अपनी कठिनाइयों की ओर उचित ध्यान नहीं देते । इस प्रकार यह उद्योग कितने दिनों तक चल सकेगा ?

माननीय मंत्री जानते हैं कि सूती कपड़ा उद्योग प्रशुल्क बोर्ड के सूत्र से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसने अपने सूत्र में कुछ मदों को ठीक से सम्मिलित नहीं किया है । लेकिन यदि प्रशुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्यों को भी माना जाये, तो भी वे वर्तमान मूल्यों से अधिक होंगे । इसका अर्थ है कि इस समय उद्योग को प्रशुल्क बोर्ड के सूत्र के अनुसार भी कम मूल्य मिल रहे हैं ।

यही कारण है कि इस उद्योग की कुछ छोटी-छोटी इकाइयों ने काम बन्द कर दिया है । शोलापुर में दो मिलें बन्द हो गई हैं । शेष का कार्य भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, बल्कि वे अपनी संस्थापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग कर के किसी प्रकार जीवित रहने के लिये संघर्ष कर रही हैं । इस प्रकार अधिक दिनों तक नहीं चल सकता । विचित्र बात तो यह है कि इतने मुख्य, महत्वपूर्ण उद्योग के प्रति भी मंत्रालय उदासीन है ।

स्वयंचालित करघों का संस्थापन निर्यात संवर्धन और उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये अत्यावश्यक है । इसका निर्णय भी १५ महीने पहले किया गया था । लेकिन, बाद में मंत्रालय ने उनके संस्थापन की योजना पर ऐसी कड़ी शर्तें लगा दी हैं कि उनका संस्थापन नहीं हुआ है । मंत्रालय को इस उद्योग की यथार्थ स्थिति से परिचित होना चाहिये ।

चूंकि स्वयंचालित करघों का समूचा उत्पादन निर्यात के लिये है, इसलिये अम्बर चरखों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

यह कहना भी सही नहीं है कि सूत का मूल्य बहुत अधिक है । स्थिति तो यह है कि सूत के वर्तमान मूल्य से सूत कताई मिलों का पूरा नहीं पड़ता, और इसीलिये कई मिलें बन्द भी हो गई हैं ।

[श्री सोमानी]

माननीय मंत्री ने विभिन्न उद्योगों के सहयोग से मूल्यों को नियंत्रण में रखने का सराहनीय प्रयास किया है। सभी उद्योग इसके पक्ष में हैं।

लेकिन, इसके सम्बन्ध में भी सरकार ने कुछ ऐसे कार्य किये हैं, जिन से विभिन्न उद्योगों में उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। इस्पात और सिमेंट पर उत्पादन शुल्क लगाने से यही हुआ है। श्रमिकों के निर्वाह-व्यय और रेलवे के वस्तुभाड़ों में भी वृद्धि हो रही है। इस से उद्योगों के लिये बड़ी कठिनाई पैदा हो गई है।

राज्य व्यापार निगम ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। उसने जापान से आयात होने वाले कपड़े के सम्बन्ध में बड़ी कुशलता से परिस्थिति को संभाला है। लेकिन, उसे भी एक सीमा में रहना चाहिये, अति नहीं करना चाहिये।

राज्य व्यापार निगम के सम्बन्ध में मुझे केवल एक चिन्ता है। वह यह उस निगम ने सिमेंट का मूल्य बहुत अधिक निर्धारित कर दिया है, और यह भी एक ऐसे समय में जब कि सरकार के पास सिमेंट के आयात का एक बड़ा कार्यक्रम मौजद था। मेरा विचार है कि बढ़े हुए उत्पादन शुल्क को देखते हुए, सिमेंट के मूल्यों में उपभोक्ताओं के लिये कुछ कमी की जानी चाहिये। अब चूंकि सरकार ने उतने परिणाम में आयात नहीं किया है, इसलिये इन मूल्यों में कमी कर देनी चाहिये।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि निगम ने जितनी भी अतिरिक्त निधियां संचित कर ली हैं, उनको सिमेंट उद्योग के विकास में लगाया जाये। राज्य व्यापार निगम को सिमेंट उद्योग को सुविधाजनक शर्तों पर ऋण देने चाहिये। यह सहायता इसलिये आवश्यक है कि इस उद्योग में संसाधनों का अभाव है और इसका कारण है सरकार की कराधान की नीति।

निजी उद्योग देश के विकास में भारी योग दे सकता है, योजनाकारों की आशा से भी अधिक योग दे सकता है। इसलिये निजी क्षेत्र के विकास के लिये सभी कुछ किया जाना चाहिये। देश के औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र का भी बहुत अधिक महत्व है, इसे नहीं भूलना चाहिये। निजी क्षेत्र विदेशी मुद्रा और बेरोजगारी आदि की समस्याओं के हल में योग दे सकता है।

मैं माननीय मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि उत्पादन की गति को धीमा करना देश के हित में नहीं है। स्वाभाविक है, इस गति को बनाये रखने में कठिनाइयां पड़ेंगी ही। हमारा नीजी क्षेत्र जिस सीमा तक देश के विदेशी मुद्रा के अभाव को दूर कर देगा, हम उतनी ही शीघ्रता से देश के समूचे औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति पैदा कर सकेंगे।

अब राजस्थान का प्रश्न लीजिये। इस मंत्रालय ने राजस्थान की लगातार उपेक्षा की है। पहले उत्पादन मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उर्वरकों के कारखानों के मामले राजस्थान के ही सर्वाधिक प्राथमिकता दी जायेगी। उर्वरक उत्पादन समिति के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि राजस्थान में उर्वरक तैयार करने में सब से कम लागत पड़ेगी। लेकिन, फिर उसकी स्थापना के लिये कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

राजस्थान में तांबा, सीसा, जस्ता और अन्य खनिजों के विशाल निक्षेप हैं। मंत्रालय ने उनके उपयोग के लिये अभी तक कुछ भी नहीं किया है।

राजस्थानी उद्योगपतियों ने पूरे भारत के औद्योगिक विकास में इतना भारी योग दिया है, फिर भी राजस्थान में निजी क्षेत्र कोई भी औद्योगिक विकास नहीं कर सका है। यह इसलिये कि वहां औद्योगिक विकास के लिये अत्यावश्यक कुछ सुविधाओं का अभाव है।

राजस्थान में संचार, जल तथा विद्युत् का अभाव है । उस के कारण वहां पूंजी लागत अधिक पड़ती है, और इसीलिये वहां अभी तक कोई भी निजी उद्योगपति मुनाफे के साथ विद्युत् तैयार नहीं कर सका है । चम्बल और भाखरा जैसी योजनाओं में अभी बहुत समय लगेगा । राजस्थान में विद्युत् सुलभ बनाने का दायित्व केन्द्रीय सरकार पर है । उसे राजस्थान सरकार को पर्याप्त सहायता देनी चाहिये । केन्द्रीय सरकार को वहां संचार, जल और विद्युत् की सुविधायें सुलभ बनानी चाहियें ।

राजस्थान की सूती कपड़े की मिलें भी घाटे में चल रही हैं । लेकिन, केन्द्रीय सरकार बम्बई और राजस्थान दोनों ही स्थानों की सूती कपड़े की मिलों के प्रति अपनी एक ही नीति रखती है । उसे राजस्थान में कुछ विशेष सहायता देनी चाहिये ।

मंत्रालय ने राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये काफी कार्य किया है । लेकिन, प्रतिवेदन के अनुसार, उसके लिये कुल १२ लाख रुपया ही आवंटित किया गया है ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल के लिये पांच करोड़ की राशि रखी गई है ।

†**श्री सोमानी** : यह तो और भी अच्छा है । मंत्रालय को पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री को राजस्थान के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों और छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास में पड़ने वाली अड़चनों की विशेष तौर पर जांच करानी चाहिये ।

†**श्री याज्ञिक** (अहमदाबाद) : वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मंत्रालय ने देश में उद्योगों का चौमुखा विकास किया है । मुझे उन सब से बड़ी प्रसन्नता है ।

लेकिन, इस प्रतिवेदन को देखने से लगता है कि मंत्रालय का दृष्टिकोण एकांगी है । वह उद्योगों, विकास, विदेशी मुद्रा आदि सभी विषयों का उल्लेख है, लेकिन श्रमिकों का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है । उसमें श्रमिकों और टेकनिशियनों के सहयोग का उल्लेख भी नहीं है ।

दूसरी बड़ी कमी यह है कि मंत्रालय अर्थशास्त्रियों को कोई महत्व नहीं देता ।

प्रतिवेदन में विदेशी मुद्रा की कमी के बारे में कहा गया है । हमें सब से अधिक विदेशी मुद्रा चाय, सूती कपड़ा और पटसन से मिलती है । आप इन तीनों उद्योगों पर दृष्टिपात कीजिये तो स्पष्ट हो जायेगा कि मंत्रालय का दृष्टिकोण कितना एकांगी है । मंत्रालय पिछड़े डेढ़ वर्ष से चाय बागान जांच आयोग के प्रतिवेदन पर विचार ही कर रहा है । उसने अभी तक कोई निर्णय ही नहीं किया है ।

हमारी चाय की सब से अच्छी किस्में विदेशों में निर्यात कर दी जाती हैं । देश के बाजारों में सब से घटिया चाय बिकती है । हमें अपनी जनता के लिये भी अच्छी चाय सस्ते मूल्य पर सुलभ बनानी चाहिये । मंत्रालय न तो श्रमिकों और न उपभोक्ताओं के ही हितों की ओर ध्यान देता है !

आज हम कपड़े का निर्यात करते हैं । लेकिन, मंत्रालय भारतीय जनता को उपयुक्त मूल्य पर कपड़ा सुलभ बनाने के लिये कुछ भी नहीं करता है । वह केवल विदेशी मुद्रा की ओर देखता है ।

कच्चे पटसन और पटसन की तैयार वस्तुओं के मूल्यों में बहुत अधिक अन्तर रहता है । क्या इसका कारण यही नहीं है कि पटसन उद्योग में कोई बड़ी खामी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री याज्ञिक]

पटसन उद्योग विदेशी पूंजी के हाथ में ही रहा है। उन विदेशी पूंजीपतियों ने अपने मूल विनियोजन की कई गुनी राशि मुनाफे में कमा ली है। वे कभी तो बहुत अधिक पटसन का उत्पादन कर देते हैं और कभी बहुत कम। मेरा अपना विचार है कि विदेशी एकाधिकारियों का मुख्य उद्देश्य भारी मुनाफे काटना ही है, और यही इस उद्योग के विकास में सब से बड़ी बाधा उपस्थित करता है।

पटसन उद्योग के इस पूरे प्रश्न की जांच कराना आवश्यक है। मेरा विचार है कि पटसन उद्योग पर से विदेशी एकाधिकारियों की जकड़ ढीली की जानी चाहिये। उसमें उत्पादन बढ़ाना चाहिये। यदि एकाधिकारी उसका निर्यात नहीं करते, तो राज्य व्यापार निगम पटसन को निर्धारित मूल्य पर उद्योगपतियों से खरीद कर उसका निर्यात कर सकता है।

भारत में विदेशी पूंजी के विनियोजन, विदेशों की प्राविधिक सहायता लेने में कोई हानि नहीं है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि कुछ ऐतिहासिक कारणों से हमारा सारा वाणिज्य विदेशी पूंजीपतियों की जकड़ में है। ये विदेशी ही हमारे पूरे आयात और निर्यात पर हावी हैं। विदेशी मुद्रा के बैंक और विदेशी बीमा समवाय भारत की अर्थ-व्यवस्था का गला घोट रहे हैं।

हमें अपने देश के नौवहन, बीमा समवायों, बैंकों और आयात निर्यात करने वाली व्यावसायिक संस्थाओं पर से विदेशी पूंजी की जकड़ खत्म करनी चाहिये। हमारे उद्योग भी अब विदेशी पूंजी की जकड़ में आते जा रहे हैं।

मेरा विचार है कि मंत्रालय को इस दिशा में गम्भीरता से सोचना चाहिये, और हमारे उद्योग तथा वाणिज्य पर से विदेशी एकादिधकारियों की जकड़ खोलनी चाहिये।

प्रतिवेदन में बम्बई और गुजरात को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। केवल राजकोट में एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। निर्वाचन के समय सूरत के पास भी एक औद्योगिक क्षेत्र—उधना—स्थापित करने का वचन दिया गया है। लेकिन अब उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है।

कुछ समय पहले भावनगर में कई उद्योग आरम्भ करने के लिये, यहां तक कि भावनगर—तारापुर रेलवे लाइन खोलने के लिये भी वचन दिया गया था। लेकिन, लगता है कि मंत्रालय ने गुजरात के औद्योगिक विकास को जैसे भुला ही दिया है। महाराष्ट्र और गुजरात में कई औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकता है।

इस पूरे प्रतिवेदन में केवल एक ही स्थान पर भारत के देहातों का उल्लेख है। और विचित्र बात तो यह है कि छोटे पैमाने के उद्योग के उत्पादों को देहातों में बेचने के लिये घूमती-फिरती मोटर गाड़ियां रखी गई हैं। यह बिल्कुल अनावश्यक है।

आप देहातों के लोगों को ऐसी वस्तुयें भेजते हैं जो औद्योगिक क्षेत्रों में खप नहीं पाती हैं। आप उन्हें उनकी आवश्यकता की चीजें नहीं देते। उन्हें दो चीजों की आवश्यकता है—पहली तो यह कि उनके उत्पादों के उचित मूल्य दिये जायें और दूसरी यह कि उचित मूल्यों पर फसलों के उत्पादन के लिये आवश्यक चीजें।

सरकार ने अमरीकी रुई की क़िस्म का बड़ा प्रचार किया था। कृषि विभाग ने उसके बीज भी दिये थे। लेकिन उसकी अच्छी फ़स्ल के बाद बाजार में उसकी कोई मांग ही नहीं थी। इससे किसानों को बड़ी हानि हुई थी। यह शायद इस लिये कि सरकार ने उस समय तक

अमरीकी रुई का आयात कर लिया था, और इससे देश में पैदा होने वाली अमरीकी किस्म की रूई के मूल्य गिर गये थे। इससे किसानों में और भी निराशा छा गई है।

किसानों को लोहे के अच्छे औज़ारों और बढ़िया उर्वरक चाहिये। ये उन्हें उचित मूल्य पर मिलने चाहिये। लेकिन परिस्थिति तो यह है कि कई कारणों से सिन्दरी के उर्वरक उन तक पहुंच ही नहीं पाते, और उन्हें विदेशों से आयात किये गये उर्वरक ही खरीदने पड़ते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को देशीय उर्वरक ही उचित मूल्यों पर उनके अपने देहाती क्षेत्रों में ही सुलभ हों।

साथ ही, लोहे और इस्पात के औज़ारों के मामले में भी किसानों की उपेक्षा ही की गई है। किसानों को उचित मूल्यों पर औज़ार मिलते ही नहीं हैं। कठिनाई तो इस बात की है इस मंत्रालय ने केवल उत्पादन की ओर ही ध्यान दिया है, उत्पादों को उचित मूल्य पर देहाती क्षेत्रों में सुलभ बनाने की ओर नहीं। औजार किसानों तक पहुंच ही नहीं पाते।

देश में अब अधिक सिमेंट सुलभ है, लेकिन देहातों में उसका अभाव ही बना हुआ है। सरकार देहातों में सिमेंट भेजना आवश्यक ही नहीं समझती। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की ओर प्रगति करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि मानवों से ही समाज बनता है, और मानव ही महत्वपूर्ण है। हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजी वर्मा।

श्री रामजी वर्मा (देवरिया) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खास तौर से कॉटेज इंडस्ट्रीज़ (कुटीर उद्योगों) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

गांधी जी ने ग्रामोद्योग पर इसी लिये खास तौर से जोर दिया था कि स्वराज्य प्राप्त होने के बाद इन के द्वारा लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। लेकिन आज की सरकार का अधिक ध्यान बड़े बड़े व्यवसायों और उद्योगों की ओर है। जहां अरबों रुपया बड़े बड़े प्लांट्स (संयंत्रों) और इंडस्ट्रीज़ के लिये लगाया जा रहा है वहां ग्रामोद्योगों के लिये सिर्फ करोड़ों में बजट समाप्त हो जाता है। लोग बेकार हैं। हिन्दुस्तान की जन शक्ति बेकार हो रही है। उसका आज कोई उपयोग नहीं है। आपसे आशा थी कि आप उनको काम देंगे। इतिहास बतलाता है कि जब यहां विदेशियों की सरकार थी तो यहां के व्यवसाइयों के हाथ काटे गये थे। अपनी सरकार होने के बाद सब लोगों को आशा थी कि लोगों को नये नये धन्धे मिलेंगे लेकिन मैं आपसे कहूं कि यदि आज भी आप लोगों की रोजी रोटी काट रहे हैं और उनका पेट भरने के लिये कोई व्यवसाय नहीं दे रहे हैं तो शायद वही काम आप भी कर रहे हैं जो विदेशी सरकार ने किया था। आपसे आशा थी और है कि आप गृह उद्योगों को बढ़ायेंगे। हिन्दुस्तान खेतिहर मुल्क है। खेती का उद्योग धन्धा यहां है। लेकिन इसमें खेतिहर कितने बेकार रहते हैं और जब तक आप उनको कोई सहायक धन्धा नहीं देंगे तब तक वे पनप नहीं सकते। सारे हिन्दुस्तान की यह बात है।

मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और उसमें भी उसके पूर्वी जिलों का। मैं उस क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की सारी नदियों का अन्त उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में होता है। वहां पर बाढ़ की समस्या हर साल पैदा होती है और उससे लोगों की तबाही होती है। खेती का जो वहां के लोगों का धन्धा है उसे हर साल बाढ़ वहां ले जाती है और वहां त्राहि त्राहि की पुकार होती है। जब राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सरकार से मदद के लिये दौड़ते हैं तो सरकार भी नावों पर कुछ चना,

[श्री रामजी वर्मा]

मिट्टी का तेल, कुछ बोरे नमक और दियासलाई भेज कर अपने कर्त्तव्य को इतिश्री समझ लेती है। हर साल की यह परेशानी है। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि कोई उद्योग धन्धा दीजिये कि जिससे इस बाढ़ से भी हमारी परेशानी दूर हो और हम अपने लिये रोजी और रोटी का भी कोई रास्ता निकाल सकें। प्रदेश को सरकार ने बहुत खुश होकर गांधी जी का चरखा दिया, और कहा कि यह गांधी जी का मंत्र है इसे तुम जपो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों ने चरखे को बड़े प्रेम से काता, खास तौर से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में लोगों के घरों में यह कता हुआ सूत मनों पड़ा हुआ है और कोई उसका खरीदार नहीं है। आपकी दृष्टि एक तरफ बड़े बड़े उद्योगों की तरफ है, लेकिन अगर दूसरी ओर आप इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको लोगों के लिये रोजी रोटी खोजनी चाहिये। पर आप उनको गांधी जी का चरखा दे देते हैं और उनके सूत को खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है। किस तरह से आप मुल्क को आगे बढ़ायेंगे। इस तरह से तो शायद आप मुल्क को नहीं बढ़ा सकेंगे। यह प्रश्न अकेली आपकी सरकार के ही सामने नहीं है बल्कि यह तो हर सरकार के सामने आयेगा। चाहे आपकी सरकार रहे या दूसरी सरकार आ जाये, हर सरकार को इस प्रश्न को फेस करना पड़ेगा। बुनियादी प्रश्न लोगो को रोजी रोटी देने का है। इसकी तरफ से अगर यह सरकार आंख मोड़ती है तो किसे सुनाया जाये। प्रदेश की सरकार नहीं देखती यह बात नहीं है। वह देखती भी है और सुनती भी है, लेकिन देखने और सुनने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं देती। माननीय मंत्री जी से एक रोज हम लोग मिले तो उन्होंने कहा कि छोटे मोटे धन्धे तो बहुत कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हैं, उससे कहो। लेकिन हम तो पीड़ित हैं। प्रदेश की सरकार से कहते हैं, आपसे भी कहते हैं, लेकिन जब कहीं पर सुनवाई नहीं होती तो हम क्या करें। पूर्वी जिलों में आज भुखमरी फैली हुई है और लोग दाने दाने के लिये परेशान हैं। इस कारण प्रजा समाजवादी दल ने तो सत्याग्रह तक का ऐलान किया। कल पन्त जी ने कहा कि डिमाक्रेटिक (लोकतंत्रात्मक) राज में भी लोग सत्याग्रह की बात सोचते हैं। हम नहीं सोचते लेकिन जब देखते हैं कि अपना राज होने पर, स्वराज्य होने पर भी, अपने नेताओं का राज होने पर भी यह हालत है कि वह देख कर भी नहीं देखते हैं और सुनकर भी नहीं सुनना चाहते हैं, तो जिस नींद में वे पड़े हुये हैं उससे उनको जगाने के लिये हमारे पास और रास्ता ही क्या है। हम उनको बम से, पिस्तौल से या बन्दूक से नहीं जगायेंगे। हमारे पास तो वही रास्ता है जिस रास्ते से मुल्क को गांधी जी ने जगाया था। उसी रास्ते से हम सरकार को जगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह हमारी तरफ ध्यान दे। किन्तु पता नहीं क्या बात है, इन पूर्वी जिलों की ओर उत्तर प्रदेश की सरकार खफा रहती है, और केन्द्रीय सरकार भी उनकी उपेक्षा करती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बहुत से बेकार लोग हैं जो कि कुलीगीरी का काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हमको कब तक कुली बनाये रखना चाहते हैं। हिन्दुस्तान के कोने कोने में हमारे यहां के लोग कुली का काम करते हैं। एग्रीकल्चुरिस्ट (कृषि प्रधान) मुल्क में लोगों की यही हालत होती है। यह हालत दूसरे राज्यों में भी होगी, पर इस समय तो मैं अपनी ही बात कह रहा हूं। शायद सरकार आसाम के चाय के बागानों में कुली भेजने की दृष्टि से हमारे पूर्वी जिलों को कोई उद्योग धन्धा नहीं देना चाहती। हावड़ा और स्यालदह के स्टेशनों पर सस्ते में कुली मिलते रहें शायद इस ख्याल से उत्तर प्रदेश से पूर्वी जिलों को कोई उद्योग धन्धा नहीं दिया जा रहा है। बम्बई की गलियों में भी, जहां हमारे कामर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर (उद्योग मंत्री) मुख्य मंत्री रह चुके हैं, केला और दूध पहुंचाने वाले सस्ते होकर भी हमारे जिलों के लोग हैं। तो क्या हमको चाय बागानों के कुली और हावड़ा और सियालदह जैसे बड़े स्टेशनों के कुली और बम्बई और कानपुर और दूसरे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शहरों में सस्ते कुली बनाये रखना

के लिये हमको कोई उद्योग धन्धा नहीं दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो आप इस ओर ध्यान दें। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मुल्क आपके हाथ में से निकल जायेंगे। लोगों को भूखों रख कर और उनके रोटी और रोजी के सवाल को हल न करके पर यूरोप के मुकाबले के बड़े बड़े उद्योगों धन्धे यहां कायम करके आप मुल्क को ज़िन्दा नहीं रख सकते।

मैं कुछ उद्योग धन्धों की तरफ संकेत भी करना चाहता हूं। हमारे जिलों में गन्ने की पैदावार बहुत होती है। वहां पर कुछ चीनी मिलें भी हैं। उनके वगास से और मोलासेज़ से नये नये उद्योग धन्धे कायम किये जा सकते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह बात तो हम बहुत दिनों से सुनते आरहे हैं लेकिन अभी तक इस ओर कुछ किया नहीं गया है। वहां पर बेंत का काम और कांच का काम चलाया जा सकता है। नैपाली घास से काग़ज बनाने का उद्योग वहां पर चल सकता है। लेकिन जिन लोगों के जिम्मे यह काम है पता नहीं उन लोगों ने अब तक क्यों गुरेज कर रखा है और उस तरफ इन उद्योगों धन्धों को नहीं पनपाया जा रहा है। तराई का इलाका होने के कारण यहां पर साखू, सागौन और शीशम की लकड़ी बहुत प्राप्त हो सकती है। लेकिन रेलवे कोचेज़ (डिब्बे) बनाने के कारखाने दूसरी जगहों पर खोले जा रहे हैं, ऐसी जगहों पर नहीं खोले जाते जहां लकड़ी बहुत पैदा होती है। इस तरह से ये जिले उपेक्षित हैं। तमाम हिन्दुस्तान में जहां तक किसानों का ताल्लुक है वे भी उसी तरह से उपेक्षित हैं जिस तरह से कि हम उपेक्षित हैं। इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम इन समस्याओं का कोई हल ढूंढें और इनको हम इगनोर न करें।

अन्त में मैं इतना ही अर्ज करके अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि रोटी और रोज़ी के नाम पर आप हमको चर्खा दें, आप हमको अम्बर चर्खा दें। हम आपसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं मांगते, हम उनके भूखे नहीं हैं, हम तो छोटी इंडस्ट्रीज़ ही मांगते हैं जिन्हें आप अवश्य हमें दीजिये। यह काम यदि प्रान्तीय सरकार अपने हाथ में नहीं लेती है तो इसे आप ही अपने हाथ में लें और हमें आप भूखों न रखिये। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप हमें मजबूर करना चाहते हैं कि हम सत्याग्रह करके या किसी और तरीके से आपको जगावें और यदि हमें यह रास्ता अखत्यार करना पड़ा तो यह लाचारी में करना पड़ेगा और मुझे आशा है कि हमें ऐसा करने के लिये यदि विवश होना पड़ा तो आप हमें क्षमा करेंगे।

श्री रा० क० वर्मा (निनाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस मंत्रालय की खर्च की मांगों पर भी जो बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मेरा उद्योग विभाग से और खास तौर से उन इंडस्ट्रीज से जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, शुरू से ही घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे किताबी ज्ञान बहुत अधिक नहीं है लेकिन यह कहे बगैर भी मैं नहीं रह सकता हूं कि प्रेक्टिकल नालिज (वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान) प्राप्त करने का मेरा पूरा प्रयत्न रहा है। चीजों की पैदावार से लेकर उनके बेचने तथा खरीदने का जो तरीका है, उसका भी मैं प्रेक्टिकल दृष्टि से अध्ययन करता रहा हूं और कर रहा हूं। मुझे इस विभाग के बारे में काफी देखने को मिला है और उस पर मैंने काफी विचार भी किया है। लेकिन जिस तरह से मैं इस सम्बन्ध में सोचता था और जो कुछ मैं देखना चाहता था, वैसा न देखकर मैं हताश हो कर रह जाता हूं। मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि हमारे शासन ने प्लानिंग के बारे में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो औद्योगिक पालिसी (नीति) रखी है, दरअसल

[श्री रा० क० वर्मा]

में वह एक बहुत ही अच्छी कल्याणकारी है और यह मानी हुई बात है कि यदि हमें देश को ऊंचा उठाना है, यदि हमें तरक्की करनी है, यदि हमें राष्ट्रीय आय बढ़ानी है तो हमें औद्योगिक विकास की ओर ख़ास तौर से ध्यान देना होगा। हमारे देश के अन्दर सबसे पहले एग्रिकलचर (कृषि) और दूसरे नम्बर पर उद्योग ही हमारी राष्ट्रीय आय के आधार बन सकते हैं और हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो महत्व पब्लिक सेक्टर को दिया गया है तथा ग्रामोद्योग को दिया गया है ठीक ही दिया गया है और दरअसल में इन दोनों को समाजवादी समाज की रचना में महत्वपूर्ण भाग अदा करना है। लेकिन पिछले दिनों जो पालिसी हमारे उद्योग मंत्रालय की रही है और उसके अन्दर जो पालिसी (नीति) इम्पोर्ट (आयात) और फारेन एक्सचेंज रिसोर्स (विदेशी मुद्रा) के बारे में रही है, वह ऐसी रही है कि उससे हमें जिस लाभ की आशा थी और जो लाभ हमें होना चाहिये था, वह लाभ हमें नहीं हुआ है। आज मुझे यह कहते हुये खुशी होती है और यह देखकर आनन्द भी होता है कि अब यह विभाग ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आ गया है जिनके आइडियाज़ बिल्कुल क्लीयर-कट (स्पष्ट) हैं और जो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझता है, जानता है इसका पूरा पूरा ज्ञान रखता है और जिसका सुलझा हुआ दृष्टिकोण है। इसके लिये मैं मुरारजी भाई को तथा उनके सहयोगी श्री शाह को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके हाथ में आज इस विभाग की बागडोर है। आज दिन तक इस विभाग को किसी के सुपुर्द करने के बारे में हमारी बड़ी डांवाडोल हालत रही है। अब मैं आशा करता हूं कि इसकी हालत सुधरेगी और इस विभाग को अपना सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से ही मैं आपके सम्मुख चन्द एक सुझाव पेश करना चाहता हूं जिन पर आप विचार करें और विचार करने के बाद यदि आप उनको उपयोगी समझें तो उन पर आप अम्ल करें।

आज आपकी पालिसी यह है कि उद्योगिक उत्पादन बढ़ाया जाये और इसको बढ़ाने के लिये आपको जनता का सहयोग चाहिये, प्राइवेट सैक्टर का सहयोग चाहिये और सबसे बढ़कर के मज़दूरों का सहयोग चाहिये। ये सब बातें सही हैं। यदि गवर्नमेंट को तथा पब्लिक सैक्टर को आम जनता का, प्राइवेट सैक्टर का, मज़दूरों का पूरा सहयोग नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट यदि चाहे भी, तो भी उत्पादन बढ़ा नहीं सकती है। मुझे यह देखकर खुशी तथा आनन्द हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर आपने जो औद्योगिक टारगेट (लक्ष्य) अपने सामने रखे थे उनको आपने आम जनता के सहयोग से तथा मज़दूरों के सहयोग से पूरा किया और पूरा ही नहीं किया अपितु उनको भी आप पार कर गये। यह बड़ी खुशी की बात है कि आप जो आशा लगाये हुये थे, उससे भी आगे हम निकल गये। मैं आपके सामने जिस इडस्ट्री के साथ मेरा रोज़मर्रा का सम्बन्ध रहता है उसके बारे में कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। यह इंडस्ट्री टैक्सटाइल की है। हमारे मित्र सोमानी जी ने कुछ आंकड़े पेश किये हैं। मैं आपको बतलाना चाहता कि यदि सन् १९४९ के आंकड़ों को आप लें और सन् १९५५ के आंकड़ों को लें तो आपको पता चलेगा कि पर-वर्कर प्रोडक्शन (प्रति श्रमिक उत्पादन) टैक्सटाइल का सारे हिन्दुस्तान में २७ परसेंट के करीब बढ़ा है जब कि इंदौर में वह ५८ परसेंट बढ़ा है। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि प्राडकटिविटी (उत्पादन) के बढ़ने के साथ ही साथ, जो चीज़ों के भाव थे वे भी चार गुना ऊपर छलांग मार गये हैं जब कि इस अनुपात से मजदूरों के वेतन नहीं बढ़े हैं। इसके विपरीत कास्ट आफ लेबर के बारे में यदि हम १९४९ के आंकड़े लें और १९५५, १९५६ और आज जो मौजूदा हालत है सन् १९५७ की, उसके आंकड़े लें, तो, इस इंडस्ट्री की जो हमारे माननीय मित्र सोमानी जी ने बहुत ज्यादा चर्चा की है, आपको पता चलेगा कि कास्ट आफ लेबर कम हुआ है जब कि प्राइसिस (कीमतें) ज्यादा बढ़ गई हैं और प्राडक्शन काफी बढ़ गया है।

इसका मतलब यह हुआ कि इन बढ़ी हुई कीमतों का जो असर पड़ा है वह एक तरफ तो श्रमिकों के ऊपर पड़ा है और दूसरी तरफ आम जनता के ऊपर जिसको कि ज्यादा कीमतें देनी पड़ी हैं।

इसके साथ ही साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम १९४९ के आंकड़े लें और साथ में १९५५ के आंकड़े लें तो यह साफ़ दिखाई पड़ेगा कि हमारे डिविडेंड (लाभांश) की जो दर है वह बहुत ज्यादा बढ़ी है। हमने इन प्राफिट्स को देखा है और इनको हम सन् १९४३ से देखते आ रहे हैं और इनको हमने १९५२ तक देखा है। ये दिनोदिन छलांग मारते ही जाते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो मिलें बन्द पड़ी हुई थीं उनको बिना पैसा लगाये, अपनी जेब से तथा ज़मीन से, उसी उद्योग के अन्दर से वे मिलें भी चालू कर दी गई और ये १९५४ से १९५६ में चालू हुई। एक एक मिल के आधार पर दूसरे कनसर्न इस तरह से बढ़ते गये जिस तरह से लंका जलाते वक्त हनुमान जी की पूंछ बढ़ी थी। यह तो प्राइवेट सैक्टर (गैर-सरकारी क्षेत्र) का हाल रहा है।

अब मैं पब्लिक सैक्टर (सरकारी क्षेत्र) की ओर आता हूं। प्राइवेट सैक्टर की बात तो मैंने कर दी कि वह ऊपर ही जा रहा है और प्राफिट कमा रहा है। यह बात टैक्सटाइल इंडस्ट्री की ही नहीं है बाकी इंडस्ट्रीस की भी है। एक खोमचे वाला जोकि फुटपाथ पर बैठकर मूंगफली बेचता है वह भी दो रुपये दिन में कमा लेता है लेकिन मुझे यह कहते हुये दुःख होता है कि हमारा जो पब्लिक सैक्टर है वह लास में जा रहा है। जब मैं पब्लिक सैक्टर की तरफ नज़र दौड़ाता हूं तो मेरे प्रदेश में जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इंडस्ट्रीज़ चलाई जा रही हैं, उनकी ओर भी मेरा ध्यान चला जाता है और उनमें से एक भी इंडस्ट्री प्राफिट में नहीं चल रही है। तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज़ एक साल से नहीं, दो साल से नहीं, तीन तीन और चार चार साल से नुक्सान उठा रही है और यह उन इंडस्ट्रीज का हाल है जहां मज़दूरों के लिये प्राविडेंट फंड की सुविधायें नहीं हैं, ले-आफ की सुविधा नहीं है और जहां बीमा योजना लागू नहीं है। जब हम इस सारी चीज़ की तह में जायेंगे और पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर का मुकाबला करेंगे तो हमें मालूम होगा कि दरअसल में जो प्राइवेट सैक्टर है वह पब्लिक सैक्टर को दबाये हुये हैं और जो प्राइवेट सैक्टर है वह इसके ऊपर छाया हुआ है और हमारे पब्लिक सैक्टर को नाकामयाब बनाने की फिक्र में है। आज प्राइवेट सैक्टर के अन्दर हम देखते हैं और जब पब्लिक सैक्टर के अन्दर देखते हैं कि ओवरहेड चार्जेज़ कहीं ज्यादा हैं।

टेकनिशियंस (प्रविधिज्ञों) की बाबत मेरा यह कहना है कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री (वस्त्रोद्योग) में हरेक मज़दूर टैकनिशियन बना हुआ है, वह अपनी चीज़ को समझता है, हर एक आदमी अपनी अपनी चीज़ को समझता है और वह उसको बराबर कर रहा है लेकिन पब्लिक सैक्टर के अन्दर विदेशी टेकनिशियंस की इतनी भरमार है कि कौस्ट आफ़ लेवर (श्रम की लागत) से डबल विदेशों से बुलाये हुये टेकनिशियंस का दैनिक भत्ता ही हो जाता है, सैलरी तो अलग से मिलती है ही।

श्रीमान्, मैं आपके सामने पब्लिक सैक्टर के इंडस्ट्री और प्राइवेट सैक्टर की इंडस्ट्री के कुछ फीगर्स कम्पेरेटिव (तुलनात्मक) बेसिस पर रखना चाहूंगा। एक ही इंडस्ट्री है एक पब्लिक सेक्टर है और एक प्राइवेट सेक्टर है और दोनों में एक ही समय पर प्रोडक्शन कार्य शुरू होता है और उन आंकड़ों से आप को यह मालूम हो जायेगा कि प्राइवेट सेक्टर की क्या हालत है और पब्लिक सेक्टर की क्या हालत है।

दूसरी बात यह है कि अभी श्री जी० डी० सोमानी ने गवर्नमेंट को धन्यवाद दिया और धन्यवाद इस बात के लिये दिया कि आपने कैपिटल गुड्स के लिये फ़ारेन एक्सचेंज का खयाल न करते हुये अपनी इम्पोर्ट पालिसी (आयात नीति) ठहराई, तो उसके लिये मैं यह निवेदन करना

[श्री रा० क० वर्मा]

चाहता हूं कि यह जो इम्पोर्ट पालिसी हमने फ़ारेन एक्सचेंज का ख़याल न करते हुये ठहराई, वह हमारे सेकेंड फ़ाइव इयर प्लान के लिये बड़ी घातक साबित हुई। आप स्वयं समझ सकते हैं कि सेकेंड फ़ाइव इयर प्लान में कैपिटल गुड्स के लिये आपने जो रक़म रक्खी हो और वह ५ वर्ष के लिये रक्खी हो और वह एक साल में या योजना के प्रथम ही महीने भर में ही हमारा प्राइवेट सेक्टर सारी की सारी केपिटल गुड्स पार्ट में खत्म कर दे तो दूसरे के लिये हम फ़ारेन एक्सचेंज (विदेशी मुद्रा) कहां से लायेंगे, यह ध्यान देने की बात है और समझने की बात है और इससे सारा हमारा प्रोग्राम अपसेट हो जाता है।

आज हम यह देखते हैं कि हमारी कौटेज इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं और हम कंज्यूमर्स गुड्स अपने वहां तैयार कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि हमने खादी उद्योग और हैंडलूम इंडस्ट्री शुरू की और बेशक़ यह बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी इंडस्ट्री है और उसकी हमें क़द्र करनी चाहिये और उसको एनकरेजमेंट (प्रोत्साहन) देना चाहिये क्योंकि इस तरह हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहता है और वह बाहर नहीं जाता। इसी तरह हमारा चमड़ा उद्योग है। हमारे देश में बहुत चमड़ा है और उस चमड़े से हम अपने देश में बहुत अधिक चीज़ें बना सकते हैं और विदेशों से मंगाई गई चीज़ों की अपेक्षा वे हमें यहां बहुत सस्ती पड़ सकती हैं। रूस में मैंने देखा कि एक जोड़ी जूता २५० रुपये से कम में नहीं आता जब कि हम यहां पर सवा रुपये में चप्पल पहन कर इधर उधर घूमते फिरते हैं। मैं इस सिलसिले में आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में एक चमड़े का कारख़ाना है, उसकी जो कैपेसिटी (क्षमता) है उसका ३३ परसेंट भी वह काम नहीं कर रहा है। मैं आपसे रेयन सिल्क की बात करना चाहता हूं। रेयन सिल्क हमारे देश के लिये और हमारे लिये क्या उपयोगी है? आज सारा का सारा कच्चा माल उसे चलाने के लिये विदेशों से आ रहा है और वह चीज़ तैयार होती है जब कि खादी उससे कहीं अधिक टिकाऊ होती है। खादी जितनी गीली होती है, उसका सूत उतना ही मज़बूत होता है। हमारा देश गर्म देश है और थोड़ी देर में शरीर में पसीना आ जाता है, पसीना आने के बाद हमें खादी के कपड़े को धोना पड़ता है और उस धोने से हमारे सूती कपड़े के ऊपर या हमारे खद्दर या हैंडलूम के कपड़े के ऊपर कोई ख़राब असर नहीं होता लेकिन इसके विपरीत रेयन सिल्क के कपड़े को जितना ही पानी से धोवो, उतना ही वह कमज़ोर होता है। हमने सन् १९५५ में विदेशों से उसके लिये लगभग ९६ लाख का रा मैटिरियल मंगाया था और सन् १९५६ में क़रीब ६ करोड़ का रा मैटिरियल हमने मंगाया। अब आप देखिये कि वह हमारा सारा पैसा कहां गया और इस तरह रेयन सिल्क की इंडस्ट्री हमारे देश की उन्नति और बेहतरी के लिये न होकर नुक़सानदेह साबित हुई है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा एक कारख़ाना नेपा का है जो कि पब्लिक सेक्टर का है और रेयन सिल्क का नागदा का कारख़ाना प्राइवेट सेक्टर में है। नेपा के न्यूज़प्रिंट कारख़ाने को शासकीय सहायता से शुरू किया जाता है। आज हाउस में उसके सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर काल में काफ़ी चर्चा हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नेपा कारख़ाना खोल कर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है और हमारी केन्द्रीय सरकार ने जो यह तय किया कि उस कारख़ाने को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और केन्द्रीय शासन दोनों मिल कर अच्छे तरीके से चलायेंगे, ठीक तय किया और यह बहुत ज़रूरी है कि वह ठीक से चले। मैं यह मानता हूं कि उसके ऊपर जो भी खर्च किया जाय करना चाहिये ताकि जो पैसा हमारा विदेशों के अन्दर जाता है वह बच जाय और न्यूज़प्रिन्ट हमारे देश के अन्दर ही तैयार होने लगे। लेकिन श्रीमान् उस नेपा की क्या हालत है। उस कारख़ाने की मशीनरी और बिल्डिंग लगभग साढ़े ६ करोड़ की है लेकिन उसका

शेयर कैप्टिल लगभग १ करोड़ २६ लाख है। ५ करोड़ की रक़म मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लोन पर दी है जब कि उसके लिये हजारों, लाखों ही नहीं बल्कि कई करोड़ रुपयों की ज़रूरत है। उस नेपा कारखाने में प्रतिदिन १०० टन न्यूज़प्रिंट (अखबारी कागज़) तैयार करना है लेकिन सन् १९५५–५६ की वैलेंस शीट को देखने से मालूम होता है कि उसका कुल उत्पादन २६ लाख १० हज़ार टन का ही हुआ और उसके ऊपर जो खर्चा आता है वह ४५ लाख रुपये से ऊपर आता है, जब कि २६ लाख का उसका वेचान होता है। उस खर्चे के अन्दर जो मज़दूर और श्रमिक लोग काम करते हैं उनकी वेजेज़ का हिसाब क़रीब १ लाख ६८ हजार आता है, दूसरी तरह सेल्रीज़ का हिसाब ४ लाख ९८ हजार ३८२ रुपये आता है। वेजेज से सैल्रीज़ (वेतन) पांच गुना ज्यादा है। विदेशों से जो टैकनिशियंस बुलाये गये हैं और उस कारखाने में काम कर हैं, उनको भत्ता दिया जाता है जैसे कि हम लोगों को २१ रुपये रोज़ दैनिक भत्ता दिया जाता है इसी प्रकार का उनका भत्ता है, मैं उनकी सैल्रीज़ की बात नहीं कर रहा जो हज़ारों रुपये और न मालूम कितनी कितनी मिलती होगी। उन विदेशी टेकनिशियंस का दैनिक भत्ता २ लाख ३० हजार २३४ रुपये हो जाता है और श्रीमान् उसके अनुसार हिसाब लगाने पर मालूम पड़ेगा कि प्रति टन न्यूज-प्रिंट के उत्पादन पर १३०३ रुपये खर्चा आता है और वाजार में जब हम उसको बेचते हैं तो हमें प्रति टन न्यूज़प्रिंट के लिये केवल ७५४ रुपये ही मिलते हैं और इस तरह का प्रति टन के ऊपर हमारे नेपा के कारखाने को ५४९ रुपये का नुक़सान उठाना पड़ रहा है।

मेरी लेवरर्स में दिलचस्पी है, हमारी वहां पर यूनियन है लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर हो यह रहा है कि नीचे वालों का कुछ खयाल नहीं किया जाता है और ऊपर वालों का ही खयाल किया जाता है। मेहनत करने वालों की ज़रूरतें नहीं हैं, जरूरतें हैं आराम करने वालों की। उनके रहने के मकान देखिये, गेस्ट हाउस देखिये। मैं कहता हूं कि हमारे केन्द्रीय मिनिस्टर तो इतनी कंजूसी से रहते हैं कि जहां तक मुझे मालूम है उन के यहां एअर कडिशनिंग भी नहीं है। मैंने तो उन के यहां मेहमानों को एक गिलास शर्वत भी नहीं पिलाते देखा। लेकिन वहां नेपा में आराम से रहने के लिये बढ़िया गेस्ट हाउसेज बने हुये हैं। जिनमें खूब खानपान होता है। यह तो पब्लिक सेक्टर की हालत है। जहां तक प्राइवेट सेक्टर की हालत है, उस में मैं अब ज्यादा नहीं जाना चाहता। उस को तो मैं इसलिये देखना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है वह हमारे मंत्री नहीं कर रहे हैं, उन के नीचे बैठे हुये जो लोग हैं वह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप का समय अब खत्म हो गया।

श्री रा० क० वर्मा : यह मेरा विशेष विषय है, इस पर मैं अभी बहुत कम बोला हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि यह बहुत जरूरी बातें हैं। लेकिन अगर आप को वक्त दिया जाय तो आप इस पर चारों घंटे तक बोल सकते हैं।

श्री रा० क० वर्मा: मैं थोड़ा बहुत काटेज इंडस्ट्री के लिये कहूंगा, खास कर खादी के लिये।

हमारे मंत्री महोदय चर्खा काते विना खाना भी नहीं खाते। मैं उन की बड़ी इज्जत करता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि वह गांधी जी के विचारों के पक्के समर्थक हैं। वे जीवन में उसी को लेकर चले हैं और दुनियां की कोई शक्ति नहीं है जो उन्हें उस से विचलित कर सके। इस काम से मेरा भी कुछ ताल्लुक है। अपने मजदूरों में मैं कम से कम ५ या ७ हजार रु० की खादी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रा० क० वर्मा]

बेचता हूं, और मैंने ऐसा कर रक्खा है कि मेरे मजदूर ज्यादा से ज्यादा खादी पहनें। वे लोग हर साल खादी खरीदते हैं और पहनते हैं। लेकिन मुझे यह देख कर दुःख होता है कि जब मैं खादी बेचने की कोशिश करता हूं वहां खादी नहीं मिलती तो यह डिपार्टमेंट अजीब आधार पर चलता है। आप ने यह उद्योग इसलिये चलाया कि अधिक से अधिक श्रमिकों को काम मिले, हमारी अपनी चीजों का उपयोग हो, उन को सहूलियात हों। लेकिन यह आज कहां चलता है? शहरों में। जहां बड़े बड़े कारखाने हैं, जहां रोजी रोटी के साधन हैं, उन शहरों में ही खादी का काम चलता है और जगहों पर, जैसे नीमाड़ वगैरह, खादी का काम पूरी तरह नहीं कराया जाता। आदिवासी एरिया हैं, हरिजन एरिया हैं, ऐसी एरियाज में अम्बर चर्खा शुरू नहीं किया गया छपाई, रंगाई, का काम शुरू नहीं किया गया। जहां पर खादी उद्योग शुरू होना चाहिये था वहां क्या शुरू किया गया? मुर्गी पालन। अब मुर्गी पालन भी कैसे करें। मुर्गी पालन के साथ कहीं कहीं यह भील मिलाड़े मुर्गी खा ही न जायें, देख रेख पर भारी खर्चा करते हैं और जब कहीं अपने अंडे बेचे लेकिन देख रेख का खर्च इतना पड़ गया कि एक अंडे की कीमत २ रु० २ आ० आई। इसी तरह से मैं खादी की बात कह रहा हूं।

हमारी मध्य भारत गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली। उस में बताया गया कि १९५३–५४ के अन्दर खादी उद्योग में ५६४ आदमियों को काम दिया गया। १९५४–५५ के अन्दर ७६३ आदमियों को काम दिया गया और १९५५–५६ में १४४० आदमियों को काम दिया गया है। यह ठीक है कि जहां तक एम्प्लायमेंट बढ़ने का सवाल है वह बराबर बढ़ता गया है। जब १९५३–५४ में ५६४ आदमियों को काम मिला था वहां १९५५–५६ में १४४० आदमियों को मिला है। लेकिन इसके साथ साथ मजदूरी कितनी दी? सन् १९५३–५४ में ५६४ आदमियों को १७,३२० रु०, १९५४–५५ में ७६३ आदमियों को २३,३७७ रु०, १९५५–५६ में १४४० आदमियों को ३४,८२६ रु० दिया गया। अब देखिये कि उत्पादन कितना हुआ। १९५३–५४ में २८०८८ वर्ग गज कपड़ा, १९५४–५५ में २८४५३ वर्ग गज कपड़ा। यानी १९५३–५४ से १९५४–५५ में उत्पादन कम और मजदूरी ज्यादा। आदमियों की संख्या भी ज्यादा। इसके साथ साथ १९५५–५६ में हमारे यहां ४०३३६ वर्ग गज कपड़ा पैदा होता है। अब अगर इस तादाद को डिवाइड करें तो १९५३–५४ में ९ आ० प्रति वर्ग गज खादी की मजदूरी होती है। इस के बाद जब हम १९५४–५५ में चलते हैं तो १३ आ० २ पाई प्रति गज़ वर्ग होती है और १९५५–५६ में चलते हैं तो १३ आ० १० पाई० होती है। यानी १९५३-५४ से १९५४–५५ में ३ आ० ५ पाई वर्ग गज मजदूरी ज्यादा होती है और १९५५–५६ में १९५३–५४ से ४ आ० १ पाई ज्यादा होती है। मजदूर को क्या मिलता है, यह भी देखने की जरूरत है। हम देखते हैं कि प्रति मजदूर १९५३-५४ में ३० रु० १२ आ० वार्षिक मिलता है जो कि २ रु० ९ आ० प्रति माह होगा, १९५४–५५ में ३० रु० ८ आ० मिलता है जो कि २ रु० ८ आ० प्रति माह होता है और १९५५–५६ में वार्षिक मजदूरी २४ रु० ३ आ० मिलती है जो कि केवल २ रु० मासिक होती है। मेरा यह निवेदन है कि हमें इस चीज़ को सोचना चाहिये कि हम दरअसल कितनी मजदूरी एक आदमी को मासिक देना चाहते हैं। जिस के पास बाल बच्चे हैं, जिस की बीवी है, जिस के घर के आदमी एक आदमी की आमदनी पर निर्भर करते हैं उसको २ रु० मासिक में क्या होता है। इस दिल्ली जैसे शहर में लोग स्टीम एंजन की तरह २ रु० की सिगरेट का धुआं उड़ा देते हैं।

आज इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे उद्योग मंत्री जी और उन के साथी इन बातों के ऊपर काफी ध्यान देंगे, और सब जनता की भांति भारतीय मजदूर भी स्वतन्त्रता का पूरा पूरा लाभ उठायेंगे।

†**श्री दासप्पा (बंगलौर)** : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदन से पता चलता है कि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है—इस बात के लिये मैं मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं ।

पहली पंचवर्षीय योजना में यह कमी रह गई थी कि उद्योगों के उचित विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया था किन्तु अब दूसरी योजना में कृषि तथा उद्योगों का संतुलित विकास किया जा रहा है । मुझे विश्वास है कि अब देश की प्रगति निश्चित रूप से होगी ।

सभी क्षेत्रों में देश की जनता औद्योगिक विकास के प्रति सतर्क है—सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में विकास पूर्णतया हो रहा है । भारी उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों की ओर भी पूरा पूरा ध्यान दिया जा रहा है ।

मैं एक बात यह भी चाहता हूं कि जो भी धन मिले उसे उचित रीति से व्यय किया जाये और उसका पूरा पूरा लाभ उठाया जाये ।

कई मित्र यह सोचते हैं कि क्या प्रगति इतनी तेज हो रही है कि हम उस भार को वहन नहीं कर सकते । इसलिये पहले मैं विदेशी व्यापार के बारे में कहूंगा ।

श्री वें० प० नायर ने हमारी आयात नीति की कड़ी आलोचना की और कहा कि हम ठीक योजनाबद्ध रीति से नहीं चल रहे हैं ।

औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं के कारण हमें मशीनों का आयात करना पड़ रहा है । इसीलिये हमारी आयात निर्यात से ज्यादा है । १९५४ में ५५ करोड़ का घाटा था और १९५६ में २०० करोड़ का घाटा था—इसका कारण भारी मशीनों का आयात है ।

श्री नायर ने भी कुछ सारवान बात कही थी । जब हमें पता था कि हमें विकास के प्रयोजन के लिये भारी मशीनों का आयात करना पड़ेगा तब हमें उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण करना चाहिये था । किन्तु इन वर्षों में उपभोक्ता वस्तुओं का आयात उतना ही रहा है । मंत्रालय ने अनुज्ञप्तियों को ज्यादा देना आरम्भ क्यों किया ? शायद उत्तर यह मिले कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें ठीक रखने के लिये ?

मैं इस प्रकार की नीति का समर्थन नहीं करता । इंग्लैण्ड ने गत युद्ध के बाद जो बचत की वह सराहनीय हैं—उन्होंने स्वयं फटे हुये कपड़े पहने और अच्छे वस्त्रों का निर्यात किया ताकि विदेशी मुद्रा अर्जित करें—कई वर्षों तक वहां के नवयुवक एक अंडा प्रति सप्ताह खाते रहे किन्तु देश का ध्यान था—और इसी प्रकार की कुर्बानी से उन लोगों की हालत फिर पहले जैसी हो गई ।

हमने ठीक उलट कार्यवाही की—खैर जो कुछ हुआ सो हुआ—किन्तु आगे तो हमें सतर्क रहना चाहिये ।

अब निर्यात का प्रश्न है । चाय तथा कॉफी से हमें पर्याप्त आय होती है—इन वस्तुओं का निर्यात हमें ज्यादा करना चाहिये —किन्तु कॉफी का निर्यात घट गया है । खैर मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि हम कॉफी की खेती पर अधिक व्यय करेंगे ।

जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है—मैं तो यह कहूंगा कि जो उद्योग ठीक ढंग से चल रहे हैं उनका राष्ट्रीयकरण व्यर्थ है । जो रुपया हम इधर लगाते हैं—हमें नये उद्योगों के खोलने में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दासप्पा]

लगना चाहिये। दूसरे सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में भी अन्तर नहीं पैदा करना चाहिये। हमें तो उत्पादन से ही सम्बन्ध है। जिस तरीके से देश का लाभ हो वही तरीका अच्छा होता है।

औद्योगिक विकास में सब से बड़ी रुकावट एक ही है और वह है टेकनीकल लोगों की कमी। मंत्रालय को इस बात पर ध्यान देना चाहिये और इस सम्बन्ध में सभी प्रकार की सुविधायें पैदा करनी चाहिये।

मैं वस्त्रोयोग के सम्बन्ध में भी दो एक बातें कहूंगा। गत वर्षों में हथकरघों को पर्याप्त सहायता दी गई है। सरकार ने माल की खपत की पूरी व्यवस्था की है और सहकारी समितियों को भी सहायता दी है।

कानूनगो वस्त्रोयोग जांच समिति ने सुझाव दिया है कि ३५,००० हथकरघों को बिजली से चलाया जाये। मंत्रालय यह कहता है कि पहले जुलाहे सहकारी संस्थायें बनायें। मैं कहना चाहता हूं कि इस शर्त को किस लिये रखा जा रहा है। मैं सुझाव देता हूं कि जांच समिति के सुझाव को बिना किसी शर्त के क्रियान्वित किया जाये।

बिजली से चलने वाले करघों का जो शुल्क लिया जाता है—उस में को छट नहीं है सारा साल तो करघे चलते ही नहीं—साल में बहुत समय तक ये करघे खाली पड़े रहते हैं—इसलिये मंत्रालय को चाहिये कि वह इस बात पर विचार करें।

अब मैं अपने राज्य के निकट की बात कहूंगा। मैं ने पहले ही रेशम की जाती लेख किया है। किन्तु हमें एक शिकायत है कि प्रत्येक वर्ष पर्याप्त रकमें मंजूर की जाती हैं। और उन्हें व्यय नहीं किया जाता। जब व्यय नहीं कर सकते तो उसे पहले से ही आय-व्ययक में न रखा जाये। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन योजनाओं पर पहले से ही विचार कर लिया जाना चाहिये।

हमारे देश में बिजली भी ज्यादा पैदा की जा रही है—हमें अधिक से अधिक विद्युत ट्रांसफारमरों की आवश्यकता होगी। हमारे यहां सरकारी कारखाना है और उसे बढ़ाने की योजना है। यदि उसे बढ़ाया जाये तो ज्यादा लाभ होगा। मंत्री महोदय को इस बात पर भी विचार करना चाहिये।

कुटीर उद्योगों में से मेजपोश बनाने वाला उद्योग सब से ज्यादा डालर अर्जन कर सकता है। अमेरिका में इनकी बहुत मांग है— किन्तु ठीक ढंग का संगठन न होने के कारण यह उद्योग गर्त में गिर पड़ा है। यदि केन्द्र इन बातों की ओर तनिक भी ध्यान दें तो मुझे विश्वास है कि हालत सुधर सकती है।

†**श्री रामकृष्णन्** (पोल्लाची): भारत एक पिछड़ा हुआ देश है—यहां के औद्योगिकरण को समस्या के दो पहलू हैं। पहला तो आन्तरिक उत्पादन बढ़ाने के बारे में है। सलाहकार परिषद् के सामने माननीय मंत्री ने इस विषय पर पर्याप्त बातें कहीं थीं। मुझे विश्वास है कि सरकार ने इस पहलू पर ध्यान दिया है और प्रतिवेदनों से ज्ञात होता है कि उत्पादन बढ़ रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा पहलू है निर्यात की वृद्धि करने का । हाल हा म हमन बहुत से पौंड पावने की रकम इंग्लैण्ड से ली है—यह बड़ी चिन्ताजनक बात है। हमें वास्तव में कम से कम चीजें आयात करनी चाहियें और केवल अत्यावश्यक वस्तुयें ही मंगवानी चाहिये ।

हमारे पास जनशक्ति बहुत है । हमें पहले उन्हीं उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिये जिनसे हमें विदेशी मुद्रा की आय हो ।

मैं समझता हूं कि हम अपना निर्यात को बढ़ा सकते हैं—कुछ निगरानी तथा सतर्कता की आवश्यकता है। एक विचार यह है कि हम केवल निर्मित वस्तुओं का ही निर्यात करें। किन्तु मैं समझता हूं कि कुछ समय तक तो हमें गंभीरता से इस बात पर लगे रहना चाहिये और कच्चे माल का निर्यात करना चाहिये । हमे और भी वस्तुओं के निर्यात पर ध्यान देना चाहिये—जैसे तिलहन ।

बिनौलों से तेल निकलता है खली बनती है और लिन्टर बनते हैं। अब केवल ५ प्रतिशत बिनौलों से ही तेल निकाला जाता है। यदि इस मात्रा को बढ़ाया जाये तो हमें ८ करोड़ रुपये की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आय हो सकती है ।

मूंगफली की खली के बारे में भी यही बात है। ८० प्रतिशत खली को हम उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। उदजनित करने के काम के लिये बिनौलों को प्रयुक्त किया जा सकता है और मूंगफली की खली से २ करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय की जा सकती है।

इसी प्रकार से अरंडी के बीज से भी बहुत सी विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जा सकता है—इस की बड़ी मांग है। कपास आदि का निर्यात भी बढ़ाया जा सकता है—साथ ही हमें लम्बे रेशे की कपास का आयात कम करना चाहिये ।

आज हम औद्योगिक कच्चा माल अधिक मंगवाते हैं। मशीनें भी मंगवाई जाती हैं। बड़ी चीजें बनाने वाले उद्योगों के विकास के बाद हमें ये चीजें बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेंगी। रसायनिक कारखानों के स्थापित करने में हमारे सामने बहुत कठिनाइयां है—किन्तु मेरी प्रार्थना यह है कि जो विद्यमान कारखाने हैं हमें उन्हीं का अधिक विकास करना चाहिये। इस प्रकार से हम पर्याप्त विदेशी मुद्रा का अर्जन भी कर सकेंगे ।

कई बड़े उद्योगों का विकास भी पूर्णतया नहीं हुआ है । बिजली आदि से सम्बन्धित सामान बनाने के उद्योग का विकास करना आवश्यक है। यह उद्योग अतिशय महत्वपूर्ण है। गत युद्ध में जिस देश में यह उद्योग प्रगति पर था उसे बड़ा लाभ हुआ। इस लिये हमें इसी उद्योग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये ।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान कुछ खतरों की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। औद्योगिक एकाधिपतियों का विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रिय संतुलित विकास यदि न हुआ तो उस की राजनैतिक प्रति क्रियायें होंगी । बहुत से क्षेत्र पिछड़े हुये हैं और कुछ क्षेत्र विकसित हैं—इस लिये पूरे संतुलन से इन का विकास होना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देता हूं कि छोटे पैमाने के अधिकतर उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में लगाये जायें—साथ ही बड़े कारखाने भी वहां लगने जरूरी हैं जिन उद्योगों को प्रत्येक स्थान पर लगाया जा सकता है उन्हें वहां लगाया जाये ।

[श्री रामकृष्णन]

जहां आबादी घनी हो वहां कारखाने लगाये जायें और सामरिक दृष्टिकोण से भी दक्षिण में अधिक कारखाने लगाने की आवश्यकता है ।

औद्योगिक प्रगति के लिये औद्योगिक गवेषणा बहुत महत्वपूर्ण है---इस कारण गवेषणा कार्य को प्रोत्साहित किया जाये ।

श्री आसर (रत्नागिरी) : उपाध्यक्ष महोदय, वाणिज्य और उद्योग के बारे में सरकार की जो नीति आज चल रही है उस से देश का भला होने की कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती क्योंकि उस की नीति बिल्कुल अनिश्चित है । निश्चित रूप से कोई योजना रख कर सरकार का आगे चलना आवश्यक होता है । आज सरकार अपने हाथ में सत्ता रखने के लिए पब्लिक सेक्टर को बहुत महत्व दे रही है, लेकिन जब हम पब्लिक सेक्टर (सरकारी क्षेत्र) का विचार करते हैं तो यही देखने को मिलता है कि वह सक्सेसफुल (सफल) नहीं हुआ है क्योंकि आज जो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले हैं उन के अन्दर यह भावना नहीं है कि पब्लिक सेक्टर के धन्धे उन के अपने हैं और उन को बढ़ाने के लिए उन को प्रयत्न करना है । इस भावना के न होने के कारण परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम हर जगह पब्लिक सेक्टर में करप्शन देखते हैं । आज हमारे सामने जापान का उदाहरण है । वह एक छोटा राष्ट्र है, लेकिन छोटा राष्ट्र होते हुए भी, गत महायुद्ध में खत्म हो जाने के बाद भी, वहां के लोगों में देशभक्ति होने के कारण और स्वयम् उन के प्रयत्न करने के कारण, वह आगे बढ़ रहा है । जिन कुटीर उद्योगों को हम स्थान देना चाहते हैं जिन छोटे छोटे उद्योगों को हम स्थान देना चाहते हैं, उन्हीं सब छोटे उद्योगों को बढ़ा कर आज जापान ने इतनी प्रगति की है । अगर हम उन की पद्धति और उन के आदर्श को सामने रखते हुए छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयत्न करें तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं ।

आज हमारे देश में इमली का बीज बहुत होता है । लेकिन इस बीज के एक्सपोर्ट करने के बारे में और उपयोग करने के बारे में हमें जितनी खोज करने की और जितने प्रयत्न करने की आवश्यकता है, उस के न होने के कारण, उस का बहुत सा हिस्सा बेकार जाता है । सरकारी रिपोर्ट यह है कि हमारे देश में १३ लाख वैग बीज तैयार होता है । उससे जो ८ लाख वैग पघु नाम का पदार्थ तैयार होता है, उस का उपयोग हमारे देश के अन्दर एक मास के अन्दर केवल १२ हजार वैग होता है । आज सरकार को चाहिए कि जो पघु यहां तैयार होता है, उसका पूरा उपयोग करने के लिए यह प्रयत्न करे कि क्लाथ मिल्स (कपड़े के कारखाने) में या जहां पर उस का उपयोग हो सकता है वहां पर निश्चित रूप से उस का उपयोग किया जाए । अगर ऐसा कर दिया जाए तो मुझे निश्चिय है कि देश में कम से कम ३० हजार वैग की मासिक खपत हो सकती है ।

जब हम काटेज इंडस्ट्री के ऊपर विचार करते हैं तो देखते हैं कि हमारे यहां का बहुत सा माल बेकार जाता है, उस का कोई उपयोग नहीं हो पाता है । उस का उपयोग बढ़ाने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए । आज हमारे देश में बहुत काफी मेज होती है । अपने पास स्टर्लिंग और डालर न होने के कारण हम इस वक्त बहुत चिन्तित हैं, लेकिन हमारी मिलें अपने काम के लिए परदेश से मेज मंगाती हैं और उस का पघु बनाती हैं । हमारे देश में जितना इमली का बीज होता है वह लोग उस का उपयोग कर

सकते हैं । उन को अपने काम के लिए मैज बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं है । साथ ही इमली का बीज मिलों में इस्तेमाल हो सके तो जो मेज अर्थात मक्का हमारे यहां होती है, उस का उपयोग अन्य कामों में हो सकता है । वह खाने के काम में आ सकती है और अनाज की समस्या कुछ ठीक हो सकती है । आज मक्का का बाहर से बन्द होना आवश्यक है । इस से डालर की भी बचत होगी । इमली के पाउडर का हम निर्यात भी कर सकते हैं और डालर की आमदनी बढ़ा सकते हैं ।

इस के बाद मैं नौसादर के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे यहां मराठी में तो नौसादर कहते हैं, पता नहीं यहां पर उस को क्या कहते हैं । जो नौसादर हमारे देश में बाहर से आयात होता है, वह किस के लिए किया जाता है ? इस चीज का आयात हमारे यहां १९४९ में कम था, पर आज वह काफी बढ़ गया है, । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस के बढ़ाने का क्या कारण है । इन सात सालों में यानी १९४९ से कर १९५६ तक हमारे देश में क्या परिवर्तन हुआ है जिस के कारण इस माल को ज्यादा मंगाना पड़ रहा है ? आज हमारी सरकार इस तरफ नहीं देख रही है । इस का एक ही कारण जान पड़ता है । जहां और छोटे और कुटीर उद्योग चल हैं वहां बम्बई स्टेट के अन्दर एक और बहुत बड़ा कुटीर उद्योग चल रहा है । जहां पर प्राहिबिशन है वहां दारू के कारखाने घर घर चल रहे हैं । उन सब कारखानों में नौसादर का उपयोग किया जाता है । पर नौशादर का यह उपयोग हमारे राष्ट्र के लिए कितना खतरनाक है ? हमारे देश की सम्पत्ति बाहर जाती है और साथ ही हमारे यहां के लोगों की तबियत भी खराब होती जाती है । मैं अपने मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह इस कुटीर उद्योग को बन्द करने का कितना भी प्रयत्न करते हों, वह चल ही रहा है और बढ़ता जाता है । सरकार प्राहिबिशन के बारे में बहुत नारे लगाती है ताकि हमें सन्तोष हो, लेकिन सन्तोष नहीं होता । सरकार से मेरी एक ही विनती है कि नौशादर का जो आयात हो रहा है उस का बन्द होना आवश्यक है । इस से लोगों की प्रवृत्ति खतरनाक हो रही है । हमारे देश में इससे बचने का पूर्ण प्रयत्न होना चाहिए ।

छोटे उद्योगों के बारे में मुझे एक दो बातें पूछनी हैं । जब हम छोटे उद्योगो का विचार करते हैं तो दो चार उद्योग हमारे सामने आते हैं । तेल की घानी से तेल निकालना, और इसी तरह के दो तीन धंधे और हैं, आटा पीसना है, जिन की तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है । हमारी रत्नागिरि डिस्ट्रिक्ट (जिले) के अन्दर आम बहुत होता है, अन्य प्रदेशों में भी वह बहुत होता है, लेकिन इस को बाहर भेजने के लिए जो प्रचार और प्रयत्न होना चाहिए वह नहीं होता है । जिन को कुटीर उद्योग कहते हैं, उन्हीं में अचार बनाने का भी काम है । हमारे यहां अचार बनाने का बहुत प्रयत्न हो रहा है । आज इंग्लैंड और अमरीका से अचार की मांग बहुत आई है, और वहां के लोगों ने प्रयत्न भी किया, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती । अगर छोटे लोगों को इस में सहायता दी जाए और तैयार माल को बाहर भेजने का प्रबन्ध हो जाए तो हर घर में यह उद्योग अच्छा चल सकता है । साथ ही हम बाहर से डालर और स्टर्लिंग भी अपने यहां ला सकते हैं और हमारे यहां के छोटे छोट लोग, खती करने वाले लोग खेती करते हुए इस धंधे पर निर्भर हो सकते हैं जिन को खेती से पूरी उपज नही मिलती ।

जब हम छोटे उद्योगों और धंधों को सहायता देने का प्रयत्न करते तब उन के रास्ते में अड़चनें डाली जाती हैं । आयल मिल्स को ही ले लीजिए । पहले तो १२५ टन

[श्री आसर]

के प्रोडक्शन पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पादन शुकल्क) लगाई गई, उस के बाद १०० टन प्रोडक्शन पर लगाई गई और आज ७५ टन पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है । हम जरूरत तो छोटे उद्योगों को बढ़ाने की मानते हैं और उनको प्रोत्साहन देने की बात करते हैं ,लेकिन एक्साइज़ ड्यूटी आदि लगाते जाते हैं । इस से यह हुआ है कि छोटे लोगों के धंधे खत्म हो रहे हैं, उन की मिलें बन्द हो रही हैं । जब १२५ टन पर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई तो बहुत से लोगों ने इस धंधे को छोड़ दिया, और अब तो और लोग भी बन्द करते जा रहे हैं । यह एक ऐसी चीज है जिस पर अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिए ।

कई लोगों ने हमारे मिनिस्टर साहब से विनती की कि अम्बर नाथ वुलेन मिल है वह कई सालों से बन्द पड़ी है । उस को कारपोरेशन की स्थापना कर के सरकार ने चलाने का प्रयत्न किया । लेकिन पब्लिक सेक्टर में जैसा हुआ करता है, वही स्थिति इस की भी हुई । वह कारपोरेशन बन्द हो गया क्योंकि उस में घाटा आ गया । वहां के लोगों ने डिमांड की है कि वह अम्बरनाथ वुलेन मिल्स को चलाना चाहते हैं । वह कोआपरेटिव बेसिस पर उस को चला सकते हैं । उन लोगों ने एक कोआपरेटिव सोसायटी (सहकारी संस्था) से सम्बन्ध जोड़ कर एक स्कीम भी पास की है, लेकिन इस बारे में सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है । जब हम अपने यहां धंधों का बढ़ाना आवश्यक समझते हैं तो मिलें बन्द हो रही हैं । यह मिल सन् १९५४ से आज तक बन्द पड़ी हैं, उस की मैशीनरी खराब हो रही है, और उत्पादन भी रुका पड़ा है । यह आज वहां के लोगों की डिमांड है, मजदूरों की डिमांड है, कि वह कोआपरेटिव बेसिस पर इस धंधे को चलाना चाहते हैं । मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ऐसी चीजों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ नहीं कर रही है । वह जो कंट्रोल चाहे रख ले, लेकिन इस धंधेको उस को चलाना चाहिए ।

सेकेंड फाइस इयर प्लैन (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) की बात हमारे सामने रक्खी गई है । कोआपरेटिव बेसिस की धंधों के चलाने के लिए आवश्यकता मानी गई है । जब इस चीज को माना जाता है, तो यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस के लिए प्रयत्न भी किया जाए । हम देख रहे हैं कि हमारें देश के अन्दर सरकार परदेशी कंपनियों को धंधे चलाने का चांस (अवसर) दे रही है । उन को काफी संरक्षण दे रही है । मेरा कहना है कि बहुत से छोटे उद्योग हैं जो आज परदेशी कम्पनियों (समवायों) के हाथ में हैं । उन को संरक्षण दे कर सरकार बढ़ाने का प्रयत्न करती है । मैं पूछता हूं कि क्या उन कामों को करने वाले हमारे देश में नहीं हैं । मैं चाहता हूं कि इन कामों में जो हमारे यहां लोग हैं उन को ही चान्स दिया जाए । परदेशियों को चान्स देने से हमारे यहां के लोगों के धंधे गिर जाते हैं । स्वदेशी लोगों को चान्स नहीं मिलता और वह घाटे में रहते हैं । मैं चाहता हूं कि स्वदेश के आदमियों को इन कामों में लगाने का प्रयत्न किया जाए ।

हम स्वदेशी के बारे में नारा लगाते हैं लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि पार्लियामेंट में और दूसरी दूसरी जगह परदेशी स्टेशनरी काम में लायी जाती है । हम कहते हैं कि हमको स्टर्लिंग का और डालर का घाटा हो रहा है लेकिन फिर भी हम अपने दफ्तरों में विदेशी स्टेशनरी काम में लाते हैं । हम को यह प्रयत्न करना चाहिए कि सारी स्टेशनरी स्वदेशी हो ।

अन्त में मुझे एक बात और कहनी है। हम प्राइवेट सैक्टर (गैर-सरकारी क्षेत्र) और पब्लिक सैक्टर की बहुत बात करते हैं। हमने अपनी सैकिंड फाइव इअर प्लान में भी प्राइवेट सैक्टर को स्थान दिया है लेकिन हम देखते हैं कि जिन कामों को प्राइवेट सैक्टर में होना चाहिए उनको पब्लिक सैक्टर में रखा गया है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे टैक्स्टाइल मिल्ज (वस्त्रोद्योग हैं, आइल मिल्स (तेल के कारखाने) में शुगर मिल्स (चीनी के कारखाने) हैं, पोरसिलैन फैक्टरी हैं, ब्रिक फैक्टरी हैं और काटन स्पिनिंग मिल्स (कातने के कारखाने हैं, इनको प्राइवेट सैक्टर में देना चाहिए लेकिन इनको पब्लिक सेक्टर में कर दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक सैक्टर में तो केवल इसेंशियल चीजें ही आती हैं। दूसरे उद्योगों को प्राइवेट सैक्टर में देना चाहिए। इसी तरह से हम देश का उत्पादन बढ़ा सकेंगे और आज जो हमारी अर्थ व्यवस्था खराब हो रही है उसको ठीक करके दूसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत सा पैसा लगा सकेंगे।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं पहले तो सभा का समय नहीं लेना चाहता था, क्योंकि इतने बड़े मंत्रालय के विषयों पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। किन्तु मैं इस मंत्रालय के बारे में स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं—शेष बातों का उत्तर माननीय मंत्री देंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने देश की औद्योगिक नीति के बारे में कुछ कहा है। एक राष्ट्रीय नीति की परीक्षा तीन बातों से हो सकती है; पहले तो यह—कि नीति किस तरह से बनाई गई है और किस ढंग से उसे कार्यान्वित किया जा रहा है; और फिर अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का समन्वय है; तथा तीसरे उस नीति के परिणामों से राष्ट्र को कितना जल्दी लाभ हो रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभा इसी मापदंड से हमारी नीति को आंके।

गत दस वर्षों में राष्ट्र ने जो कुछ प्राप्त किया है मैं उसके सम्बन्ध में कुछ आंकड़े तथा जानकारी देना चाहता हूं।

सभा को ज्ञात है कि १९४८ में हमारे प्रधान मंत्री ने औद्योगिक नीति की घोषणा की थी—बाद में थोड़े बहुत परिवर्तन हुए। १९५६ में थोड़े परिवर्तन हुए : मैं तो नहीं समझता कि एक पिछड़े हुए देश के लिये जहां बहुतात में गरीबी है इससे अच्छी कोई और औद्योगिक नीति अपनाई जा सकती है। बहुतात इस कारण से है कि यहां के संसाधन बहुत अधिक हैं। कई चीजों के संसाधन तो इतने हैं कि हम किसी भी देश से उनकी तुलना कर सकते हैं। हमें बिजली पर ही ध्यान देना चाहिए। गत वर्ष के एक सामान्य से अनुमान से पता चलता है कि यदि उपयुक्त नदियों पर बिजली पैदा करने के लिये नियंत्रण किया जाये तो हम ४०० लाख किलोवाट बिजली तैयार कर सकते हैं। जलीय-विद्युत संसाधनों से जो क्षमता बिजली पैदा करने की इस देश में है वह किसी और देश में नहीं है।

उसी कार्यवाही से कृषि क्षेत्र में हमारी योजना से ४० प्रतिशत भूमि अर्थात ३० करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि में से १२ करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई भी होगी। लोहे के अयस्क को ही लीजिये। मुझे तो किसी ऐसे देश का पता नहीं जहां लोह अयस्क के विदित निक्षेप इतने हों जितने कि हमारे यहां हैं। इस समय के अनुमान के आधार पर हमारे पास सारी दुनिया के अयस्क का ३० या ३५ प्रतिशत अयस्क है जो बड़ा अच्छा है और सुविधा से मिल भी जाता है। इस प्रकार यह संसाधनों की बातें और भी बताई जा सकती हैं। किन्तु इन बातों में मैं सभा का समय नहीं लूंगा क्योंकि मैंने मुख्य बातें बतला दी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

जब हमारे पास इतने संसाधन हैं और इतनी अविकसित जनशक्ति है तो हमने कितनी तेजी से प्रगति की है ? सरकार ने निर्णय किया है कि जहां आवश्यक हो तथा जहां लोग स्वतः औद्योगिक विकास न करें वहां सरकार को स्वयं आगे बढ़ना चाहिये । सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त विवाद रहा है । मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब देश में इन दोनों दृष्टि-कोणों को अपनाया जा रहा है और सारा देश इन दोनों क्षेत्रों के महत्वपूर्ण कार्य को मान्यता दे रहा है । सरकार इस दशा में बड़ी तेजी से चल रही है ।

औद्योगिक उत्पादन के बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा जिससे मालूम होगा कि प्रगति किस तरह हुई है । कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री श्री मुरारजी देसाई ने उन्हें औद्योगिक सलाहकार परिषद् के सामने बताया था । किन्तु जब हम अपनी औद्योगिक प्रगति की तुलना करते हैं हम इन बातों को भूल जाते हैं । मैं इन्हें केवल इसीलिये कह रहा हूं—क्योंकि माननीय सदस्यों ने यह कहा था ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि देश में पूंजी का निर्माण—पूंजी लगाने की गति तथा बचत की मात्रा और निशेषक औद्योगिक वस्तुओं पर पूंजी विनियोजन की दर पर्याप्त नहीं कही जा सकती । मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं । मैं कुछ उद्योगों का उदाहरण दे सकता हूं । विभाजन के समय वस्त्रोयोग में ३७,६०० लाख गज कपड़े का उत्पादन ऐसा था किन्तु दस वर्ष में ही ५५,००० लाख गज कपड़ा तैयार होने लगा है । अर्थात ५० प्रतिशत वृद्धि हुई है । विभाजन के समय ९५,००० टन वनस्पति तैयार होता था किन्तु इस समय ३२०,००० टन वनस्पति तैयार होता है अर्थात् वृद्धि चौगुनी हो गई है । १९४७ में १० लाख टन चीनी पैदा होती थी इस समय २०.१ लाख टन चीनी बनती है—अर्थात दुगनी वृद्धि हो गई है । १९४७ में देश में १९ लाख टन नमक पैदा होता था अब ५७ लाख टन नमक पैदा होता है । यह उपभोक्ता वस्तुओं में वृद्धि हुई है जो कि प्रत्येक ऐसे देश के लिये आवश्यक हैं जहां उन्हें पूर्ण पौष्टिक भोजन न मिलता हो ।

अब रासायनिक उद्योगों को लीजिये—यह उत्पादन वस्तुयें बनाने में बड़े ही आवश्यक हैं—इनके बिना किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकती—१९४७ में गन्धक का तेजाब ६०,००० टन बनता था । इस समय १६५,००० टन गन्धक का तेजाब तैयार किया जाता है अर्थात पहले से २।। गुना ज्यादा । पहले केवल ३००० टन कास्टिक सोडा बनता था; अब १४ गुना अधिक बनता है अर्थात ४३,००० टन । सोडा-एश पहले १४,००० टन तैयार होती थी किन्तु अब ९३,००० टन होती है । उर्वरक तैयार करने के लिये एमोनियम सल्फेट अत्यावश्यक वस्तु है । विभाजन के समय यह २१,००० टन की मात्र तक बनती थी किन्तु अब इसका उत्पादन ३६५,००० टन हो गया है अर्थात उत्पादन में १७ गुना वृद्धि हुई है । सुपरफ़ास्फ़ेट का उत्पादन बहुत कम अर्थात ५,००० टन होता था और अब १२५,००० टन होता है अर्थात उत्पादन में २५ गुना वृद्धि हुई है ।

जो देश बहुत शीघ्र अपना औद्योगीकरण करना चाहता हो, उस की अर्थ व्यवस्था के लिये जिन इंजीनियरिंग वर्ग के उद्योगों का वस्तुतः अत्यधिक महत्व है, मैं उन्हें लेता हूं ।उन उद्योगों के आंकड़े बहुत कम हैं । जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय व्यवहार्यतः इस देश में इंजीनियरिंग वर्ग के उद्योगों का सर्वथा अभाव ही था । १० वर्ष के इस सुयोजित नीति की कार्यान्विति से इतनी प्रगति हुई है कि जहां १९४७ में साइकिल उद्योग में केवल ४९,००० साइकिलें पुर्जे जोड़ कर तयार की जाती थीं अब ६।। लाख साइकिलें तैयार की जाती हैं जिनमें से प्रायः ९५ प्रतिशत

देश में निर्मित होती हैं। अब तो केवल ५ प्रतिशत पुर्जे विदेश से आयात करने की अनुमति दी जाती है। मैं सभा को यह विश्वास भी दिला सकता हूं कि हमारा यह प्रयत्न है कि कुछ वर्षों में इस महत्वपूर्ण उद्योग के लिए किसी विदेशी पुर्जे का आयात नहीं किया जायेगा।

मोटर उद्योग में हमारे यहां कुछ भी निर्माण नहीं होता था। इस देश में केवल अलग अलग पुरजों को जोड़ दिया जाता था और वह भी बहुत कम संख्या में। कल मेरे माननीय मित्र श्री वें० प० नायर ने बताया कि यह उद्योग बिल्कुल अस्तव्यस्त अवस्था में है और इसमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा है; कोई विकास नहीं हो रहा है। मैं सभा की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि जहां इस उद्योग में कोई निर्माण नहीं होता था, अब इस वर्ष ३५,००० मोटर गाड़ियों का उत्पादन हुआ है और इस में ५० से ६० प्रतिशत पुरज़े देश में ही निर्मित हुए हैं। कुछ गाड़ियों में ६५ प्रतिशत पुरज़े भारत के बने हैं, कुछ में ३५ से ४० प्रतिशत, परन्तु औसतन ५० से ६० प्रतिशत पुरज़े देश में ही बने हुए हैं। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं कि अगले दो या तीन वर्षों में अधिकतर मोटर गाड़ियों में लगभग ८५ से ९० प्रतिशत पुरज़े देश में बने हुए ही होंगे।

सिलाई की मशीन के उद्योग में उत्पादन व्यवहार्यतः बहुत ही नहीं था। विदेशों में बनी सिंगर, पफ़ और तरह तरह की मशीनें हमारे यहां भरी पड़ी थीं। १९४७ में केवल ६००० मशीनें जोड़ी जाती थीं जब कि आज हम कुछ तो बहुत बढ़िया मशीनें बना रहे हैं जो गुण प्रकार में विदेशी निर्मित मशीनों से भी बढ़ी हुई हैं और सिलाई की मशीनों का उत्पादन १.६८ लाख तक बढ़ गया है।

डीज़ल इंजनों और विद्युतचालित पम्पों के निर्माण में, यदि आप इतने उच्च कोटि के इंजीनियरिंग उद्योग पर विचार करें तो देखेंगे कि बहुत प्रगति हुई है। १९४७ में इस देश में जहां केवल ७०० डीज़ल इंजन और ६००० पम्प प्रायः पुरजों को जोड़ कर बनाये जाते थे आज हम १८,००० डीज़ल इंजन और ५८,००० विद्युत चालित पम्पों का उत्पादन कर रहे हैं जो कि इंजनों के मामले में २७ गुनी प्रगति और पम्पों के मामले में १० गुनी प्रगति का प्रतीक है।

बिजली की मोटरों, बिजली के पंखों, बिजली के लैम्पों और ट्रांसफार्मरों के उत्पादन की प्रगति भी उत्साहवर्द्धक है। १९४७ में हम केवल ३८,००० हार्सपावर की विद्युत मोटरों का निर्माण करते थे। आजकल हम ५ लाख हार्स पावर की मोटरों का निर्माण कर रहे हैं। और यह प्रगति लगभग १३ गुनी है और मुझे विश्वास है कि एक अथवा १।। वर्ष में हम १० लाख हार्स पावर तक का उत्पादन करने लग जायेंगे। पहले हम केवल ३३,००० के० वी० ए० के शक्ति के ट्रांसफार्मर बनाया करते थे। १० वर्ष में ही हम ने इस का उत्पादन १३ लाख के० वी० ए० कर दिया है अर्थात इस महत्वपूर्ण उद्योग में ४० गुना वृद्धि हुई है। किसी भी देश का विद्युतिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक ये सहायक प्रजनन तथा वितरण मशीनें उपलब्ध न हों।

बिजली के लैम्पों के उद्योग में ७६ लाख के उत्पादन से बढ़ कर ३३० लाख के उत्पादन पर आ गये हैं। अर्थात हमने लगभग ४।। गुना वृद्धि की है।

अब पूंजीगत माल अर्थात अत्यावश्यक उद्योगों को लीजिए: ये हैं कोयला, इस्पात, सीमेंट और मशीनें जिनके बिना उत्पादन की मशीनों का निर्माण और औद्योगिक विकास संभव नहीं है।

[मनुभाई शाह]

देश के विभाजन के समय कोयले का उत्पादन ३०० लाख टन था और १९५७ में ४४० लाख टन हो गया है अर्थात ५५ प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : कहां ? किस वर्ष में ?

†**श्री मनुभाई शाह:** इसी वर्ष । मैं पहले छः मास के उत्पादन के आधार पर सभी आंकड़े वर्ष १९५७ के दे रहा हूं । इस्पात का उत्पादन ८.६ लाख टन था और अब १३.४ लाख टन है अर्थात ५० प्रतिशत वृद्धि हुई है । सीमेंट के आंकड़े बहुत बढ़ गये हैं । देश के विभाजन के समय सीमेंट का उत्पादन १४ लाख टन था जो आज कल ६१ लाख टन है अर्थात ४॥ गुना वृद्धि हुई है । १९४७ में वस्तुतः हमारे यहां मशीनों का निर्माण नहीं के बराबर था । इस वर्ष उत्पादन की दर ३५ करोड़ रुपये की मशीनरी है ।

मैंने इन आंकड़ों का उल्लेख करने में केवल यह बताने के लिए इतना समय लगाया है कि आज की सरकार ने इतनी भली प्रकार से औद्योगिक विकास की राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया है कि एक ओर तो हम ने अधिमानता को बनाये रखा और दूसरी ओर हम ने यह ध्यान रखने का प्रयत्न किया है कि औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पादन के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के सभी अंगों का उचित विकास हो और उन्हें सहायता दी जाये ।

अब मैं दूसरे पहलू को लेता हूं—अर्थात् हम किस प्रकार बड़े पैमाने के उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों और सरकारी उद्योग क्षेत्र तथा गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र के बीच संतुलन रख रहे हैं ।

जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है प्रथम योजना में सरकारी उद्योग क्षेत्र में इतने कारखानों का उपबन्ध नहीं किया गया था जितने कि द्वितीय योजना में किया गया है । औद्योगिक विकास की प्रथम योजना में सरकारी उद्योग क्षेत्र में सभी खातों में लगभग २३३ करोड़ रुपये के व्यय का उपबंध किया गया था, द्वितीय योजना में ८९० करोड़ रुपये के व्यय का उपबंध है अर्थात प्रथम योजना से ३/४ गुना अधिक का उपबंध किया गया है । और यह उचित भी है क्योंकि रूरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, और बोकारों में इंस्पात के उत्पादन के बिना हमारा देश अधिक देर तक विदेश से इस्पात/और कच्चे लोहे के आयात पर निर्भर नहीं रह सकता । अतः प्रायः ४६० करोड़ रुपये से ४७० करोड़ रुपये की एक बड़ी राशि इस्पात के कारखानों के लिए रखी गई है ।

अन्य महत्वपूर्ण कारखानों में हिन्दुस्तान मशीन टूल, राष्ट्रीय कोयला निगम, एल्युम्युनियम संयंत्र, बुनियादी औषधि उद्योग और मूल उर्वरक उद्योग हैं जिन के लिए द्वितीय योजना में बहुत बड़ी बड़ी राशियों का उपबंध किया गया है ।

एक माननीय सदस्य ने सरकारी उद्योग क्षेत्र का उल्लेख करते हुए नेपा मिल्स का जिक्र किया जो कि देश के सरकारी उद्योग क्षेत्र के उद्योगों में संभवतः सर्व प्रथम कारखाना है । मेरा सभा से निवेदन है कि हमें सरकारीं उद्योग के सम्पूर्ण क्षेत्र के सम्बन्ध में अपनी सम्मति केवल एक कारखाने के भूतकालीन कार्यों के आधार पर नहीं निर्धारित करनी चाहिये । हमें विश्वास है कि नेपा मिल्स में भी यह गड़बड़ अगले छः मास में खत्म हो जायेगी । वायलर ठीक कर दिये जायेंगे और हम संयंत्र को ठीक कर लेंगे । और उत्पादन गत मार्च की भांति फिर ६० से ६५ टन प्रतिदिन हो जायेगा । और अगले मार्च में ८० से ९० टन तक उत्पादन बढ़ जायेगा । हम ने

† मूल अंग्रेजी में

मिल के सभी पहलुओं की जांच करा ली है और हम मिल में विद्युतिकरण, मरम्मत और संधारण तथा वायलरों के बढ़ाने और सारी मशीन के पूर्ण उपयोग की व्यवस्था कर रहे हैं। आगे मैं केवल नेपा मिल्स के सम्बन्ध में कहने की बजाय सारे सरकारी उद्योग के सम्बन्ध में कहूंगा।

सिंदरी कारखाना को लीजिये। किसी भी देश में सिंदरी कारखाने से अच्छा कारखाना सरकारी उद्योग क्षेत्र परियोजना में स्थापित नहीं किया जा सकता। आरम्भ की कठिनाइयों के बाद आज यह अपनी संयंत्र क्षमता से १० से १५ प्रतिशत अधिक उत्पादन कर रहा है जिसकी कल्पना योजना बनाने वाले विदेशी विशेषज्ञों ने भी नहीं की थी। और जैसा मैंने आज प्रश्न काल में बताया था कि इस देश में उर्वरक की उत्पादन लागत आयात किये गये उर्वरक से ६० से ७० रुपये प्रति टन कम पड़ती है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की बात लीजिये। इस उपक्रम के विषय में सभा में कई बार विवाद हुये हैं और सभा के माननीय सदस्यों ने ठीक ही बहुत चिंताव्यक्त की है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है नवीनतम प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जा चुका है। जिस कारखाने से किसी लाभ की आशा नहीं थी बल्कि जिस ४०–५० लाख रुपये की हानि की आशा थी, उसमें १९५६–५७ में ५ लाख रुपये का लाभ हुआ है। वह लाभ सराहनीय है क्योंकि उसकी कोई आशा नहीं थी। सरकारी उद्योग क्षेत्र में यह एक आदर्श काम रहा है और कारखाने के प्रविधिक कर्मचारियों, प्रबन्ध निदेशक और कर्मचारियों को धन्यवाद है जिन्होंने जी लगा कर काम किया है और भारत सरकार के सामान्य अधीक्षण और पथ प्रदर्शन को धन्यवाद है जिसके कारण हमें यह सफलता मिली है।

सभा को विदित है कि चालू वर्ष में मशीनों अर्थात् खरादों का मासिक उत्पादन ३५ से ३६ तक पहुंच गया है जिस की हमें १९५६–५७ में कोई आशा नहीं थी। और हमें आशा है कि अगले वर्ष के मध्य तक अर्थात् अगलो जून तक उत्पादन के आंकड़े ७५ खरादें, जमीन खोदने के बर्मे रेडियल ड्रिल मशीनें और विभिन्न प्रकार की उपयोगी मशीनों को तैयार करने लग जायेंगे और इसके लिये हम हिन्दूस्तान मशीन टूल्स कारखाने को अनुकूल रूप प्रदान कर रहे हैं।

पेरम्बूर कारखाने अथवा चितरंजन इंजन कारखाने के सम्बन्ध में मुझे सभा के समक्ष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभा को स्थिति का पूर्ण ज्ञान है। सरकारी उद्योग क्षेत्रों का विकास हो रहा है और इतने थोड़े समय में तथा इतनी अधिक सफलता के कारण ही हमें और कारखाने खोलने का प्रोत्साहन मिला है।

जैसा कि सभा को विदित है हम भारी मशीनरी के विदेशी आयात पर और निर्भर नहीं रहना चाहते। इसी कारण हमने किसी और ब्रिटिश प्रतिवेदनों और दो शिष्टमंडलों की सहायता से, जो यहां आये थे, बिहार राज्य में भारी मशीन निर्माण का कारखाना खोलने का निश्चय किया था और उसे खोलने का कार्य आरम्भ कर दिया है। इस मशीन निर्माण कारखाने के साथ सम्बद्ध बहुत से सहायक कारखाने होंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब सारा कारखाना कार्य आरम्भ करेगा तो हम उस पर ४५ करोड़ रुपया व्यय करेंगे, यदि संसाधनों में गुजाइश हुई तो संभवतः हम उस पर कुछ और भी व्यय करें। तीसरी योजना में हम थोड़ी वृद्धि भी उसमें करेंगे और जब सारा कारखाना तैयार हो जायेगा तो आशा की जाती है कि इस्पात के कारखानों, सीमेंट और समान के कारखानों आदि के सारे के सारे पुर्जे इस में तैयार होंगे। इस के साथ भारी मशीनी पुर्जों के कारखाने और अन्य रासायनिक उद्योग और ऐसे महत्वपूर्ण उपकरण आदि का निर्माण करने वाले उद्योग, जिनका आयात आजकल आवश्यक है, उससे सम्बद्ध किये जायेंगे।

[श्री मनुभाई शाह]

इस का उल्लेख मैंने केवल इस लिये किया है कि सभा में यह सामान्य भावना फैली हुई है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र इतना अच्छा काम नहीं कर रहा जितना कि उससे आशा की जाती है। यह सच है कि इसमें सुधार की काफी गुंजाइश है। कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता। जो देश औद्योगिक विकास का दृढ़ आधार बनाने के लिये संघर्ष कर रहा है उसके लिये ये प्रारम्भिक कठिनाइयां हैं और मुझे हर्ष है कि सभा ने सहिष्णुता और उदार भाव से सरकारी उद्योग क्षेत्र को बहुत महत्व दिया है।

कुछ यह भी शिकायत की गई थी कि सरकारी उद्योग क्षेत्र गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा है। निस्सन्देह जैसा कि मैंने पहले कहा है सारे देश और इस सभा में इस विचार पर सहमति रही है कि दोनों उद्योग क्षेत्रों को साथ-साथ प्रगति करनी चाहिये और दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वस्तुतः हमारी सारी शक्तियां इस ओर लगी हुई हैं कि सरकारी उद्योग क्षेत्र को ऐसा माल तैयार करना चाहिये जिससे गैर सरकारी उद्योगों की प्रगति में सहायता मिले और उद्योग विकास जिस तेजी से हो रहा है उसकी गति और तीव्र हो। मैंने कई अवसरों पर कहा है और मंत्रालय में हम सभी यह कहते रहे हैं कि उद्योगपति हमें कोई एक, दो, तीन या चार उदाहरण दें जिसमें हम ने ऐसा उत्पादन किया हो जिस से गैर सरकारी उद्योग को हानि हुई हो। सभा से यह कहते हुये मुझे हर्ष होता है कि कभी भी हमें ऐसा उदाहरण नहीं मिला है जिसमें हमने गैर सरकारी उद्योग को हानि पहुंचाई हो उसमें बाधा डाली हो अथवा जिस वस्तु का उत्पादन वे कर सकते हैं या जिसे करने के लिये वे तैयार हों उसकी अनुमति न दी हो।

जब कि देश का शीघ्रातिशीघ्र औद्योगिकरण करने की आवश्यकता है, हमें कतिपय क्षेत्रों में मांग और संभरण के तथा आयात और निर्यात के अन्तर को पूरा करना है और निश्चय ही सरकारी उद्योग क्षेत्र के कार्य को गति देनी है। परन्तु मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हमने न तो राष्ट्रीय उद्योग नीति के निर्माण के समय और न ही उसकी कार्यान्विति के समय इस बात का विचार किया था अथवा किसी उद्योग को ऐसा अधिमान दिया था जिस से एक औद्योगिक क्षेत्र को हानि पहुंचा कर दूसरे को लाभ पहुंचाया जाये।

यह कहा गया है कि छोटे उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दिया जाये अन्य कुछ सदस्यों ने इसके विरुद्ध कहा था कि हम अम्बर चरखा या किसी विकेन्द्रित उद्योग की धुन में लगे हुये हैं और बड़े पैमाने के उद्योगों को अर्थ व्यवस्था में अवरोध पैदा कर रहे हैं। यहां भी इस अर्थ व्यवस्था से संबंधित विशेष बातों की निष्पक्ष जांच से सभा को विश्वास हो जायेगा कि सरकार ने संतुलन कायम रखा है।

देश के इतिहास में विशेषतः १९४७ से पूर्व कभी भी हथकरघा उद्योग की इतनी देख भाल नहीं की गई। वस्तुतः मैं देश के उस प्रदेश का रहने वाला हूं जहां राजा लोग व्यापारी थे और राजाओं को युद्ध काल में जितना सूत हथकरघा बुनकरों को बांटे जाने के लिये दिया गया वह कभी भी बुनकरों के पास नहीं पहुंचा और संबंधित लोगों ने ही सारा का सारा सूत अपने लाभ के लिये बेच डाला था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस कहानी में परिवर्तन हुआ। १९४७ में जहां हथकरघा उद्योग में केवल ९००० या १०,००० लाख गज कपड़ा तैयार होता था अब उसका उत्पादन १७,००० लाख था १८,००० लाख गज हो गया है और मुझे पूर्ण आशा है कि इस सभा के शुभाषीश से और सदस्यों के सक्रिय सहयोग से वह उद्योग द्वितीय योजना में लक्षित २७,००० लाख गज कपड़े के उत्पादन को पूरा कर सकेगा। यदि बुनकरों को सहायता दी जाये और यदि वह सब जानकारी,

सब साधन और पुर्जे इत्यादि जो भारत सरकार और राज्य सरकारें वितरण कर रहीं हैं, उन्हें दी जाये तो मुझे इसमें कुछ संदेह नहीं कि सहकारी क्षेत्र में हथकरघा उद्योग के संगठन से अपेक्षित लक्ष्य पूरा हो सकेगा ।

दूसरी ओर हमारी यह उत्कट इच्छा होते हुये भी कि अम्बर चरखा उद्योग और हथकरघा उद्योग को सहायता दी जाये, हमने वस्त्र उद्योग के विकास को हानि नहीं पहुंचाई है । जैसा कि मैंने अभी बताया है, विभाजन के समय संगठित उद्योग का उत्पादन ३७,००० लाख गज़ था जो कि अब ५५,००० लाख गज़ हो गया है । इस प्रकार उत्पादन में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

बहुत से माननीय सदस्यों की यह धारणा है कि हम नई कपड़ा मिलों को अनुज्ञप्तियां नहीं दे रहे। मैं उनकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि गत ४ या ५ वर्षों में ११४ नई कपड़ा मिलों को अनुज्ञप्तियां दी गई हैं। अभी ३० लाख तकले लगाये जाने हैं। यह वृद्धि कम नहीं है । जब सब काम पूरा हो जायेगा तो हम आशा करते हैं कि संगठित उद्योग में उत्पादन बहुत बढ़ जायेगा ।

केवल सिद्धांत की बात करना और यह पूछना कि सरकार के लक्ष्य ऊंचे क्यों नहीं हैं जिन से प्रति व्यक्ति २० या २२ गज़ कपड़ा मिल सके व्यर्थ है । यह ठीक है कि द्वितीय योजना में बड़े उद्योग क्षेत्र के लिये ५२,००० लाख गज़ उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । परन्तु जैसा कि प्रधान मंत्री और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने कई बार कहा है योजना के लक्ष्य न्यूनतम हैं, अधिकतम नहीं । इन लक्ष्यों को पूरा करने के पश्चात् यदि देश कर सका और उद्योग या सरकारी उद्योग के पास संसाधन हुये तो भला इन लक्ष्यों को क्यों आगे नहीं बढ़ाया जायेगा । ५५,००० लाख गज़ का लक्ष्य एक स्थूल प्राक्कलन था । वस्तुतः हमने इस वर्ष जनवरी तक ४७८० लाख गज़ का उत्पादन कर लिया था जिससे सारे वर्ष का उत्पादन ५८,००० लाख गज़ निकलता है । मुझे इसमें संदेह नहीं कि अगले वर्ष संभवतः संगठित उद्योग क्षेत्र ६०,००० लाख गज़ का उत्पादन कर सकेगा ।

मैं यह स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि उद्योग नीति इस प्रकार बनाई गई है कि जिससे प्रत्येक उद्योग क्षेत्र का चाहे वह बड़े पैमाने का हो या छोटे पैमाने का, सरकारी उद्योग क्षेत्र हो या गैर सरकारी विकास संभव हो सके। प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की गई है और उद्योगों की सहायता की गई है। देश की दरिद्रता को दूर करने में इन सब बातों से बहुत कुछ सहायता मिलेगी ।

कुछ माननीय सदस्यों के मन में अम्बर चरखे के बारे में गलत धारणा है। अम्बर चरखे को सारे देश के आर्शीवाद की आवश्यकता है। इससे बहुत से लोगों को रोज़गार मिल सकता है। यह एक नया यंत्र बनाया जा रहा है, और पुराने यंत्र में सुधार किया जा रहा है। किसी भी अर्द्ध विकसित देश के इतिहास से पता चल सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र में इस तरह के प्रयोग हमेशा होते रहे हैं। यदि आप इस बात की जांच करें कि ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग का वस्तुतः कैसे विकास हुआ है तो आप देखेंगे कि वहां भी वर्ष १८५० के लगभग नये नये तकलों के आविष्कार की दिशा में कोशिश की जाती थी और उत्पादन के परिष्कृत साधनों की खोज की जाती थी। अधिकाधिक पूंजीगत उद्योगों के साथ साथ जिनसे देश की औद्योगिक बुनियाद बनती है हमें सामाजिक सुरक्षा और अधिकाधिक लोगों के रोज़गार का उपबन्ध भी करना है जो ये बड़े उद्योग एकदम नहीं कर सकते न ही हमारे पास लोगों को रोज़गार देने के लिये इतने बड़े उद्योगों के लिये संसाधन हैं ।

[श्री मनभाई शाह]

इसी लिये उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के बीच एक संयमित संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अतः मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसी विशेष विचारधारा अथवा सिद्धांतों में फंसी हुई नहीं है। हमें तो यह ध्यान रखना है कि हम देश में जो समाजवादी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, और दरिद्रता, तथा अज्ञानता को जो समूल नष्ट करना चाहते हैं, और जो देश को उद्योगीकृत करने की जो हमारी महत्वांकांक्षा है, इस सब के अनुकूल ही हमारे उद्योग क्षेत्रों में प्रगति तथा विकास हो।

एक माननीय सदस्य ने खादी पर बोलते हुये इस बात का उल्लेख किया था कि सरकार ने इतने अधिक रेयन रेशम का आयात किया है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हथकरघा उद्योग के लिये यह एक महत्वपूर्ण वस्तु है। यह साड़ियों और अन्य विभिन्न उत्पादों में अंशतः अथवा पूर्णतः बार्डर आदि के बनाने के काम आता है। यदि हम इस समय रेयन रेशम का आयात बन्द कर दें तो इस से इस उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा। इसे सामान्यतः विकास की वस्तु समझा जाता है परन्तु यह ऐसी वस्तु नहीं है। इस लिये इस उद्योग में भी हम आत्म-निर्भर होना चाहते हैं। सभा को यह जानकर हर्ष होगा कि कहां तो केवल २४० लाख पाउंड उत्पादन का लक्ष्य था और कहां अब हमने प्रतिवर्ष १००० लाख पाउंड के उत्पादन की अनुज्ञप्ति दे रखी है और यदि संसाधन प्राप्त हुये तो मुझे आशा है कि अगले तीन या चार वर्षों में हम इस देश में रेयन रेशम के १००० लाख पाउंड के उत्पादन के लक्ष्य को भी पार कर जायेंगे। उस से देश के संगठित उद्योग में विभिन्नता लाने और उसके विकेन्द्रीकरण में सहायता मिलेगी। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि राष्ट्रीय नीति की जांच करते हुये हमें विभिन्न पहलुओं को देखना चाहिये कि उस नीति का संचालन किस प्रकार होता है और विभिन्न क्षेत्रों पर उसका प्रभाव क्या है।

अब मैं उत्पादन के संबंध में निश्चित की गई प्राथमिकताओं पर कुछ शब्द कहूंगा। जैसा कि सभा को विदित है गत पांच वर्षों में औद्योगिक विनियोजन में पूंजी निर्माण की दर ८ प्रतिशत रही है। संभवतः इस वर्ष यह कुछ अधिक होगी। एक माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि १९५६ और १९५७ में कितना उत्पादन हुआ था। मैं केवल मोटे रूप से तुलना करते हुये यह कहना चाहता हूं कि व्यवहार्यतः उद्योग के सभी क्षेत्रों में एक वर्ष की न्यूनतम दर ३० प्रतिशत रही है सिवाय कपड़ा उद्योग के, जहां इतनी अधिक प्रतिशतता नहीं हो सकती क्योंकि वह पुराना संगठित उद्योग है। अन्य क्षेत्रों में यह दर बहुत तेज़ रही है। कुछ क्षेत्रों में तो उत्पादन प्रायः ५० प्रतिशत अधिक हुआ है।

मैं इंजीनियरिंग वर्ग के उद्योगों का उदाहरण दूंगा। १९४७ की या १९५१ के देशनांक की तुलना में जब वह १४० था, आज औद्योगिक देशनांक लगभग १५७.१ है, लेकिन हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग वर्ग के उद्योगों का देशनांक २४८ तक पहुंच गया है। इससे इस उद्योग को दी गई अत्याधिक प्राथमिकता का पता चलता है। सभा यह देख सकती है कि यह देशनांक उद्योगों के सभी वर्गों के लिये १९५१ के देशनांक की तुलना में है। मैं आशा करता हूं कि इस मंत्रालय से इस उद्योग को जो प्रोत्साहन मिल रहा है उसके फलस्वरूप वह और अधिक प्रगति कर सकेगा।

रासायनिक उद्योग की भी यही स्थिति है। अन्य उद्योगों के १४० के आंकड़े की तुलना में इस उद्योग का आंकड़ा १८७ हो गया है।

में केवल यही बात कहना चाहता था। केवल यही नहीं है कि नीति सुदृढ़ बनाई गई है, उसको लागू पूरी योग्यता से किया गया है, और देश ने उसके प्रति पूरी तरह सहानुभूति दिखाई है अपितु राष्ट्रीय विकास के लिये अपेक्षित सभी प्राथमिकताओं पर सोच विचार किया गया है जिससे देश अल्प-विकसित अवस्था से बाहर निकल सके।

†**श्री सोनावने** (शोलापुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : इस अवसर पर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, शोलापुर के कपड़े उद्योग के बारे में कुछ कहना चहाता हूं। शोलापुर में लगभग ८ कपड़े की मिलें हैं। जिन में से दो यानी नरसिंह गिरजी मिल तथा शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल, बन्द ही पड़ी हैं जिसके कारण लगभग ८५०० कर्मचारी बेकार बैठे हैं। मैंने इसकी ओर ३० जुलाई को वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया था और श्री कानूनगों ने बताया था कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह बन्द पड़ी हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार ने ९४ लाख रुपया शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल को दिया भी परन्तु फिर भी इसकी हालत अभी सुधरी नहीं है। सरकार को केवल ६ लाख रुपया वापस दिया गया है जिसको सूद में से घटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में क्या यह उचित है कि इस प्रकार के प्रबन्धकों को और धन दिया जाये। मेरे विचार से इस मिल के बारे में कोई कठोर कदम उठाया जाना चाहिये।

जहां तक नरसिंह जी मिल का प्रश्न है, इसके लिये बम्बई सरकार ने एक पदाधिकारी भेजा था जो इसके मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। परन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पदाधिकारी के पहुंचने के तीन महीने के अन्दर ही मिल एकदम बन्द कर दी गई। श्री कानूनगों ने इसका कारण बताया है कि उनके पास खर्द आदि माल खरीदने और मजदूरों को मजूरी देने के संसाधन नहीं थे। अब दोनों मिलें बन्द पड़ी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इन दोनों मिलों के बारे में क्या नीति है? यह तो स्पष्ट है कि यह राष्ट्रीयकरण की नीति तो है नहीं। जब उद्योग स्वामी इस तरह से व्यवहार करें तो सरकार को क्या करना चाहिये? क्या सरकार को चुपचाप बैठे रहना चाहिये? मेरे विचार से सरकार को चुप होकर नहीं बैठ जाना चाहिये उसे अपना रवैया बदलना चाहिये और इस प्रकार का कोई हल निकालना चाहिये जिससे राष्ट्र तथा कर्मचारियों का हित हो।

मेरी समझ में इसके दो अथवा तीन हल हो सकते हैं। पहला यह है कि सरकार को उस मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेना चाहिये जैसा वह पहले ही कर चुकी थी परन्तु उच्चतम न्यायालय के बीच में आ जाने से इस दिशा में प्रगति नहीं हो सकी। जो रुपया सरकार दे चुकी है उसे मुआबजा मान लिया जाये। दूसरे यदि मजदूरों के अंश भी इस मिल में हैं तो इसके सहकारी आधार पर चलाना चाहिये। नरसिंह जी मिल के १३ लाख रुपया मज़दूरों का है। उसमें सरकार को थोड़ा साधन और लगातार इसको सहकारी आधार पर चलाना चाहिये।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

तीसरा हल यह हो सकता है कि पुराने प्रबन्धकों को कुछ धन दिया जाये क्योंकि नरसिंहगिरजी मिल का प्रबन्ध अधिक खराब नहीं रहा है। सरकार का कर्त्तव्य है कि वह शीघ्रता से कोई हल निकाले जिससे ८,५०० मजदूरों को और अधिक कष्ट न उठाने पड़े। यदि स्थिति इसी प्रकार की रही तो गम्भीर समस्या खड़ी हो सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सोनावने]

इसके पश्चात् मैं ग्रामीण क्षेत्रों में चमड़ा उद्योग के बारे में कुछ कहना चहता हूं। पहले गांवों में यह उद्योग बहुत बढ़ा हुआ था परन्तु अंग्रेजों की नीति के कारण यह उद्योग पिछड़ गया था। यह हमारी सरकार ने चार या पांच वर्षों से इसकी ओर ध्यान दिया है। यदि इस उद्योग को बढ़ाना है तो खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिये और संबंधित व्यक्तियों को ऋण और पेशगियां देनी चाहिये यदि ऐसा नहीं हुआ तो बहुत सा रुपया व्यर्थ हो जायेगा। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को लोगों का समर्थन और सहयोग भी प्राप्त करना चाहिये और पदाधिकारी जिले जिले में उद्योग का संगठन करने के बजाये सैर करेंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस उद्योग में लगे लोगों के प्रतिनिधियों का विश्वास प्राप्त करना चाहिये और इस उद्योग का सुचारु रूप से संगठन किया जाना चाहिये।

†**श्री बिमल घोष** (बैरकपुर) : मैं विदेशी मुद्रा की समस्या के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं जिसकी ओर कई माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित कराया है। यह समस्या आन्तरिक संसाधनों की अथवा प्रशासनिक संगठन की समस्या नहीं है जिनके कारण प्रथम योजना में बाधा आई थी। यह समस्या विदेशी मुद्रा की कमी की है जिस पर द्वितीय योजना की सफलता निर्भर है।

मई १९५६ में हमने अपनी द्वितीय योजना पर चर्चा की थी और उसका अनुमोदन किया था। उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि हमें अपने संचित विदेशी संसाधनों में लगभग २०० करोड़ रुपये की ही कमी करनी पड़ेगी। मैं नहीं जानता किन कारणों से केवल एक वर्ष के अन्दर ही यह कठिनाई हमारे सामने आई। हमें योजना बनाते समय अपनी कठिनाइयों को ध्यान में रखना चाहिए था। समस्या का विश्लेषण करने पर हमें पता लगता है कि हमारी सरकार की आयात निर्यात की नीति दोषपूर्ण है। जितने का अनुमान था उससे ज्यादा आयात किया गया है। भारत के रक्षित बैंक ने अपने अन्तिम प्रकाशन में दिया है कि १९५६–५७ में खाद्य वस्तुयें पूंजीगत वस्तुयें, धातु और गाड़ियों आदि को छोड़ कर अन्य वस्तुओं का आयात योजना में दिये गये अनुमान की तुलना में अधिक किया गया है आयात की गई वस्तुओं को देख कर यह कहा जा सकता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का बहुत अधिक मात्रा में आयात हुआ है। मैं नहीं जानता कि विदेशी मुद्रा की इतनी गम्भीर स्थिति होने पर भी ऐसा क्यों किया गया ?

पूंजीगत वस्तुओं के सम्बन्ध में भी हमें योजनानुसार आगे बढ़ना चाहिए था। क्या सरकार का विचार अब यह हो गया है कि समस्त योजनावधि में खरीदी जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं को एक वर्ष में ही खरीद लिया जाये क्योंकि रक्षित बैंक ने बताया है कि १९५६-५७ में योजना से अधिक पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया गया है। केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं होगा कि पूंजीगत वस्तुओं के आयात का कोई असर नहीं पड़ता है अपितु इससे औद्योगिक विकास बढ़ेगा। मेरे विचार से सरकार इस सम्बन्ध में दोषी है और उसकी गलतियों के लिए हमें धन देना पड़ रहा है।

निर्यात के सम्बन्ध में, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यदि हमारी समस्या विदेशी है ? मुद्रा की ही है तो हमारे भुगतान-सन्तुलन के अन्तर को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हम पिछले दिनों निर्यात के सम्बन्ध में क्या करते रहे हैं? हम निर्यात प्रगति परिषदें बना कर निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु उसके परिणाम क्या हुए हैं। १९५५–५६ के आंकड़े ६४१ करोड़ रुपये हैं तथा १९५६–५७ के आंकड़े ६३७ करोड़ रुपये हैं। केवल चार करोड़ रुपये का अन्तर है। इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं यह कहा जा सकता है कि व्यापार की शर्तें हमारे अनुकूल नहीं थीं या स्वेज़ नहर के झगड़े के कारण वहन-व्यय में बहुत पैसा लगा। परन्तु यह सब चीजें ऐसी

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं हैं जिनको भुगतान संतुलन के इस बड़े अन्तर के लिये उत्तरदायी कहा जा सके। यह सत्य है कि निर्यात की प्रगति करने के लिये हमारे सभी प्रयत्न बेकार हो गये हैं। इसका मुख्य कारण मुद्रास्फीति है। जब देश के अन्दर ही व्यापारियों को वस्तुओं के मूल्य अधिक मिल जाते हैं तो तब उन्हें क्या आवश्यकता है कि वह अपनी वस्तुएं निर्यात करें। इसलिये जब तक आन्तरिक मूल्यों में कमी नहीं की जायेगी तब तक निर्यात बढ़ाना सम्भव नहीं होगा।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि निर्यात प्रगति परिषद् स्थापित करने के पश्चात् भी अभी तक क्यों कुछ प्रगति नहीं हुई है। मैंने उन परिषदों के प्रतिवेदनों को पढ़ा; उनमें दिया हुआ है कि आय-कर उत्पादन शुल्क आदि में कमी करके निर्यात के लिए कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। इस प्रकार की रियायतों से वस्तुओं के निर्यात को अधिक प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। इंजीनियरिंग उद्योग को ले लीजिए। हमारा यह उद्योग निर्यात कर रहा है परन्तु कितना ? इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में केवल ४ करोड़ रुपये की प्रगति हुई है। इसमें हम बहुत अधिक प्रगति नहीं कर सकते। जैसा कुछ उद्योग-पतियों ने कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा १० करोड़ रुपये का निर्यात कर सकेंगे। हमें तो यह समझना चाहिए कि हमारा तो भला उन्हीं वस्तुओं के निर्यात से ज्यादा होगा जिन्हें हम हमेशा से बाहर भेजते आये हैं और उन्हीं पर निर्भर रहना है। यह वस्तुएं चाय, सूती कपड़ा, पटसन का सामान, खालें, कच्चा लोहा आदि ही हैं। वर्ष १९५५-५६ में हमारे कुल निर्यातकों से ५० प्रतिशत तथा १९५६-५७ में ५४ प्रतिशत निर्यात इन्हीं वस्तुओं का था।

पटसन उद्योग की स्थिति आजकल अच्छी नहीं है। हमें इस पर अधिक ध्यान देना चाहिये। बहुत सी पटसन मिलें बन्द हो गई हैं और मजदूरों में भी असन्तोष है क्योंकि मिलें बन्द हो जाने के कारण वह बेकार हो गये हैं। हमें इस उद्योग को दशा सुधारने के लिये कदम उठाने चाहियें। चाय और सूती कपड़े के निर्यात में भी वृद्धि की जानी चाहिये।

हाल में ही सोने को चोरी छिपे ले जाने का प्रश्न यहां उठाया गया था और सरकार पर इसको न रोक सकने का दोष लगाया गया था। यह सही है कि सभी प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं परन्तु जब तक आन्तरिक तथा बाह्य मूल्यों में ४० रुपये से ज्यादा का अन्तर होगा तब तक इसको रोकने को सभी उपाय व्यर्थ होंगे।

मैं चाहता हूं कि सरकार आयात और निर्यात में संतुलन रखने की समस्या पर गम्भीरता से विचार करे। केवल निर्यात प्रगति परिषद् आदि स्थापित कर देने से ही निर्यात नहीं बढ़ेगा। निर्यात तभी बढ़ेगा जब हम अच्छी किस्म का माल, कम मूल्यों पर विदेशों में भेजेंगे। इसलिये सरकार को इसके मूल सिद्धान्तों को समझना चाहिए अन्यथा यह समस्या उलझी ही रहेगी।

सेठ अचल सिंह (आगरा) : जो डिमांडस (मांगें) हमारे सामने हैं और जिस मिनिस्ट्री से ये ताल्लुक रखती हैं वह मिनिस्ट्री बहुत उपयोगी मिनिस्ट्री है और उसका बहुत ज्यादा महत्व है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और एक कृषि प्रधान देश के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि उसके यहां उद्योग धंधों की स्थापना हो। जिस देश का औद्योगीकरण नहीं होता है, उस देश की जो आर्थिक अवस्था है, वह सुधर नहीं सकती है, वह कभी अच्छी नहीं हो सकती है। इस चीज़ को ही दृष्टि में रखते हुए हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में तथा इस द्वितीय योजना में सैकड़ों करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जिस को खर्च करके कि हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को तथा काटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दे सकें।

[सेठ अचल सिंह]

अभी माननीय मंत्री जी ने हमें बताया कि हमारे देश के जितने भी महत्वपूर्ण उद्योग हैं उन सब में उत्पादन में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि हैसियन (टाट) उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, शुगर उद्योग में, सिमेंट के उत्पादन में तथा तमाम दूसरी मिलों और फैक्टरियों में उत्पादन बढ़ा है और बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इन सब के बारे में उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं और यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि काफी उन्नति तथा प्रगति हमारे देश में हुई है। लेकिन इतना होते हुए भी हमें यह कहना पड़ता है कि हमारे देश की बेकारी दूर नहीं हुई है, यहां की गरीबी दूर नहीं हुई है। इसका जो एक बहुत बड़ा कारण है वह यह है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें बहुत कम आदमियों को रोज़गार दिया जा सकता है जबकि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत अधिक लोगों को रोज़गार पर लगाया जा सकता है। मान लीजिये कि आप एक लाख रुपये की लागत से एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री शुरू करते हैं। उस इंडस्ट्री में मुश्किल से दस या पन्द्रह आदमियों की औसत पड़ती है जबकि अगर आप स्माल स्केल इंडस्ट्री शुरू करें तो उसमें ढाई सौ के करीब की औसत पड़ती है। इस वास्ते हमारे लिए यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि हम अपने देश के अन्दर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अधिक से अधिक बढ़ावा दें जिससे कि लाखों और करोड़ों आदिमियों को रोज़गार दिया जा सके। आपने अम्बर चर्खा चलाया है लेकिन अम्बर चर्खे से भी जो आशा की गई थी लाखों आदमियों को रोजगार पर लगाया जा सकेगा, वह पूरी नहीं हुई, वह सफलभूत नहीं हुई, इस वास्ते यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि हम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दें। हम देखते हैं कि जापान ने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के क्षेत्र में आश्चर्यजनक तरक्की की है। वहां छोटी छोटी मशीनें लोगों को उनके घरों में देकर के लोगों की रोटी और रोज़ी का प्रबन्ध किया गया है और वे भली प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनकी आर्थिक दशा भी सुधर गई है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में भी छोटी छोटी मशीनें बनाई जायें और उनको लोगों को उनके घरों में सप्लाई किया जाए ताकि लोग अपनी तथा अपने बच्चों की जीविका चला सकें। यहां पर हौज़री की कुछ मशीनें तैयार हुई हैं जिनकी कीमत कोई पांच सात सौ रुपया प्रति मशीन है, और लोग घरों में उन मशीनों का उपयोग करके ढाई तीन रुपये प्रतिदिन कमा रहे हैं। अम्बर चर्खे से भी आज काम लिया जा रहा है और जो लोग इसे चलाते हैं वे एक डेढ़ रुपया रोज़ कमा लेते हैं। लेकिन यह अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ तथा काटेज इंडस्ट्रीज़ को हर प्रकार से प्रोत्साहन व बढ़ावा देना चाहिये ताकि हमारे देश से बेकारी व गरीबी दूर हो सके।

अब मैं आगरे के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आगरा एक इंडस्ट्रियल टाउन है। यह कहते हुए मुझे खुशी होती है कि आगरे में एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाना पिछले साल तय हुआ था और उसकी नींव भी रखी गई है। लेकिन आज आठ महीने हो गए हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ है। कानपुर में भी इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने की योजना बनाई गई थी और वहां पर काफी प्रगति हो चुकी है और काफी फैक्टरीज़ भी स्थापित की जा चुकी हैं लेकिन आगरा का मामला जहां का तहां पड़ा हुआ है, कोई प्रगति नहीं हुई है। आगरे में कई प्रकार की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी बढ़ावा देने की आज नितान्त आवश्यकता है। वहां पर पत्थर का काम बहुत अच्छा होता है और मार्बल का काम बहुत अच्छा होता है। इनसे ताज इत्यादि के माडल्स भी बनाये जाते हैं और इस काम में बहुत से आदमी वहां लगे हुए हैं। उनको पत्थर मिलने में आज बहुत कठिनाई हो रही है। अगर उनको पत्थर मिलता भी है तो बहुत तेज भाव पर मिलता है जिसका नतीजा यह होता है कि इन माडल्स को बनाने वाले बहुत घाटा उठाते हैं। जो आर्किटेक्ट्स अर्थात् कारीगर होते हैं उन को बहुत कम आय होती है। मैं चाहूंगा कि एलबैस्टन पत्थर जो कि इटली से आयात किया जाता है,

इन छोटे–छोटे लोगों को आयात करने की छूट दी जाए और इनको इसके लाइसेंस दिये जायें। आजकल इस पत्थर को आयात करने के लाइसेंस दो तीन बड़े–बड़े आदमियों को मिले हुए हैं। वहां पर एमब्रायडरी (कढ़ाई) का काम भी होता है ब्रुश बनाने का काम भी होता है जिन को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है। हजारों विदेशी और स्वदेश के लाखों की तादाद में लोग बाहर से आते हैं और आगरे को देखते हैं। विदेशियों को ताज के माडल्स इत्यादि बेच कर कितनी ही विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। कितने ही डालर की अर्निंग (आय) होती है। ये लोग वहां की शाही इमारतों को देखने के लिए आते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर इंडस्ट्रीज के रास्ते में जो रुकावटें पैदा हो रही हैं उनको दूर किया जाना चाहिए।

मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि आगरा में कई वर्षों से आगरा विकास सम्मेलन उद्योग प्रदर्शनी कर रहा है जिसमें वहां की ५०–६० इंडस्ट्रीज द्वारा बनाई गई चीजें प्रदर्शित की गई थी। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री जी ने किया था। वे इन चीजों को देखकर हैरान रह गए थे कि ये चीजें भी यहां पर बनती हैं। वहां डिजल इंजन के पिस्टन, रिंग्स, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, क्लोक, बैटरी, सफरी बाल्टी का सैट, सैनेटरी का सामान, कुश, जूते इत्यादि बहुत ऊंचे दर्जे के बनाये जाते हैं। शू इंडस्ट्री में वहां कोई ५०,००० आदमी काम में लगे हुए हैं। मैं इस बात के लिये अपका आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं कि स्माल स्केल इंडस्ट्री कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड आपने खोली है, उसके द्वारा कई लाख जूतों के आर्डर आगरे में प्लेस किए गए थे। लेकिन इसके साथ ही साथ कूपर एलन को तथा दूसरी बड़ी कम्पनियों के पास भी लाखों जूतों के बड़े बड़े आर्डर दिए गए थे। आज हम ऐसा देख रहे हैं कि जो बड़े–बड़े आर्डर होते हैं वे बड़े–बड़े आदमियों को दे दिए जाते हैं और को–ओप्रोटिव सोसाइटीज को तथा मजदूरों को इनसे महरूम रख दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े–बड़े आर्डर्स छोटी–छोटी तादाद में इनको भी मिलने चाहिए।

आगरे जिले में मैं दुसरा जो बड़ा मुख्य उद्योग है वह बैंगल्स चूडियों का है और ग्लास (शीशे) का है जो कि फिरोजाबाद में है। करीब पचास हजार लोग इस काम में लगे हुए हैं। इन उद्योगों में जो लोग लगे हुए हैं, उनको जो दिक्कते हैं, उनको भी आपको दूर करना चाहिए और उनकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

मंत्री जी मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष एक इंडस्ट्रियल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना चाहिए। यह प्रदर्शनी दिल्ली में करनी चाहिए। अपने देश में जो नई नई चीजें बने उन सबका सामान प्रदर्शनी के वास्ते यह मंगाना चाहिए ताकि उन सब चीजों को प्रदर्शित किया जा सकता है। स्थान भी पहले से यहां पर मौजूद है। इंडस्ट्रियल एगजीबीशन यहां पर हर वर्ष होनी चाहिए जहां पर तरह तरह की चीजें जो कि भारतवर्ष में तैयार होती है, वहां पर आवें और लोगों को आवश्यक एडवाइस दी जाए। आज हम करोड़ों रुपये की कंज्यूमर गुडस बाहर से मंगा रहे हैं और करोड़ों रुपया बाहर भेज रहे हैं, उसको हम बचा सकते हैं वशर्ते कि हम आर्गेनाइज्ड तरीके पर काम करें। इस तरह से हर साल इंडस्ट्रियल एगजीबीशन करने से जो फैक्टस ऐंड फिगर्स हैं वे लोगों के सामने आते रहेंगे और लोगों को यह पता लगता रहेगा कि क्या–क्या हमारे देश में हो रहा है और कौन–कौन सी कमियां हैं। बाद में इन कमियों को दूर करने का भी प्रयत्न हो सकता है।

मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना है, धन्यवाद।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन-रक्षित–अनुसूचित जातियाँ) : माननीय मंत्री ने अभी कुछ आंकड़े बताये जिनसे पता लगता है कि औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है कि मैं यह मानता हूं कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कोडियान]

इस दिशा में प्रगति हुई है परन्तु वह कुछ बातें बताना भूल गए हैं। मैं सारी बातों को इस समय नहीं ले सकता परन्तु उद्योगों की क्षमता का पूरा उपयोग करने के सम्बन्ध में मैं अवश्य कुछ कहूंगा।

प्रथम योजना की समीक्षा को देखने पर पता लगता है कि प्रथम योजना काल में औद्योगिक क्षेत्र में, दो बातों को प्राथमिकता दी जानी थी। पहली थी पटसन और प्लाई वुड जैसी उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों तथा कपड़ा, चीनी, साबुन आदि उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग किया जाना। दूसरी बात लोहा, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, रासायनिक जैसी पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों की क्षमता का बढ़ाया जाना।

यद्यपि सरकार और योजना आयोग ने ऐसे उद्योगों की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के बारे में बहुत कुछ कहा है जिनकी क्षमता का पूरा उपयोग अभी नहीं हुआ है और यद्यपि कुछ उद्योगों में कुछ सफलता मिली है परन्तु फिर भी बहुत से उद्योगों की शक्ति का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया गया है। मैं जानता हूँ कि सलफ्यूरिक एसिड, पटसन, वस्त्र, सूत, वनस्पति आदि उद्योगों में अधिक उपयोग हुआ है उदाहरण के लिये सफलफ्यूरिक एसिड की बेकार पड़ी उत्पादन क्षमता को ले लीजिए, आप देखेंगे कि १९५०-५१ में यह ३४ प्रतिशत की और १९५५-५६ में यह ३२.२ प्रतिशत रह गई। पटसन के सामान की बेकार पड़ी उत्पादन क्षमता १९५०-५१ में ३१.३ प्रतिशत थी १९५५-५६ में १२.३३ प्रतिशत रह गई। सूत की बेकार उत्पादन क्षमता १९५०—५१ में २९.४ प्रतिशत थी, १९५५-५६ में १०.९ प्रतिशत रह गई। वनस्पति की बेकार पड़ी उत्पादन क्षमता १९५०-५१ में ४८.३ प्रतिशत थी, १९५५-५६ में ३८ प्रतिशत रह गई। परन्तु साइकिल, बिजली से चलने वाले पम्प, शीट गिलास, सीमेंट रेडियो आदि उद्योगों के मामले में स्थिति और खराब होती जा रही है। साइकिल, बिजली से चलने वाले पम्प, शीट गिलास, एस्बेस्टास सीमेंट तथा रेडियो रिसीवर उद्योगों की बेकार पड़ी उत्पादन क्षमता के क्रमशः आंकड़े इस प्रकार हैं, १९५०-५१ में १५.८ प्रतिशत और १९५५-५६ में ३२.५ प्रतिशत १९५०-५१ में कुछ नहीं, और १९५५-५६ में ४४.६ प्रतिशत; १९५०-५१ में ५० प्रतिशत और १९५५-५६ में ६०.८ प्रतिशत; १९५०-५१ में १८.९ प्रतिशत और १९५५-५६ में २५.४ प्रतिशत; १९५०-५१ में ३६.४ प्रतिशत और १९५५-५६ में ५२.२० प्रतिशत। इन आंकड़ों से पता लगता है कि इन सभी उद्योगों की बेकार पड़ी उत्पादन क्षमता में वृद्धि ही हुई है। और इन विभिन्न उद्योगों में यह समस्या अभी भी उलझी हुई पड़ी है। मेरा निवेदन है कि यह सामाजिक अपव्यय है, और माननीय मंत्री को इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकारी क्षेत्र को इतना व्यापक बनाने की आवश्यकता है जिससे सारे मूल उद्योग उसमें आजायें। इस्पात, मशीन, बिजली का सामान ये सभी पूंजीगत वस्तु उद्योग सरकारी क्षेत्र में लाने चाहिए। मूल उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में लाने के साथ ही साथ उपभोक्ता वस्तु उद्योग में भी धीरे-धीरे सरकारी क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए जिससे सरकार को पर्याप्त धन मिल सके रबड़, चाय, तथा काफी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की संभावना पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि इन वस्तुओं को विदेशों में बहुत मांग है। एक बात मैं सरकारी उपक्रमों के बारे में कहना चाहता हूं। हमें इन्हें लाभ से चलाने के लिये कदम उठाने चाहियें। सरकार को जांच करनी चाहिये कि इनमें कैसा काम हो रहा है।

द्वितीय योजना काल में १४०० करोड़ रुपये से १६०० करोड़ रुपये तक पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया जाना है परन्तु कुछ आवश्यक वस्तुओं के अधिक आयात में से हम बड़ी कठिनाई में पड़

गए हैं। मैं विलास की वस्तुओं के आयात के कुछ आंकड़े बताता हूँ। अप्रैल से सितम्बर तक १४.९ करोड़ रुपये के कांटे-चम्मच और धातु की वस्तुएं और ११.५ करोड़ रुपये का बिजली का सामान विदेशों से आयात किया गया था। इस दर से ५३ करोड़ रुपये वार्षिक का औसत निकलता है। जनवरी से फरवरी १९५७ में १७ लाख रुपये के रेडियो, ४२० लाख रुपये की कारें और मोटरें और ५६ लाख रुपये के रेफरीजरेटर आयात किए गए। ये आंकड़े श्री गोपालन के प्रश्न के उत्तर में बताये गये थे। सारे देश में मद्यनिषेध है परन्तु फिर भी १९५५ में १.७५ रुपये की तथा १९५६ के नौ महीनों के २ करोड़ रुपये की मदिरा का आयात किया गया।

गत वर्ष देश में ३१ लाख टन इस्पात का संभरण हुआ था। इसमें से इस्पात नियंत्रक ने १९ लाख टन का आवंटन राज्य व्यापार निगम को किया था इसका यह मतलब हुआ कि गैर सरकारी व्यापारियों ने १२ लाख टन का आयात किया था। कौन जाने यह १२ लाख टन शानदार भवनों तथा सिनेमा घरों के बनाने में लगा हो।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार ऐसे उद्योगों को अधिक महत्व नहीं दे रही है जिससे हमारा निर्यात बढ़ सकता है। मैं काजू उद्योग का उदाहरण देता हूँ। इससे हमें पर्याप्त आय होती है। इसलिए हमें इस उद्योग की ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारा इस उद्योग में कोई भी प्रतिद्वन्दी नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस उद्योग के लिए एक अलग विकास परिषद् बनानी चाहिए और काजू व्यापारियों को इसके विकास के लिए उदारता से ऋण देने चाहिएं।

†**श्री रंगा** (तेनाली): श्री घोष ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि १९५५-५६ में बहुत अधिक वस्तुओं का आयात किया। ये वस्तुएं किसी तारीख के आधार पर नहीं आ रही है कि अमुक वर्ष में इतना माल आयोग और आयुक्त मास में इतनी चीजें आयेंगी। सरकार ने तो आर्डर दे रखे हैं। विदेशों में उसके आधार पर माल बन रहा है और भेजा जा रहा है। मेरे विचार से आज सवेरे एक मंत्री महोदय ने बताया था कि उनके कुछ लक्ष्य हैं कुछ राष्ट्रीय उद्देश्य हैं। पांच वर्ष की अवधि में किसी वर्ष कोई वस्तु अधिक मंगाई जा सकती है और किसी वर्ष कम। इसी प्रकार विकास होता है और प्रशासन का काम चलता है। सीमेंट अथवा चीनी उद्योग को लीजिए। सरकार परमिट देती है और आप विदेशों को मशीनों आदि के लिए आर्डर देते हैं। फिर माल आता है इसमें कुछ समय लगता ही है। इसलिए यह कह कर कि एक वर्ष में ३०० करोड़ रुपये की वस्तुओं का आयात क्यों किया गया, सरकार की आलोचना करना ठीक नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो वस्तुयें आई, क्या वह आवश्यक नहीं थीं। यदि वह हमारे उद्योगों के विकास के लिए लाभदायक सिद्ध हुई हैं तो हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ वर्षों तक हम अपने भुगतानों को संतुलित नहीं कर पायेंगे। जिस किसी देश में अपने विकास कार्य क्रमों को क्रियान्वित किया है उसने तानाशाही से ही काम लिया है और उसने एक ऐसे ढंग से शासन चलाया है जिसको अपनाना हम पसंद नहीं करेंगे।

मेरे मित्र ने यह भी कहा कि सरकार को निर्यात में वृद्धि करनी चाहिये। उन्होंने कुछ उद्योग भी बताये। हमारा ध्यान उन उद्योगों की ओर है परन्तु इन उद्योगों के उत्पादनों का अधिकतम निर्यात करने पर भी घाटा बना रहेगा। यह स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से पैदा हुई है। इसके अतिरिक्त

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

मेरा तो यह विचार है कि यह समस्या सरकार की व्यापक नीति में हेर फेर के द्वारा ही सुलझाई जा सकी है। यदि किसी नीति से--वैदेशिक अथवा वित्तीय--ही हमारा मत भेद है तो हम उस पर अलग वाद-विवाद कर सकते हैं ।

अब मैं हथकरघा उद्योग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं और वह यह है कि एक संविहित समिति बनाई जानी चाहिये जो इस उद्योग के मामलों पर विचार करे । समिति में बुनकरों के प्रतिनिधि भी होने चाहिएं। मैं बिजली के करघों के पक्ष में नहीं हूं और हथकरघा बोर्ड भी इन के पक्ष में नहीं है । इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री भविष्य में बिजली के करघों को प्रोत्साहन देने में उत्सुक नहीं होंगे । बहुत से बुनकर सहकारी समिति में नहीं आ पाये हैं मैं चाहता हूं कि हथकरघा बोर्ड तथा सरकार को प्रयत्न करने चाहिए कि सभी बुनकर सहकारी समिति के सदस्य बन जायें ।

मुझे यह जान कर बड़ा दुख हुआ था कि अहमदाबाद की कई कपड़े की मिलें हानि पर चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि इस का पूरी तरह अध्ययन किया जाये क्योंकि इन मिलों के पास भंडार तो बहुत है परन्तु उनको बेचे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

आयात की अनुज्ञप्तियां जारी करने के बारे में, मैं चाहता हूं कि मंत्रिमंडल की एक उपसमिति बनाई जाये जो अनुज्ञप्तियां देने पर विचार किया करे । इस प्रकार हमारी बहुत सी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं ।

सीमेंट और चीनी के उत्पादन से हमें उतना संतोष नहीं होरहा जितना होना चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने सहकारी चीनी मिलों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की नीति अपना ली है ।

हमारे मशीनी औजार कारखाने को देखकर बहुत से विदेशियों ने हमारी प्रशंसा की है तथापि हमें इतने से ही संतुष्ट न हो कर और आगे प्रगति करनी चाहिये ।

छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में हमें 'विश्व कर्माओं' और 'विश्व ब्राहमनों' को प्रोत्साहन देना चाहिये । वस्तुतः पहिली और वर्तमान सरकार के उन्हें प्रोत्सान न देने का ही परिणाम हुआ कि हमें विदेशों से टेकनीकल ज्ञान प्राप्त करना पड़ रहा है। अन्यथा हमारे प्राचीन कारिगरों ने दक्षिण में ऐसे ऐसे मन्दिरों का निर्माण किया कि विश्व के इंजीनियर और कलाकार आज भी उनकी कला की प्रशंसा करते हैं ।

जहां तक ग्रामीण उद्योगों का सम्बन्ध है खाल तथा चमड़े के उद्योग को प्रोत्साहन देकर हम हरिजनों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दे सकते हैं। वर्षों से उन्हें जमीन देने की बात की जा रही है किन्तु यह कार्यक्रम भी पुरा नहीं किया गया है, तथापि आवश्यक स्वच्छता, उचित वातावरण तथा आर्थिक सहायता दी जाय, तो उनका जीवन स्तर ऊंचा किया जा सकता है। मैं श्री याज्ञिक की इस बात से सहमत हूं कि छोटे पैमाने के उद्योगों और गृह उद्योगों पर गांवों के लाभ के दृष्टिकोण से विचार किया जाये ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : जिन सदस्यों ने विदेशी निनिमय तथा तत्सम्बन्धी कठिन स्थिति के सम्बन्ध में भाषण दिया है उनके द्वारा दिये गये आंकड़ों ने मुझे भयभीत कर दिया है । मैंने उन आंकड़ों की अपने आंकड़ों से तुलना नहीं की है इसलिये मैं आंकड़ों की सत्यता के आधार पर कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इसे चुनैती दी जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विमल घोष:** मैं ने अपने आंकड़े रक्षित बैंक के बुलेटिन से दिये हैं।

†**श्री मुरारजी देसाई :** मैं रक्षित बैंक के आंकड़ों को चुनौती नहीं दे सकता हूं किन्तु रक्षित बैंक के आंकड़े वित्तीय वर्ष के हैं और मेरे आंकड़े पत्री वर्ष से लिये गये हैं। इस से कुछ अन्तर हो गया है। तथापि गलती हम से, रक्षित बैंक से और मेरे माननीय मित्र से भी हो सकती है। इसलिये हमें इन बातों पर केवल आंकड़ों के आधार से ही नहीं अपितु तथ्यों पर ध्यान रख कर भी विचार करना चाहिये। उन सारी आलोचनाओं और सुझावों पर विचार करने में, जो विभिन्न विषयों पर दिये गये हैं, मुझे बहुत समय लगेगा। और मेरे विचार से यह आवश्यक भी नहीं हैं। निसंदेह स्थिति कठिन अवश्य है तथापि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और यदि हमें अपने पर आत्मविश्वास और दृढ़ता है तो हम स्थिति का सामना कर सकते हैं इतना ही नहीं, स्थिति में सुधार करने में भी समर्थ हो सकते हैं क्योंकि यदि हम ने उस स्थिति का सामना न किया होता, तो आज हमें ऐसी स्थिति न मिलती। वस्तुतः मैं स्थिति को इस रूप में देखता हूं।

हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और जब हम कुछ करते हैं तो कहा जाता है कि अपव्यय कर रहे हैं। पहिले कहा था कि हम भारी उद्योगों की योजना नहीं बना रहे हैं और जब हम ने योजना बनाई तो हम से कहा जा रहा है कि हम अपनी क्षमता से अधिक विस्तार कर रहे हैं। जब हम सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो गैर-सरकारी क्षेत्र यह कहता है कि हम प्रबन्ध करना नहीं जानते हैं। अन्य लोग यह कहते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। गैर सरकारी क्षेत्र के समर्थक यह कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र गैर सरकारी क्षेत्र पर हस्तक्षेप कर रहा है। इस का कारण यह है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं।

हम ऐसे विचारों और सिद्धान्तों पर विश्वास करते हैं जिन का हमारे देश की स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारे देश की स्थिति विशेष प्रकार की है उस की तुलना अन्य देशों से नहीं की जा सकती है क्योंकि वे या तो विकसित देश हैं या बिल्कुल ही अविकसित देश हैं। कठिनाई यह है कि आर्थिक दृष्टि की तुलना में हम बौद्धिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़ गये हैं। अतः बुद्धि आर्थिक स्थिति से विद्रोह करती है और प्रत्येक इस का दोष दूसरों पर डालना चाहता है।

कुछ महीनों पूर्व जब मैं बम्बई में था तो सभी से यह सुना करता था कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कार्य व्यवस्थिगत रूप से चल रहा है। उस ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इस समय जो कुछ भी कार्य किया जा रहा है वह पिछले तीन या चार वर्षों के परिणामस्वरूप ही हो रहा है। किन्तु अब कुछ कठिनाई पैदा हो गई है जिस का दोषारोपण किसी न किसी पर किया जाना जरूरी है। यह दोषारोपण मेरे सहयोगी, जिन के द्वारा किये गये कुछ कार्यों के कारण, जो उन्हें सरकार की ओर से करने पड़े, बहुत से लोग अप्रसन्न हैं पर सरलता से किया जा सकता है।

हमें ऐसे व्यक्तियों से कोई रोष नहीं है जो हमारी गलतियां निकालते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति में दोष निकालने वाले को सर्वोत्तम मित्र कहा गया है। प्रशंसक मित्र ही आप को कठिनाई में डालता है क्योंकि आप यह अनुभव करने लगते हैं कि आप बहुत चतुर हैं वस्तुतः आलोचनाओं के प्रति मेरा यह दृष्टिकोण है।

आयात और निर्यात अव्यवस्था पर कुछ कहने के पूर्व मैं गृह उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, भारी उद्योग, सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र इत्यादि के सम्बन्ध में कहूंगा जिन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारजी देसाई]

पूर्वी उत्तर प्रदेश के माननीय मित्र ने कहा है कि देश के उस भाग में उद्योग तथा रोजगार के अभाव में बहुत कठिन स्थिति पैदा हो गई है। यह बात सत्य है। तथापि उन्हों ने यह चुनौती दी है कि यदि तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की गई तो वहां संकट पैदा हो सकता है। कदाचित वे तथा उन के मित्र वहां यह संकट पैदा करें। इस से उस भाग में उद्योग प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। उद्योग की स्थापना सहयोग, स्थिति के समुचित ज्ञान तथा परिश्रम करने की इच्छा से होती है। यह सच है कि समस्या बड़े उद्योगों की उतनी नहीं है जितना कि छोटे पैमाने के उद्योगों और गृह-उद्योगों के सम्बन्ध में है।

इस सम्बन्ध में भी हमें अनुपात का ध्यान रखना होगा। मैं भारी उद्योगों तथा गृह उद्योगों या छोटे पैमाने के उद्योगों के बीच कोई विरोध नहीं देखता। लेकिन लोग यह बात भूल गये हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें भारी उद्योगों पर ही अधिक ध्यान देना चाहिये। छोटे पैमाने के उद्योगों की ओर ध्यान देना गलती है, क्योंकि ये बहुत पुरानी और पिछड़ी चीजें हैं अतः वे ऐसे लोगों को प्रतिक्रियावादी कहते हैं। दूसरे लोग यह सोचते हैं कि भारी उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है तथा इस से हमारे देश को गम्भीर कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं अतः हमें ग्रामीण और गृह उद्योगों पर ही अधिक ध्यान देना काहिये।

वस्तुतः यहीं पर हम में विचार का अभाव है। यदि हम देश को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं और इस के विकास से देश के सभी लोगों को संतुष्ट करना चाहते हैं—वस्तुतः देश का विकास इस प्रकार हो कि सभी लोगों को इस से संतोष हो न कि थोड़े से लोगों को—तो हमें सभी दिशाओं पर भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा और हमें भारी उद्योगों, छोटे पैमाने के उद्योगों इत्यादि पर ध्यान देना होगा। क्योंकि भारी उद्योगों से हमें धन तथा छोटे पैमाने और गृह उद्योगों के लिये सामग्री और कच्चा माल तो प्राप्त होगा किन्तु उस से बहुत कम व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। रोजगार जो बहुत आवश्यक है केवल छोटे पैमाने के उद्योगों से ही प्राप्त हो सकता है।

बहुत से व्यक्ति तथा विद्वान अर्थशास्त्री भी इस पूरे प्रश्न को नहीं ले रहे हैं। वे अपने देश की वस्तुस्थिति पर विचार नहीं करते हैं। जब वे यह तर्क करते हैं कि खादी से एक व्यक्ति को केवल आठ आने मजूरी मिलती है तो वे यह भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति को आज कुछ भी नहीं मिलता है। यदि उसे कहीं से डेढ़ रुपये मिल सकें तो कोई उस से यह काम करने को नहीं कहता। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हम गृह उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं किन्तु साथ ही वे लोगों को यह कह कर हतोत्साहित कर देते हैं कि इस से कोई आय नहीं होगी और उन्हें पिछड़ा हुआ रखा जा रहा है। इन बातों से इन उद्योगों के विकास में बाधा पैदा होती है।

बड़े उद्योगों का संगठन करना सरल होता है क्योंकि वह एक संगठित क्षेत्र है ; किन्तु गृह-आधार पर ग्रामीण उद्योगों का संगठन करने में निःस्वार्थ कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता होती है, जो केवल वेतन लेने वाले व्यक्ति नहीं होने चाहियें। उन के अभाव में गृह-उद्योगों या ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करना बहुत कठिन होता है।

यह कहना गलत है कि भारत सरकार गृह-उद्योगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं समझती है। भारत सरकार ने पहिले खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की। तत्पश्चात् इसे संविहित खादी और ग्रामोद्योग आयोग बना दिया गया। वे इन विभिन्न उद्योगों के विकास की देख रेख करते हैं। उन्हें इन उद्योगों के विकास के लिये आवश्यक धनराशि भी दी जाती है।

कई बार यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। किन्तु इसे ठीक तरह नहीं समझा गया है। वस्तुतः यह कहा गया था कि इस पर उचित रूप से विचार कर लिया जाय और आवश्यक होने पर ही धनराशि मांगी जाय। केवल रुपया देते रहने से कोई लाभ नहीं होगा। रेशम उद्योग के सम्बन्ध में एक उदाहरण दिया गया था। रेशम बोर्ड प्रति वर्ष ४० लाख रुपये का बजट बनाता है, जबकि वर्ष के अन्त तक केवल २० लाख रुपये व्यय करता है। इस का कारण यह है कि उन में इस उद्योग का शीघ्र विकास करने की तीव्र इच्छा है किन्तु वे ग्रामीणों को इस से लाभ उठाने के लिये इतने शीघ्र प्रेरित नहीं कर सकते हैं। इसलिये यह राशि व्यय नहीं हो पाती है। यदि बोर्ड को यह राशि नहीं दी जाती तो बोर्ड पर उद्योग की उपेक्षा करने का आरोग लगाया जाता। भारत सरकार के सम्बन्ध में भी यही बात कही जाती है।

यदि हम आवश्यकतानुसार रुपये लेने को कहते हैं तो हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम उद्योग को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। जब हम जितनी राशि मांगी जाती है उतनी राशि दे देते हैं तो हम से यह कहा जाता है कि हम बिना समझे बूझे रुपया दे रहे हैं जबकि उस का उपयोग अन्य क्षेत्रों में इस से अच्छी तरह किया जा सकता था।

यदि हम देश की विभिन्न समस्याओं का इस प्रकार मूल्यांकन करेंगे तो किसी भी व्यक्ति के लिये काम करना असम्भव हो जायेगा। स्थिति निसन्देह कठिन है तथापि इस से हमें किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है। निसन्देह कई ऐसी वस्तुओं का आयात किया गया जिन का आयात नहीं किया जाना था, तथापि सरकार भी ऐसा करना नहीं चाहती थी सरकार ने आवश्यक समझ कर ही उन आयातों की अनुमति दी। इन आयातों की अनुमति देने के लिये बहुत लोगों ने मांग की थी —केवल एक दो व्यक्तियों ने ही इस का विरोध किया था। कई लोगों ने मुझे बताया है कि प्रसाधन सामग्री तथा गर्भ-निरोध उपकरण इत्यादि के आयात की अनुमति नहीं होनी चाहिये किन्तु कई लोगों ने कहा है कि उन की अनुमति होनी चाहिये। इस कारण कई वस्तुओं के आयात की अनुमति देनी होती है, जिस से इन वस्तुओं का यहां भी निर्माण हो सके। इसलिये कई आयात लायसेंस देने होते हैं। यदि यह आज भारस्वरूप ज्ञात होता है तो इस का यह कारण नहीं कि इस पर पहिले विचार नहीं किया गया था और ऐसी स्थिति ही पैदा नहीं होती यदि हम ने अधिक सावधानी से विचार किया होता। निःसन्देह कुछ व्यक्ति अधिक विद्वान हो सकते हैं और हम से अच्छी तरह कार्य कर सकते हैं तथापि मैं यह नहीं कह सकता कि मैं यह कार्य इस से अच्छी तरह कर सकता था। अन्य लोग ऐसा कह सकते हैं तथापि कार्य का भार दिये जाने पर ही ज्ञात हो सकता है कि वे इसे अधिक अच्छा कर सकते या नहीं। यह समस्या केवल हमारे देश में ही नहीं है अपितु अन्य देशों में भी जहां अधिक सरल तरीकों का उपयोग हो सकता है उन्हें देश में पूंजी की कमी और विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उदाहरणार्थ यदि मैं अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिये दौड़ने का व्यायाम करूं और यदि मैं प्रति दिन पांच मील दौड़ना चाहूं तो मैं प्रतिदिन पांच मील नहीं दौड़ सकता हूं। इसलिये मुझे एक फर्लांग प्रति दिन के हिसाब से दौड़ना शुरू करना है और मुझे प्रति दिन अपनी दूरी बढ़ानी होगी। इस में कभी कभी सांस छूट जायेगी तथापि मुझे फिर दौड़ना होगा इस प्रकार हम यह कार्य कर सकते हैं। हमें देश की जनता को संतुष्ट करने के लिये देश की समृद्धि को बढ़ाना है। हमें यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना है।

विरोधी पक्ष के मित्र यह चाहते हैं कि हम एक दो वर्ष में जादू कर दें। वे असम्भव बातें करने को कहते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि इन कार्यों को करना असम्भव है। जब हम ये बातें १५ या २० वर्ष के अन्दर करना चाहते हैं तो हमारे लिये कठिन स्थिति पैदा हो जाती है। तब यह कहा जाता

[श्री मुरारजी देसाई]

है कि आप ने यह कठिन स्थिति पैदा कर दी आप उसका सामना किस प्रकार करेंगे ? वस्तुतः यह प्रश्न संगत है क्योंकि यह सारी सभा और सारे देश से सम्बन्ध रखता है । वस्तुतः यह प्रश्न वित्त मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है । वित्त मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होने वाली है । मैं माननीय मंत्री के उत्तर देने के अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं । इसलिये मैं इस सम्बन्ध में कोई तर्क नहीं करना चाहता हूं । मैं केवल आयात निर्यात के प्रश्न से सम्बन्ध रखने वाली समस्या की व्याख्या करूंगा ।

यह कहा गया है कि आयात के सम्बन्ध में हमारी नीति बहुत तीव्र है । यदि हम १९५० से १९५६ तक के आयात निर्यात का अध्ययन करें तो वह इस प्रकार है । १९५० से व्यापार अन्तर घाटे का रहा है । १९५० में यह १ करोड़ कम था । बढ़ते बढ़ते यह ८७ करोड़ हुआ तब १९१ करोड़ हुआ, १९५६ में यह २०१ करोड़ था । इस के बाद से यह और भी बढ़ गया ।

इस का कारण यह भी बताया गया है कि हमारे पास अधिक उपभोक्ता सामान था और हम ने बहुत तेजी से उपभोक्ता सामान मंगाया । सभी उपभोक्ता सामान बेकार नहीं होता है। कई उपभोक्ता सामान आवश्यक होते हैं जिन्हें विदेशों से मंगाना आवश्यक होता है । उदाहरणतः पहिले यहां चीनी मिट्टी के बर्तनों तथा स्वच्छता उपकरणों का निर्माण नहीं होता था । वे उपभोक्ता सामना है । साईकलें भी उपभोक्ता सामान के अन्तर्गत आती हैं । अब हम साईकिलें बना रहे हैं अतः अब हम साईकलों का आयात नहीं करते हैं ।

यदि हम १९५२ से १९५६ तक के आंकड़े देखें तो ज्ञात होगा कि १९५२ में ४४९ करोड़ के पूंजीगत और उत्पादन सामान का आयात किया गया तथा ३६० करोड़ के उपभोक्ता वस्तुओं का आयात किया गया । १९५६ में हम ने ६२२ करोड़ रुपये की पूंजीगत और उत्पादक सामानों का आयात किया और १९३ करोड़ के उपभोक्ता सामान का आयात किया । अर्थात् उपभोक्ता सामान का आयात ३६० करोड़ से घट कर १९२ करोड़ रह गया । ऐसा केवल १९५६ में ही नहीं किया गया अपितु यह तो वह वर्ष है जिस के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि अधिक उपभोक्ता सामान का आयात किया गया है । १९५२ में ३६० करोड़ का, १९५३ में २२१ करोड़ का, १९५४ में २११ करोड़ का, १९५५ में २०० करोड़ और १९५६ में १९३ करोड़ का आयात हुआ । १९५७ में यह और भी कम रह गया ।

इसलिये यह कहना उचित नहीं है कि अधिक उपभोक्ता सामान आया है ऐसा कहने का कारण केवल सरकार या कुछ विशेष व्यक्तियों के विरुद्ध पक्षपात है ।

मेरे माननीय मित्रों ने स्वयं कहा है कि उपभोक्ता सामान का आयात ३० करोड़ से अधिक रुपयों का नहीं होना चाहिये । यदि ३० करोड़ से इस देश की कमर टूट जाय——तो ऐसा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है । मैं कह सकता हूं कि इससे देश की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । एक मित्र ने कहा है कि कपट सर्कस में बहुत सी चीजें मिल जाती हैं । वे सच्ची बातें नहीं जानते हैं इनमें से अधिकांश वस्तुएं चोरी छिपे लाई गई हैं : वे कह सकते हैं कि तब ये चीजें बेचने क्यों दी जा रही हैं । मुझे भी इससे अचम्बा हुआ था और इस पर ध्यान देने वाला था । मुझे केवल पिछले माह ही बताया गया कि यह कार्य वैसे होते हैं । अब मैं इसे रोकने का प्रयत्न कर रहा हूं । कुछ व्यक्ति सदैव चोरी छिपे माल ले जाते हैं इसे कोई भी देश चाहे वहां का प्रशासन कितना ही बड़ा क्यों न हो इसे रोकने में समर्थ नहीं हुआ है । यह काम सभी देशों में चलता है ये लोग पकड़े भी जाते हैं जब सीमा-शुल्क चौकियों में यह माल पकड़ा जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाता है ।

सीमा शुल्क विभाग इस सामान का नीलाम करता है। इस प्रकार यह वस्तु बाजार में आकर बिकने लगती है। बहुत से व्यक्ति यह सोचते हैं कि यह वस्तुएं प्राप्य हैं और सरकार इसके विरुद्ध कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं।

मैं ऐसी तरकीब कर रहा हूं जिससे यह माल इस रूप में बाजार में न आ सके। प्रत्युत् सरकार ही उनका उपयोग करेगी जिससे लोग उनकी ओर आकर्षित नहीं होंगे और इस प्रकार की निराधार आलोचनायें नहीं होगी। इस प्रकार वस्तुतः कभी कुछ बातें हमारे ध्यान से गुजर जाती हैं और उनसे सन्देह उत्पन्न हो सकता है।

एक मांग यह की गई थी कि इस सारे घोटाले पर विचार करने के लिये एक समिति बनाई जाय, जो उत्तरदायी व्यक्तियों को दंड देवे। मुझे इस मांग पर भी कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि लगभग सभी प्रश्नों पर यही मांग की जाती है जिससे उसका महत्व कम हो जाता है। आंकड़े हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं मैं किसी भी व्यक्ति के साथ बैठकर उनकी पड़ताल करने को तैयार हूं। गलती होने पर मैं उसे स्वीकार करने को भी तैयार हूं। सरकार या मेरे सहयोगी ऐसा नहीं कह सकते कि हमसे गलती नहीं होगी। लेकिन क्या विरोधी पक्ष वालों से गलती नहीं होती है? अतः उन्हें हम से सहानुभूति होनी चाहिये जो कार्याधिक्य या बुद्धिहीनता के कारण गलती कर सकते हैं। बुद्धि ईश्वर प्रदत्त होती है यह केवल इस पक्ष या उस पक्ष में होने से नहीं आ जाती।

†**श्री नाथ पाई** (रायपुर) : हमारी गलतियों से राष्ट्र को कोई हानि नहीं होती है लेकिन आपकी गलतियों से देश को गम्भीर हानियां हो सकती हैं।

†**श्री मुरारजी देसाई** : आपकी सब से बड़ी गलती तो यही है कि आप में धैर्य नहीं है। चाहे वे अन्य कामों में हमारा मुकाबला न करें किन्तु धैर्य रखने में उन्हें हमारी स्पर्धा अवश्य करनी चाहिये। वस्तुतः धैर्य रखना आवश्यक है। मुझे अन्तर्बाधा पहुंचाने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे विचार से यह संसदीय पृथा के अन्तर्गत आता है कि आप मेरे भाषण के बीच कई बार हस्तक्षेप कर सकते हैं। आप मुझे कई बार अन्तर्बाधा पहुंचा सकते हैं। क्योंकि इससे मैं अपने मित्रों को अधिक बातें बता सकता हूं और यह बता सकता हूं कि वे कहां गलती पर हैं?

मुझे कई उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता के सम्बन्ध में बताया गया है। यह कहा गया है कि अप्रयुक्त क्षमता के बावजूद भी हम उसका विकास करते जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में यद्यपि मेरे माननीय मित्रों के पास आंकड़े हैं तथापि उन्होंने उसे समझने का प्रयत्न नहीं किया है। १९४७ में जो हम ४९,००० साईकलें बना रहे थे तो कहा गया था १५ प्रतिशत क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है अब हम ६.५ लाख साईकलें बना रहे हैं और वे कह सकते हैं कि ४० या २२ प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त है। हम इन सभी कारखानों के उत्पादन की क्षमता बढ़ाते जा रहे हैं। यह आंकड़े प्रशुल्क आयोग या किसी अन्य संस्था ने एक विशेष समय मांगे हैं। उस समय कोई चीज अप्रयुक्त होगी। वे उस समय बनने की अवस्था में हो सकते हैं और इस कारण उन्हें अप्रयुक्त समझा गया। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सरकार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर रही है और अधिकाधिक मशीनें लगाकर अपने अल्प संसाधनों को समाप्त कर रही है। हमारी नीति यह है कि मशीनों का पूरी तरह उपयोग हो।

अहमदाबाद के माननीय मित्र ने यह कहा है कि पटसन की मिलें अवैध तरीके से काम कर रही हैं क्योंकि करघों को बन्द करना एक अपराध है अथवा उपभोग से अधिक माल बना कर तब मिलें बन्द करना कोई अपराध है। मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र ने आर्थिक दृष्टि से नहीं सोचा है। निर्यात

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारजी देसाई]

की कमी होने में पटसन की मिलों का कोई दोष नहीं है। सब जगह प्रतिद्वंदिता चल रही है। केवल हमारा ही देश निर्यात नहीं करता है। हमारा किसी चीज पर एकाधिपत्य नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व कृषि उत्पादों से हमारा एकाधिपत्य था किन्तु अब हम कृषि उत्पादों का निर्यात नहीं कर सकते हैं।

मूंगफली का उदाहरण लीजिये। हम जितनी चाहें जब चाहें मूंगफली भेज सकते हैं क्योंकि इस पर हमारा एकाधिपत्य हो सकता है। किन्तु क्या हम मूंगफली या उसका तेल बाहर भेज सकते हैं। हम उसे केवल गरीबों को हानि पहुंचा कर ही भेज सकते हैं क्योंकि प्रत्येक गरीब व्यक्ति के लिये तेल अत्यन्त आवश्यक पदार्थ है। यदि संकट पैदा कर उसकी कीमतें बढ़ाई जायेंगी तो उसका आरोप सरकार पर लगाया जायेगा। हमसे कहा जायेगा कि ये चीजें हमारे कारण उत्पन्न हुई हैं। ऐसी बातों पर हर जगह चर्चा नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे संकट पैदा हो सकता है। हमें चाहिये कि आर्थिक विषयों पर हम अधिक समझदारी से काम लें। बिना लड़े झगड़े देश के हित का ध्यान रख कर ही हमें विभिन्न मामलों पर विचार करना चाहिये। हम जब देश के सभी साधनों को एक साथ जुटाने में समर्थ होंगे तब ही हम देश का अच्छी प्रकार से विकास कर सकेंगे।

मेरे विचार में यह कोई राजनीतिक मामला नहीं। सारे देश का मामला है। यदि आप स्थिति का मुकाबला करना चाहते हैं तो मैं अपने माननीय मित्रों से अपील करूंगा कि वे जहां तक हो सके इस मामले में सरकार की सहायता करें। मैं यह नहीं कहता कि आप कुछ अधिक नहीं बता सकते, आप इन बातों पर हमसे अधिक प्रकाश डाल सकते हैं। परन्तु यदि हमने एक दूसरे का विरोध करने वाली बातें ही करनी हैं तो उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। यदि कोई रचनात्मक सुझाव दिये जायें तो हम सब इसे स्वीकार करेंगे ; उस से न केवल हम लाभ ही उठायेंगे बल्कि उनको धन्यवाद भी देंगे।

मैं व्यक्तिगत तौर पर बड़ा आशावादी हूं, क्योंकि निराशावादी होना खतरनाक है। यह मेरा मूलभूत अधिकार है। और यह कइयों का है, परन्तु मैं तो बुरे से बुरे हालात में भी आशावादी रहना ही ठीक समझता हूं। इन्सान बुद्धि से इसका मुकाबला कर इसे लाभदायक ढंगों से प्रयोग करता है। आज भी देश में ऐसा ही किये जाने की आवश्यकता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे देशवासी इस स्थिति का मुकाबला करने में असफल नहीं रहेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या मैं सारे कटौती प्रस्ताव एक साथ मतदान के लिये रख दूं ?

†**एक माननीय सदस्य** : संख्या १४८ को अलग प्रस्तुत कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १४८ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं सब कटौती प्रस्ताव एक साथ रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय . . .	*५०,५१,०००
२	उद्योग	*२४,६३,३६,०००
३	नमक	*१,४९,१७,०००
४	वाणिज्य सूचना तथा आंकड़े . . .	४८,३१,०००
५	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . .	*१,४३,६८,०००
१०४	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	*१४,१९,०१,०००

श्रम और रोजगार मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू करेगी । इसके लिये ६ घण्टे का समय रखा गया है ।

माननीय सदस्य अपने उन कटौती प्रस्तावों की संख्या, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, १५ मिनट में पटल पर दे दें । मैं उन्हें प्रस्तुत मान लूंगा ।

माननीय सदस्यों के लिये १५ मिनट तथा दलों के नेताओं के लिए २० से ३० मिनट का समय दिया जायेगा ।

वर्ष १९५७–५८ के लिये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७०	श्रम और रोजगार मंत्रालय .	*१६,९४,०००
७१	मुख्य खान निरीक्षक . . .	१३,९१,०००
७२	श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . .	*८,६६,५७,०००
१२४	श्रम और रोजगार मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	*३४,२२,०००

† मूल अंग्रेजी में

* इनमें २६ मार्च, १९५७ को स्वीकृत लेखानुदान की राशियां भी सम्मिलित हैं ।

डा० मेलकोट (रायचूर) : मैं श्रम मंत्रालय को उन प्रयत्नों के लिये बधाई देता हूं जिनसे उसने सरकार को द्वितीय वेतन आयोग की स्थापना पर बाध्य किया। यह बहुत प्रसन्नता की बात है। पहला वेतन आयोग दस वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था, परन्तु तब के हालात बदल गये हैं। सभी प्रकार के लोगों ने लाभ उठाया है परन्तु सरकारी कर्मचारी बहुत पीछे रह गये हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

गत दस वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिये अच्छा है कि वेतन आयोग की नियुक्ति हो गयी, और इसके लिये श्रम मंत्रालय ने जो प्रयत्न किये उनके लिये वह बधाई का पात्र है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए श्रम मन्त्रालय ने मजदूर, सरकार तथा नियोजकों का एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया था, और उसका बहुत ही अच्छा परिणाम रहा था और इसका सभी क्षेत्रों में स्वागत भी किया गया था। उन्होंने फरवरी के आरम्भ में सरकार मजदूर और नियोजकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक भी बुलाई थी। सभी वर्गों ने योजना की सफलता के लिये अपना सहयोग देने का वायदा किया। प्रथम योजना में बहुत कुछ कहा गया था परन्तु मजदूरों की अवस्था में कोई विशेष अन्तर नहीं आया। मैं तो कहूंगा कि समाजवादी समाज की रचना के लक्ष्य के लिये वित्त मंत्री को सभी प्रकार के करों--धन कर तथा व्यय कर को कड़ाई से लागू करना चाहिए तथा गरीबों के भले के लिए अमीरों से धन लेना चाहिये। प्रथम पंचवर्षीय योजना में श्रमिकों की अवस्था को सुधारने की जो बातें थीं वे बहुत सी कागज पर ही रह गयी हैं। उन्हें कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। श्रमिकों में प्रेरणा उत्पन्न करने के लिये कुछ किया जाना परम आवश्यक है। उत्पादन को बढ़ा कर श्रमिकों के वेतन, स्वास्थ्य और वातावरण को सुधारना ही होगा। इस मामले में शीघ्रता करने की जरूरत है, परन्तु सरकार बड़ी धीमी चाल से चल रही है।

ऐसे भी लोग हैं जो कि यह समझ ही नहीं सकते कि श्रमिक समुचित वेतन और जीवन की सुविधाओं की मांग क्यों करते हैं? मेरे एक मित्र ने कहा है कि उद्योगपतियों ने बहुत ही उन्नति की है। परन्तु मशीनरी और रुपये से तो ही सब कुछ नहीं हो जाता उसके लिए श्रमिकों में भी उत्साह और प्रेरणा पैदा करना जरूरी है इसके बिना कोई देश प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकता। योजनाओं के लक्ष्य पूरे करने के लिये श्रमिकों ने बहुत कुछ किया है, परन्तु उसके मुकाबले में उससे किये गये वायदे पूरे नहीं किये गये। क्या यह अच्छी बात है? क्या इससे वर्तमान असन्तोष दूर हो जायेगा? क्या इसी आधार पर सरकार हड़ताल न कर उत्पादन बढ़ाने पर जोर देती है? फिर भी, अच्छा है कि श्रम विभाग और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का अनुभव किया है और द्वितीय वेतन और सेवा आयोग की स्थापना कर दी गयी है। इतना ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रम मंत्री तथा श्रम उपमंत्री जो कि इस क्षेत्र के पुराने खिलाड़ी हैं प्रगति की ओर जाने में श्रमिकों की अधिक से अधिक सहायता करेंगे।

आज प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है कि हड़तालें बन्द होनी चाहियें और इसे अन्तिम अस्त्र के तौर पर ही प्रयोग किया जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि मामले बातचीत द्वारा हल हो जायें। परन्तु सरकार की व्यवस्था इतनी धीमी गति से चलती है कि श्रमिक एक दम निराश हो उठता है। सरकारी क्षेत्रों में जहां हड़ताल अवैध करार दे दी गयी है, श्रमिकों के लिये कुछ नहीं किया गया। अन्य क्षेत्रों में भी यही होता है। जब अपनी गरीबी और हालात से तंग आकर श्रमिक समुचित वेतन की मांग करता है तो कहा जाता है कि उसकी अवस्था किसानों की अवस्था से बहुत अच्छी है और उसे अधिक वेतन की मांग नहीं करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि यह हड़ताल की बीमारी दूर हो जाय, तो सरकार और सभी श्रमिक संघों को मिल कर श्रमिकों की शिकायतें सुनने का कोई ढंग निकालना चाहिए। और

उसके सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करने का आश्वासन भी दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक मुकदमे बाजी की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए। श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में वेतन बोर्ड के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। अन्य श्रमिकों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। मैं श्रम मंत्री से निवेदन करूंगा कि बागान के श्रमिकों की हालत को सुधारने के लिये एक वेतन बोर्ड नियुक्त करना बड़ा ही आवश्यक है।

हड़ताल को समाप्त करने का मैं कोई शान्तिपूर्ण हल चाहता हूं। क्योंकि देखा गया है कि कई बार श्रमिक संघों द्वारा अपनाये गये ढंग शान्तिपूर्ण नहीं कहे जा सकते। साथ ही एक कारखाने में एक ही संघ होना चाहिये। हमारे देश में श्रमिक संघों की गतिविधियां श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करने तक ही सीमित नहीं रहती उसमें राजनीति आ जाती है। राजनीतिक दलों द्वारा बहुत गड़बड़ करवा दी जाती है। यदि हमें देश के उद्योगों की सहायता करनी है और उत्पादन बढ़ाना है, तो इन श्रमिक संघों को एक साथ आकर यह घोषणा करनी होगी कि हड़ताल हमारा अन्तिम अस्त्र होगा, और इसे जब भी कभी प्रयोग करने की नौबत आये तो इसका प्रयोग शान्तिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इस मामले में स्वयं सरकार को प्रयत्न करना चाहिये और इस पर विचार करने के लिये विभिन्न श्रमिक संघों और दलों की बैठक बुलानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त श्रमिकों के आवास, स्वास्थ्य, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा योजना, इत्यादि से सम्बन्धित कई समस्यायें हैं, जिनका प्रतिदिन श्रमिकों को सामना करना पड़ता है। श्रमिकों और उनके परिवारों को प्रत्येक प्रकार की चिकित्सा प्रणाली के अनुसार अपना इलाज करवाने की छूट दी जानी चाहिए, और इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी भविष्य निधि में इस समय श्रमिक का अंश केवल ६¼ प्रतिशत है उसे ८¼ कर देना चाहिए। ताकि सेवानिवृत्त होते समय उन्हें एक अच्छी रकम मिल सके जो बुढ़ापे में काम आवे। कपड़ा उद्योग में श्रमिकों की हालत खराब है। उनके वेतन नहीं बढ़े हैं बल्कि उलटे हो रही है उसे रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे असंतोष फैलता है और इससे हमारे उत्पादन लक्ष्य को भी हानि पहुंचती है। श्रमिकों को संगठित होकर इस प्रकार कार्य करना चाहिये कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था बनाये कि श्रमिकों का अधिक से अधिक लाभ हो सके। इसके बाद यह देखा जायेगा कि क्या यह सम्भव है कि एक उद्योग में एक ही संघ हो, एक क्षेत्र में एक ही संघ काम करे। अब समय आ गया है कि हम आपस में बातचीत करके, इन समस्याओं को हल करें तभी यह सम्भव है कि हमारा उत्पादन बढ़े और हमारा देश आगे बढ़ सके।

श्रमिकों की ओर से, विशेषत: अखिल भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ कांग्रेस की ओर से मैं यह विश्वास दिला दूं कि हम हड़ताल नहीं करेंगे, और यदि हमें मजबूरन हड़ताल करना ही पड़ा तो शान्तिपूर्ण ढंग से करेंगे ताकि हमारी मांगें मानी जायें। मुझे आशा है कि सरकार भी श्रमिकों की पूरी तरह से सहायता करेगी। मेरा निवेदन है कि श्रम मंत्री को मेरी बातों पर विचार करना चाहिए और श्रमिकों को दिये गये वायदों को पूरा करना चाहिए जिससे श्रमिकों को यह अनुभव हो कि देश के राष्ट्रीय निर्माण कार्य में वे भी हिस्सेदार हैं। परन्तु फिर भी श्रम मंत्रालय ने जो कुछ किया है मैं उसके लिए उसे बधाई देता हूं।

†**श्री डांगे** (बम्बई-नगर-दक्षिण) : श्रम मन्त्रालय के अनुदानों पर चर्चा करते समय मेरे मस्तिष्क में दो विचार आते हैं। एक यह कि मंत्री महोदय श्रमिक संघ के पुराने कार्यकर्त्ता हैं, और यदि उनके बस की बात हो तो वह श्रमिकों के हित सम्बन्धी बहुत से सिद्धान्तों को कार्यान्वित कर दें। परन्तु श्रमिक संघ के नेता होने के साथ साथ वह मंत्री भी हैं। और मंत्री के रूप में वह एक ऐसी व्यवस्था के अंग हैं जहां दूसरे मंत्री बैठे हुए हैं, अर्थात् मंत्रिमंडल में दूसरे हित भी हैं। इसलिये जब वह कुछ करना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री डांगे]

चाहते हैं तो दूसरे हितों से संघर्ष के विचार से कुछ नहीं कर पाते । इसका परिणाम श्रमिक वर्ग के लिये अच्छा नहीं होता । इसी कारण से ही श्रम मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के श्रमिकों के विरुद्ध किये जा रहे कार्यकलापों को रोक नहीं पाता । अन्य मंत्रालय भी यद्यपि उनके समक्ष समाजवादी लक्ष्य है, पूंजीपतियों की श्रम विरोधी उन कार्यवाहियों को नहीं रोक सकते जिनके लिये कानून पास हो चुके हैं । इसलिये मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या हमारे श्रम मन्त्रालय की कोई भी नीति है जिसके कार्यान्वित करने के लिये इन अनुदानों की मांग की जा रही है ।

श्रम मंत्रालय शायद वेतन-वृद्धि की नीति अपनाने की इच्छा रखता है । इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय या इन्टक संस्था ने कई बार विचार व्यक्त किये हैं । परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया । वेतन बढ़ाने के बजाय वेतन कम किये जा रहे हैं । कुछ दिन हुये त्रिदलीय श्रम सम्मेलन हुआ । सरकार की ओर से बताया गया कि वेतन वृद्धि के पक्ष में सरकार अवश्य है क्योंकि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है । परन्तु जब कुछ करने का समय आया तो २० लाख कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार हुआ है वह आपके सामने है ही । काफी संघर्ष और हड़ताल के नोटिसों के बाद सरकार ने इतना कहा है कि हम सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर विचार करेंगे । यह एक उदाहरण है । दूसरा उदाहरण लीजिये, रेलवे मंत्री, रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपनी ही श्रम नीति चलाते हैं । वहां विधिवत निर्वाचित कार्य समितियां हैं, पर रेलवे मंत्री को अधिकार है कि वे उन्हें मान्यता दे अथवा न दें, श्रम मंत्री का उसमें कोई हाथ नहीं । और वह कोई कानून रेलवे मंत्रालय पर लागू नहीं कर सकते । झगड़े निपटाने के लिये बातचीत करने के निकाय हैं । रेलवे मंत्रालय के अतिरिक्त और मंत्रालयों में भी ऐसे निकाय हैं । परन्तु इन निकायों से लाभ क्या है ? प्रतिरक्षा उद्योग में यदि यह निकाय श्रमिकों की कुछ मांगें प्रस्तुत करता है उन मांगों पर तरह तरह से टालमटोल की जाती है । अन्त में हड़ताल की नौबत आ जाती है । जब तक हड़ताल की नौबत नहीं आती तब तक कोई भी निर्णय नहीं किया जाता और फाइलें इधर-उधर दौड़ती रहती हैं । इसमें श्रम मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता । वह सभी मंत्रालयों के लिये कोई एक नीति नहीं बना सकता । विभिन्न मंत्रालयों का इस सम्बन्ध में एक मत नहीं है । एक बात में सभी सहमत हैं कि हड़ताल हो तो गोली चलाओ, और यदि सीधी कार्यवाही न हो तो गोली न चलाओ, तो इस प्रकार काम चलता है । रेलवे मंत्रालय की सैकड़ों शिकायतें पड़ी हुई हैं उन पर कोई निर्णय नहीं हो पारहा है क्योंकि विभिन्न मंत्रियों की नीतियां भिन्न भिन्न हैं ।

एक बात मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री कभी कभी तुरन्त निर्णय करते हैं और इस बात की चिन्ता नहीं करते कि उनका निर्णय किसी को पसन्द आयेगा या नहीं । पिछली बार जब बीमा कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी; एक दिन हड़ताल चली भी; वह तुरन्त बम्बई गये और समिति से फैसला करके अगले दिन समझौते की घोषणा कर दी । अन्य मंत्रालयों को हो सकता है उनकी बात पसन्द न हो । श्रम मन्त्रालय सम्पूर्ण भारत के श्रमिकों के लिए नीति सम्बन्धी कोई भी विधान अभी तक न ला सका क्योंकि सरकार केवल हड़ताल विरोधी नीति के अन्य किसी नीति पर कभी भी एक मत नहीं होती ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य कितना समय और लेंगे ?

†**श्री डांगे :** अभी मैं जारी रखना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा, गुरुवार, २२ अगस्त, १९५७ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

[दैनिक संक्षेपिका]

[बुधवार, २१ अगस्त, १९५७]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ४०५५–७८

तारांकित प्रश्न संख्या — विषय

१००५ अखबारी कागज का आयात ४०५५–५७
१००६ मूल्य नियन्त्रण ४०५८–५९
१००७ ब्रह्माणु रश्मि गवेषणा केन्द्र, गुलमर्ग . . . ४०५९–६०
१००८ पशुओं का व्यापार ४०६०–६२
१०१० दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा . . ४०६२–६३
१०१०क द्वितीय पंचवर्षीय योजना ४०६३–६६
१०११ आयात और निर्यात . . . ४०६६–६७
१०१३ मयूरगंज स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स ४०६७–६९
१०१६ जूतों का निर्यात ४०६९–७०
१०१८ पाकिस्तानी राष्ट्र की जनों का गुजरात में आगमन . ४०७०–७१
१०१९ इंजीनियरिंग की छोटे पैमाने की संस्थायें . . . ४०७१–७२
१०२१ दिल्ली में भूमिका अर्जन ४०७२–७४
१०२२ गोआ से विस्थापित परिवार . . . ४०७४–७५
१०२३ शक्ति चालक करघे . . ४०७५
१०२४ राजेन्द्र मार्केट, दिल्ली . . . ४०७६
१०२५ राजस्थान का औद्योगीकरण . ४०७६–७८
१०२६ लोक-नृत्य पर प्रलेख चल-चित्र ४०७८
प्रश्नों के लिखित उत्तर . ४०७८–९८

तारांकित प्रश्न संख्या

१००४ दिल्ली में खेल-कूद के सामान का उद्योग . . . ४०७८–७९
१००९ रुई के वायदे के सौदे ४०७९
१०१२ दुर्गापुर शरणार्थी कैम्प ४०७९
१०१५ रेशम कृमि पालन प्रशिक्षण योजना ४०७९–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
१०१७	वर्जीनिया तम्बाकू में राज्य व्यापार	४०८०
१०२७	औद्योगिक आस्थान	४०८०–८१
१०२८	अलजीरिया	४०८१
१०२९	हथकरघे का कपड़ा	४०८१
१०३०	आकाशवाणी में ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव	४०८१–८२
१०३१	सीमेंट के कारखाने	४०८२
१०३२	इस्पात और सीमेंट के प्रयोग में मितव्ययता	४०८२
१०३३	हथकरघा श्रमिकों के लिये आवास-व्यवस्था	४०८३
१०३५	आंध्र प्रदेश के लिये कार्य तथा अनुस्थितिज्ञान केन्द्र	४०८३
१०३६	नमक का निर्यात	४०८३–८४
१०३७	भारत सेवक समाज	४०८४
१०३८	भारतीय चाय का निर्यात	४०८४
१०३९	प्राथमिक शिक्षा	४०८४
१०४०	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी	४०८४–८५
१०४१	टेकनीकल कर्मचारियों की कमी	४०८५
१०४२	मसकट और ओमान के साथ व्यापार	४०८५–८६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७५९	१९५७ के स्वातन्त्र्य संग्राम समारोह के सम्बन्ध में समाचार चल-चित्र	४०८६
७६०	आंध्र में गन्दी बस्तियों की सफाई	४०८६
७६१	अम्बर चर्खे	४०८६–८७
७६२	सिंगापुर में भारतीय	४०८८
७६३	बिहार में विस्थापित व्यक्ति	४०८८
७६४	आयात मंत्रणा परिषद्	४०८८–८९
७६५	बिहार में स्थानीय विकास निर्माण कार्य	४०८९
७६६	वैदिक मन्त्रोच्चारण	४०८९
७६७	लन्दन में भारतीय उच्च आयुक्त	४०८९–९०
७६८	भारतीय चाय पर दलाली	४०९०–९१
७६९	अन्तर्राष्ट्रीय चल-चित्र समारोह	४०९१
७७०	उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण	४०९१
७७१	फिल्मों का आयात	४०९१–९२
७७२	त्रिपुरा में भूमि अर्जन	४०९२
७७३	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, त्रिपुरा	४०९२
७७४	आकाशवाणी का पूना केन्द्र	४०९२–९३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७७५	बैंक पंचाट	४०९३
७७६	न्यू लाजपतराय मार्केट, दिल्ली	४०९३
७७७	शिक्षित बेरोजगार	४०९४
७७८	नेपाल को खाद्यान्न संभरण	४०९४
७७९	अम्बर चर्खे	४०९४–९५
७८०	खादी एम्पोरियम, नई दिल्ली	४०९५–९६
७८१	खादी उत्पादन	४०९६
७८२	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	४०९७
७८३	बन्दरों का निर्यात	४०९७
७८४	भारतीय विदेश सेवा 'बी'	४०९७
७८५	योजना आयोग में घोषित (गजटेड) पदाधिकारी	४०९८

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४०९८–९९

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और सेवा की शर्तों तथा अन्य सम्बन्धित प्रश्नों को जांच करने के लिये एक जांच आयोग की नियुक्ति के बारे में दिनांक २१ अगस्त, १९५७ के संकल्प संख्या २४७४—सेक्रेटरी (ई०)/५७ की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश ४०९९

सचिव ने बताया कि राज्य सभा से निम्नलिखित दो संदेश प्राप्त हुये हैं :—

(१) कि राज्य सभा २० अगस्त, १९५७ की बैठक में रेलवे संरक्षण बिल विधेयक, १९५७ में लोक-सभा द्वारा १६ जुलाई, १९५७ को किये गये संशोधनों से सहमत हो गई है ।

(२) कि राज्य सभा ने १२ अगस्त, १९५७ की बैठक में निरसक तथा संशोधक विधेयक १९५७ पारित कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित किया गया विधेयक—सभा-पटल पर रखा गया ४०९९

सचिव ने निरसक तथा संशोधक विधेयक १९५७ को, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा ।

अनुदानों की मांगें ४१००–५२

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मांगों पर आगे चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, २२ अगस्त, १९४७ के लिये कार्यावलि—

श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुदा ों की मांगों पर आगे चर्चा

P. L. S. 41. V. 27. 57.
170

भारत सरकार, मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित तथा लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ तथा ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित ।